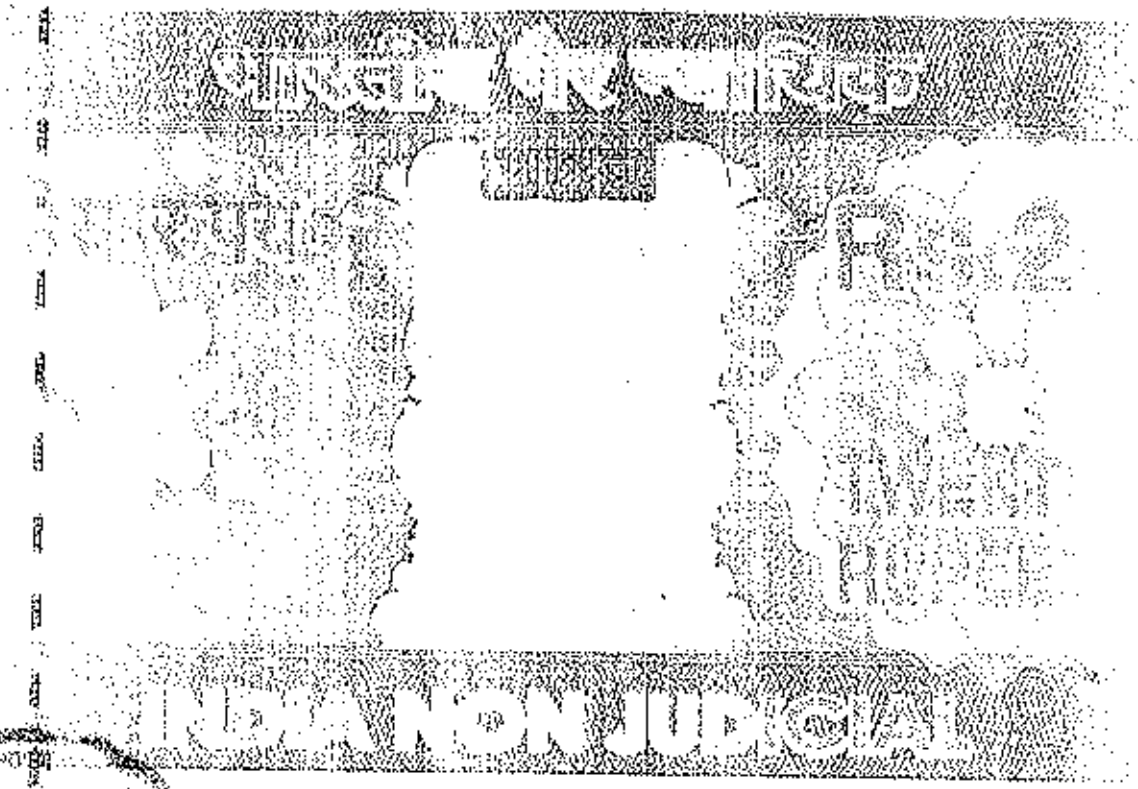


1– लेख्याकारीगण का नाम एवं पूरा पता:–

(1) **श्री राम इकबाल साह,** (प्रथम पक्ष)

(2) **श्री बाली साह,** (द्वितीय पक्ष)

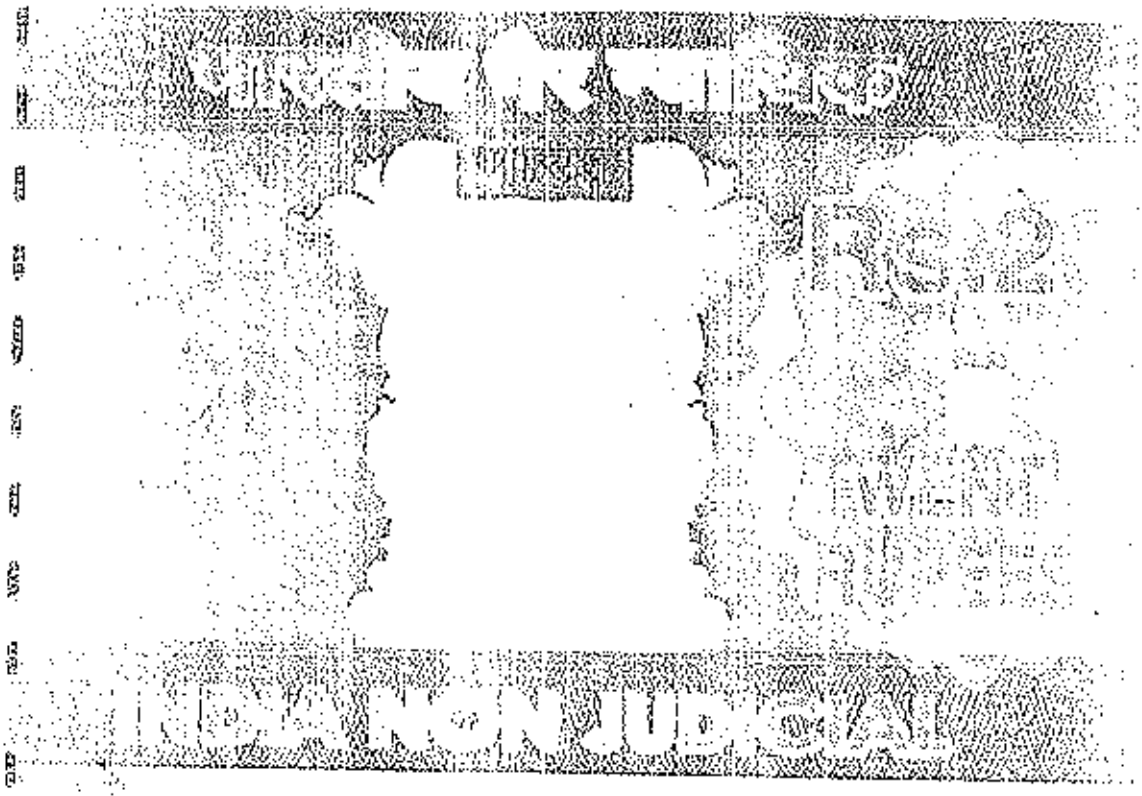
(3) **श्री कृष्ण मुरारी साह,** (तृतीय पक्ष)

(4) **श्री गोरखनारायण साह,** (चतुर्थ पक्ष)

सभी के पिता का नाम स्व० गणेश लाल साह सभी का निवास स्थान– रूपसपुर, थाना– रूपसपुर, पत्रालय– सहाय नगर (धनौत) जिला– पटना, भारतीय नागरिक।

2– लेख्यधारी :–

आपस में एक दूसरे के पिता।



3--- लेख्य प्रकार:--

आपसी बटवारानामा।

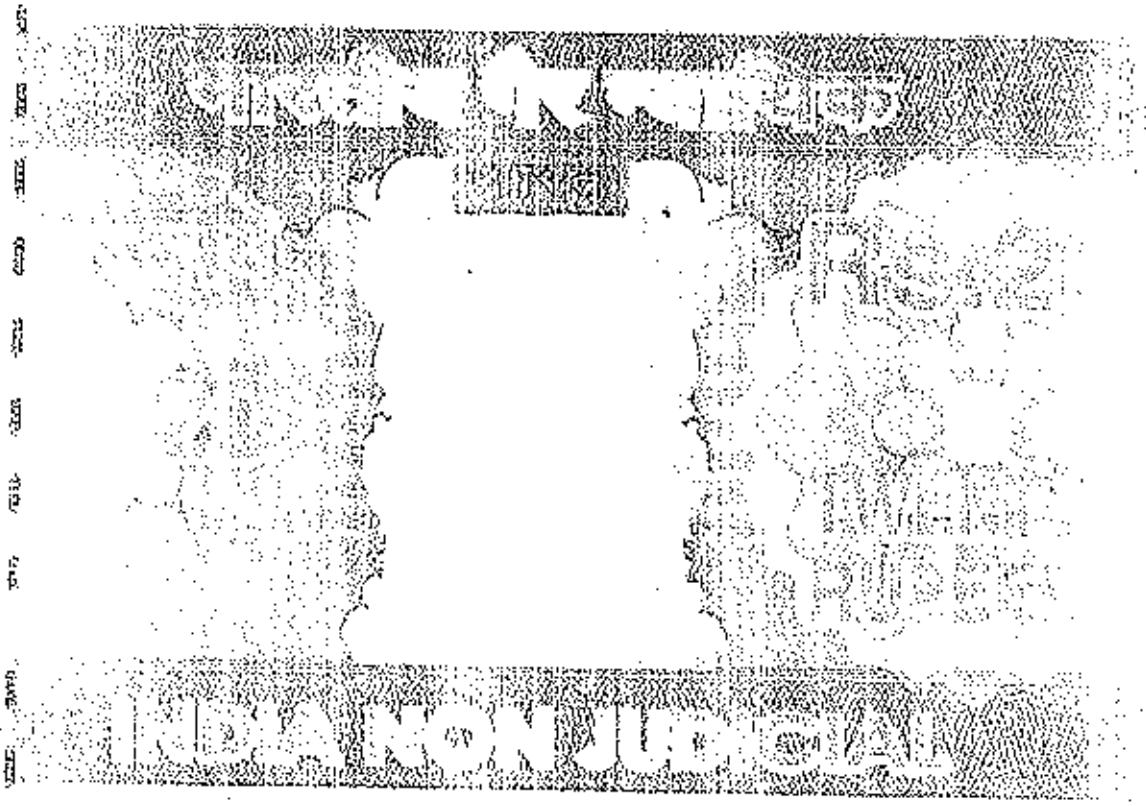
4--- मूल्यांकन:-- x x x

5-- सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण:--

जमीन-- 1

यह सम्पत्ति सभी पक्ष से मिलकर प्रथम पक्ष श्री राम एकबाल साह, को मिला वो हक हासिल हुआ। इस सम्पत्ति से किसी पक्ष को कोई उजुर वो एतराज न है न कभी होगा।

रकबा 4 कट्ठा 13 धुर (चार कट्ठा तेरह धुर) एराजी परती आबासीय कायमी जमदी वाके मौजा-- धनौता, परगना-- फुलवारी, थाना-- रूपसपुर, सर्वे थाना एवं सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला-- पटना, जिसकी थाना संख्या-- 20 (बीस), तौजी बिहार सरकार, खाता संख्या-- 136 (एक सौ छत्तीस) सर्वे प्लॉट संख्या-- 1280 (एक हजार दो सौ अस्सी) एराजी 4 कट्ठा 13 धुर।



-3-

"चौहद्दी"

उत्तरः— बाली साव।

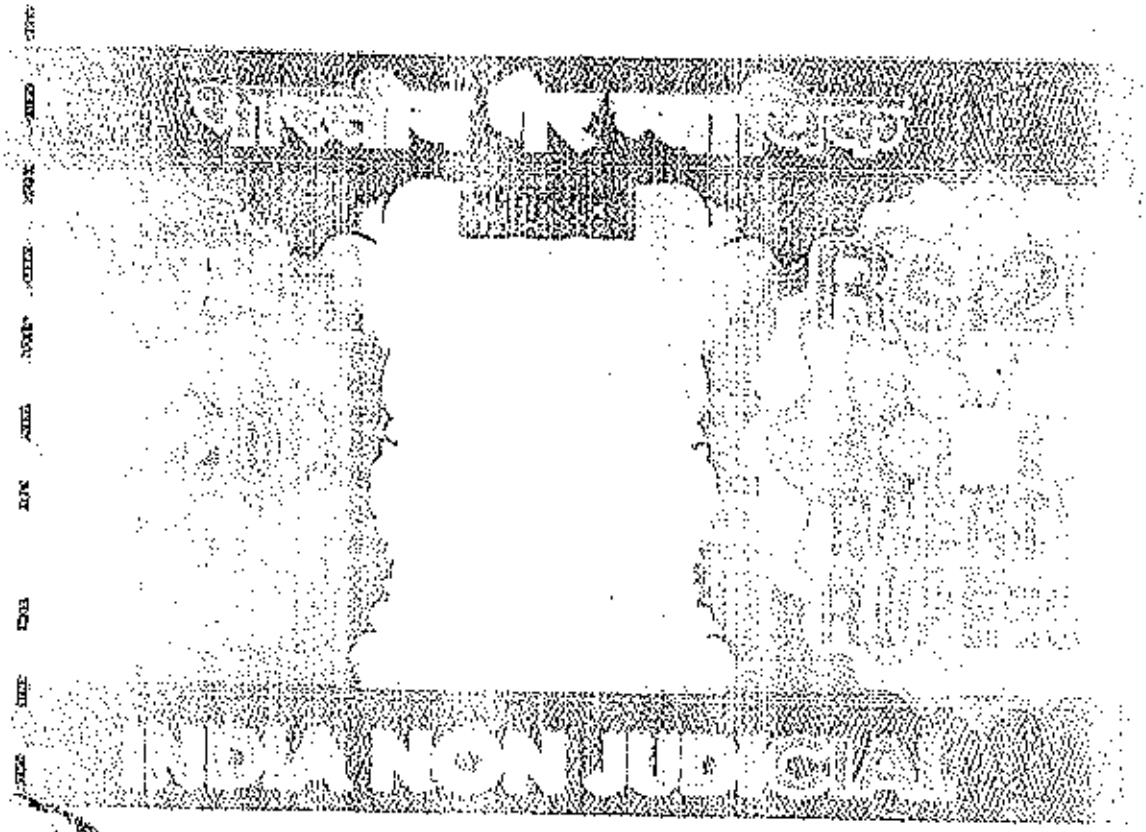
दक्षिणः— सर्वे प्लॉट संख्या— 1275 एवं 1276

पुरबः— सर्वे प्लॉट संख्या— 1277

पश्चिमः— सुरेन्द्र साव।

जमीन—2

यह सम्पत्ति सभी पक्ष से घटकर हतिय पक्ष श्री बाली साह को मिला वो हक हासिल हुआ। इस सम्पत्ति से किसी पक्ष को कोई सरोकार नहीं है न कभी होगा।



0688 2631

रवाजी 4 कट्ठा 13 धुर (चार कट्ठा तेरह धुर) एराजी परती आवासीय कायगी नमदी वाले मौजा– धनौत परगना– फुलवारी, थाना– रूपसपुर, सर्वे थाना एवं सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री को जिला– पटना, जिसकी थाना संख्या– 20 (बीस) तौजी बिहार सरकार, खाता संख्या– 136 (एक सौ छत्तीस) सर्वे प्लॉट संख्या– 1280 (एक हजार दो सौ अस्सी) एराजी 4 कट्ठा 13 धुर।

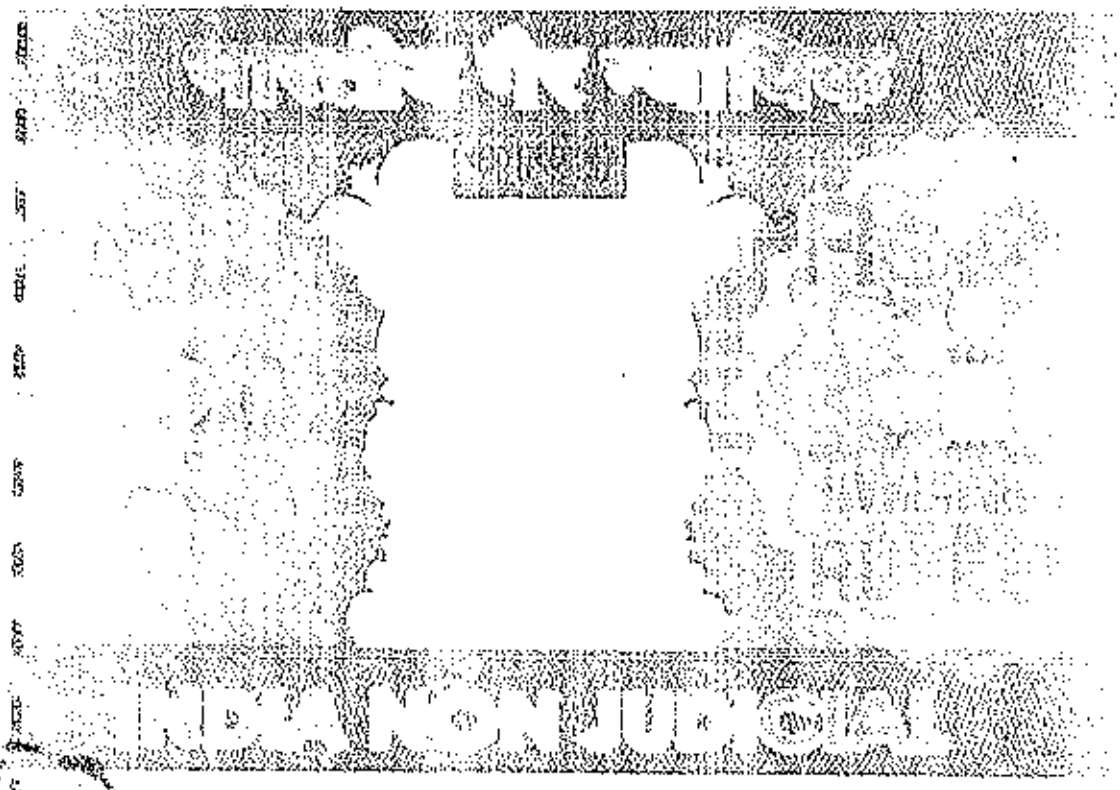
"चौहद्दी"

उत्तरः– लाल बिजारी सिंह।

दक्षिणः– रामएकबाल साह।

पुरबः– सर्वे प्लॉट संख्या– 1277

पश्चिमः– सुरेन्द्र साव।



06AA 240

24787 2-12-13

अभीमा-3

यह सम्पत्ति सभी पक्ष से बंटकर तृतीय पक्ष श्री कृष्ण मुरारी सिंह को मिला वो हक हासिल हुआ। इस सम्पत्ति से किसी पक्ष को कोई उजुर वो एतराज न है न कभी होगा।

मवाजी 4 कट्ठा 03 धुर (चार कट्ठा तीन धुर) एराजी परती आवासीय कायमी नगरी मौके मौजा– धनौत परगना– फुलवारी, थाना– रूपसपुर, सर्वे थाना एवं सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला– पटना, जिसकी थाना संख्या– 20 (बीस) तौजी बिहार सरकार,

खाता संख्या	सर्वे प्लॉट संख्या	एराजी
562 (पाँच सौ बासठ)	1112 (ग्यारह सौ बारह)	1 कट्ठा 14 धुर।

" चौहद्दी "

उत्तर:– राजनाथ सिंह।

दक्षिण:– पोखनारायण साह।

पुरब:– दस फीट चौड़ा मीजी रास्ता।

पश्चिम:– राजेश्वर बली।

यह कि दस फीट चौड़ा रास्ता पर तृतीय पक्ष एवं चतुर्थ पक्ष का अधिकार होगा तथा उनके आवसधिकारी होंगे।

खाता संख्या	सर्वे प्लॉट संख्या	एराजी
379 (तीन सौ उनहत्तर)	1108 (ग्यारह सौ आठ)	2 कट्ठा 09 धुर।

"चौहद्दी"

उत्तरः— शिवपुजन सिंह।

दक्षिणः— पार्ट प्लॉट पार्वती देवी।

पुरबः— पईन।

पश्चिमः— ब्रह्मदेव सिंह।

जमीन—4

यह सम्पत्ति सभी पक्ष से घटकर चतुर्थ पक्ष श्री मोखनारायण साह, को मिला तो हक हासिल हुआ। इस सम्पत्ति से किसी पक्ष को कोई उजुर यो एतराज न है न रहेगी होगा।

मवाजी 4 कट्ठा 03 धुर (चार कट्ठा तीन धुर) एराजी परती आवासीय कायमी नगदी वाके मौजा— धनौरा परगना— फुलवारी, थाना— रूपसपुर, सर्वे थाना एवं सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री को जिला— पटना, जिसकी थाना संख्या— 20 (बीस) तौजी बिहार सरकार, खाता संख्या— 562 (पाँच सौ बासठ) सर्वे प्लॉट संख्या— 1112 (ग्यारह सौ बारह) एराजी 4 कट्ठा 03 धुर।

"चौहद्दी"

उत्तरः— कृष्णमुरारी साह।

दक्षिणः— पईन।

पुरबः— दस फीट चौड़ा मौजी रास्ता।

पश्चिमः— राजेश्वर।

यह कि दस फीट चौड़ा रास्ता लेख्यकारी तृतिय पक्ष एवं चतुर्थ पक्ष का अधिकार रहेगा तथा उनके उत्तराधिकारी का रहेगा।

" संदर्भ "

बायस तहरीर वो तामील वसीका आपसी बटवारानामा का यह है कि खाना संख्या 5 वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारीगण का खानदानी सम्पत्ति है। जो लेख्यकारीगण को अपने पुर्वज के स्वर्गवास के बाद आज तक स्वतंत्र रुप से काबिज दखिल मालिक मुस्तकील चली आते है।

यह कि लेख्यकारीगण एवं इनके माता लक्षमिनीया देवी एवं पिता गणेश लाल साह के बीच दिनांक-- 01/01/2002 ई0 को समस्त सम्पत्ति का आपसी लिखित बंटवारा हुआ था जिसमे सर्वे प्लॉट संख्या-- 1108 एवं 1112 लेख्यकारीगण के माता एवं पिता को मिला था जो अभी वर्तमान मे स्वर्गवास कर गये, इसलिये लेख्यकारीगण अपने पिता एवं माता के स्वर्गवास के बाद मिले हुये सम्पत्ति को एवं सर्वे प्लॉट संख्या-- 1280 चारो पक्ष लेख्यकारीगण को मिला था लेकिन आपसी मे सहुलियत लालय बनाकर एक दुसरा बंटवारा प्लॉट नं0-- 1108 एवं 1112 एवं 1280 का किया जाता है। मगर इन दिनो लेख्यकारीगण के बीच परिवार बढ जाने के कारन घर परिवार चलाने मे काफी असुविधा होती है इसलिए लेख्यकारीगण ने उचित समझा अपना पुर्वज के खरदगी सम्पत्ति को आपस में बंटवारा कर ले ताकि भविष्य में कोई झगडा झंझट नही हो। इसलिए लेख्यकारीगण ने आपस में एक राय करके खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पति को इस प्रकार से विभाजन किया कि जमीमा--1 के सम्पत्ति प्रथम पक्ष को मिला वो हक हाशिल हुआ। वो जमीमा--2 के सम्पत्ति द्वितीय पक्ष को मिला वो हक हाशिल हुआ। वो जमीमा-- 3 के सम्पत्ति तृतीय पक्ष को मिला वो हक हाशिल हुआ। वो जमीमा-- 4 के सम्पत्ति चतुथ पक्ष को मिला वो हक हाशिल हुआ। बशिये कि लेख्यकारीगण अपना-अपना बँटे हुए सम्पत्ति पर काबिज दखील होकर वो रहकर सम्पत्ति को जिस प्रकार से चाहें अपना अपना उपयोग वो उपभोग में लायें वो अपना अपना--अपना दानापुर के अंचल रजिस्टर पर या जिस--जिस स्थानों पर अनिवार्य समझें, इस बंटवारा के माध्यम से नामांकित करा लेंगे। इसमें कोई पक्ष को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज नही है वो नही होगा।

यह कि यह बटवारा पत्र के बाद लेख्यकारीगण या इनके उत्तराधिकारी किसी प्रकार का कोई दावा या उजुरदारी किसी पक्ष पर करें तो वह उनकी दावा या उजूरदारी मनोकामले वशिका बटवारा पत्र के रद्द वां गैरकानुनी होगा वो किसी भी अदालत में कानुनी कारवाई करनें योग्य नहीं होंगे। इस वास्ते लेख्यकारीगण अपना अपना खुशी वो ख्वाहिश से होश वो हवाश में रहकर अपना अपना परिवार एवं शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर एक दुसरे के पक्ष मे यह वशीका आपसी बटवारानामा एक दुसरे के पक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवें वो प्रमाण रहें। समाप्त। दिनांक—

लेख्यकारीगण का हस्ताक्षर

साक्षयगण का हस्ताक्षर

अंचल पदाधिकारी

परिशिष्ट

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख ..... तक

आदेश पत्रक

जिला– पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं० 4340 सन् 2015-16

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

श्री [illegible]

वल्द [illegible] ग्राम [illegible] पो० [illegible]

थाना [illegible] जिला [illegible] केवाला नं० [illegible] दिनांक [illegible]

के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल–खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान
[illegible]	20	136	1280	54	[illegible]

Ch. 624 14/6/2016

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक [illegible] को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

[illegible] नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल–खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल–खारिज की [illegible] दी जाती है। शुद्धि–पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy
[illegible]
Authorised under sec. 76 Act of 1872

अंचल अधिकारी
दानापुर

तुलना कर्ता

GOVT. OF BIHAR
Registration Fees & Processing Fees
PATNA SCORE, PATNA
COURT FEE
Rs 0000010 15.6.2016
INDIA
375394
BIHAR
9362 2221942
JUDICIAL

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

केस नं॰ 4840 साल 2015-16 हल्का नम्बर 8 अंचल दानापुर

दानपत्र / जमीन रकबा - राजस्व थाना नम्बर - 247 जिला - पटना

आदेशमन - केयास - — तिथि - प्राप्त का जरिया - बटवारा

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 3715
जगौरी साह पिता - नन्द किशोर साह ग्राम - रूपसपुर 624 04/06/2016	136 688 32 369 562 432 48 665 369	1280 648 2-32 1108 1112 3713 415 161 2-02 2-75 736 108 158	2·62½ 5/0	42·00	अं॰ अ॰ दानापुर आवेदक के आवेदन पर कौशल कुमार/ रंजन कुमार एवं पंकज से मिलान किया/ पंकज पर आवेदक से निशान लगा कर हस्ताक्षर/ बाद आवेदन पत्र के साथ पारिवारिक प्रमाणपत्र व शपथपत्र संलग्न है/ जो देखा है अतः आवेदक से दोनों पारिवारिक पत्र एवं अन्य पत्र को सं की के उपरांत दाखिल को आवश्यक है/
बचा हुआ रकबा	तथैव	तथैव 405			
नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	
जगौरी साह पिता स्वर्ग जगौरा लाल साह ग्राम + थाना रूपसपुर जिला - पटना	136	1280	5411/3	42·00	

Certified to be true Copy
Clerk
Authorised under sec, 76 Act of 1872

तुलना करो

सहायक

Sch. XIV.—F.No. 180 V

रसीद मालगुजारी

नाम परगना। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर

V

जिलाकमु. पटना। X

फरद मालकी / फरद रैयती। 105

नाम रैयत मय तफ्सियात सम्बन्धी वो रकबा व नम्बर 10,2/6

00570242

दानापुर [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

अराजी नम्बरी

अराजी भायली 1 पृ. तफसील हिसाब लगान भायली।

3c.113	[illegible]

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो इसी) मौजूदा सूबे का।

साल मांग वाबत		सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल— गुजारी	(नकदी)	4.00					4.00
	(भायली)	1.00					1.00
सेस	...	2.00					2.00
*सूद	...	2.40					2.40
मुतफर्रकात	...	0.80					0.80
मीजान		9.80					9.80

WITHOUT PREJUDICE

तफसील अदायकारी।

अदायकारी वाबत		बकाया				मौसलाबी हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल— गुजारी	(नकदी)					4.00	
	(भायली)					1.00	
सेस	...					2.00	
*सूद	...					2.40	
मुतफर्रकात	...					0.80	
मीजान अदायकारी						9.80	9.80

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — [illegible]

(2) नाम देहिन्दा — [illegible]

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद लिया जाता है।

31/3/2016

Mahal

Name of proprietor and No. in khewat

Page

Mauza

Pargana

Taraf No.

Name of tenure-holder if any, and No. in khewat

Thana

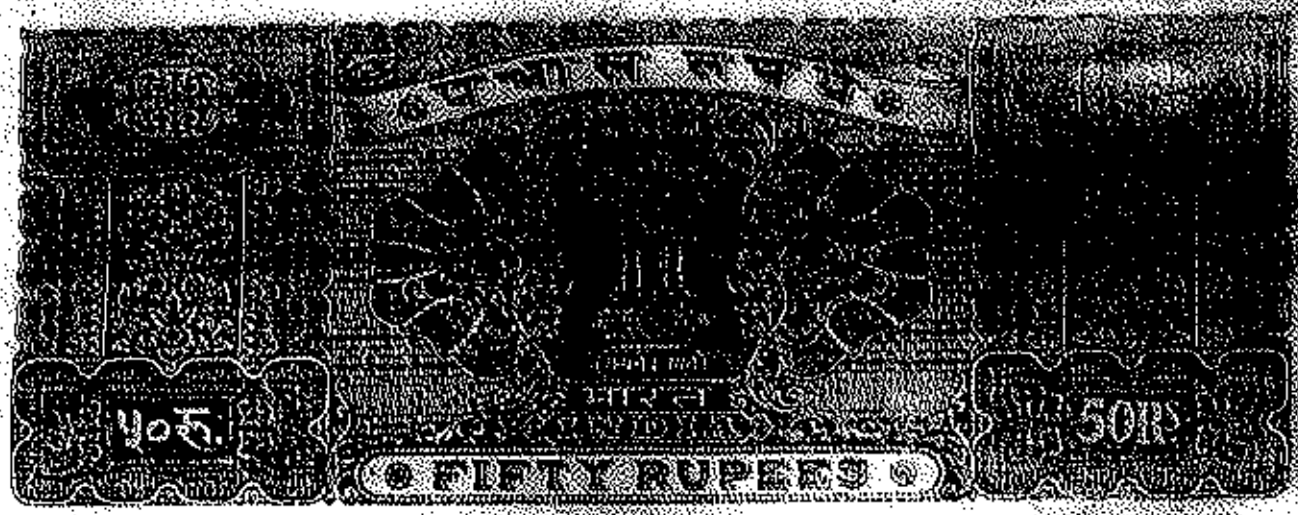
Thana Number

Patti

Binding Space.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
ક્રમાંક	ખાતેદારનું નામ, વહીવટદાર, મહાજન કે બીજા	ખાતા નંબર	ખેડનારનું નામ	ક્ષેત્રફળ		ટીકા	ઉપજાવી કાઢેલ ભાડાની રકમ		
				A.	D.				

Binding Space.



1) नाम लेखकारीगण :-

1) गणेश लाल साह वल्द स्व. मलिक साही साह निवासी ग्राम - रूपसपुर, थाना - दानापुर, जिला - पटना, धर्म हिन्दु, पेशा खेती एवं व्यापार।
.....लेखकारी प्रथम पक्ष

2) श्रीमती लक्षमीनिया देवी पत्नि श्री गणेश लाल साह निवासी ग्राम - रूपसपुर, थाना - दानापुर, जिला - पटना, पेशा गृहणी धर्म हिन्दु भारतीय नागरिक।
.....लेखकारिणी द्वितीय पक्ष

3) राम एकबाल साह पिता श्रीगणेश लाल साह निवासी ग्राम - रूपसपुर, थाना - दानापुर, जिला - पटना, पेशा खेती एवं व्यापार।
.....लेखकारी तृतीय पक्ष -

4) श्री बाली साह पिता श्री गणेश लाल साह, निवासी ग्राम - रूपसपुर, थाना - दानापुर, जिला - पटना, पेशा खेती एवं व्यापार, धर्म - हिन्दु, भारतीय नागरिक, ... - लेखकारी चतुर्थ पक्ष

5) श्री कृष्णा मुरारी साह वल्द श्री गणेश लाल साह



निवासी ग्राम - रूपसपुर, थाना - दानापुर, जिला पटना पेशा - व्यापार, धर्म - हिन्दु भारतीय नागरिक।
.....लेख्यकारी-पंचम पक्ष

6) श्री पोथानारायण साह पिता श्री गणेश लाल साह निवासी ग्राम रूपसपुर, थाना - दानापुर, जिला - पटना, पेशा व्यापार, धर्म हिन्दु, भारतीय नागरिक।
.....लेख्यकारी षष्टम पक्ष

2) नाम लेख्यधारीगण : आपस में वहक एक दुसरे के।
3) लेख्य प्रकार : यादाश्त बटवारा।
4) पूर्ण विवरण संयुक्त सम्पत्ति जिसका खानगी बंटवारा हिस्सेदारों के बीच पुर्व में हुआ था जिस पर बटवारा से बंटकर हिस्सेदारों के अलग, अलग मालिक के रूप में उस समय से कब्जा दखल रहता चला आया।

मौजा	खाता सं.	तौजी सं.	खेसरा सं.	एराजी
	369		158	8 कट्ठा 9 धुर
	48		200	5 कट्ठा 18 धुर 9 धुरकी
	48		181	5 कट्ठा 2 धुर 7 धूरकी
	32		232	9 कट्ठा 6 धुर 15 धूरकी
	48		275	13 कट्ठा 13 धूर 18धूरकी
	688		648	2 कट्ठा 8 धुर 1 धूरकी
	369		1108	2 कट्ठा 9 धूर
	562		1112	7 कट्ठा 2 धुर 16 धूरकी
	432		415	3 कट्ठा 5 धूर
	136		1280	9 कट्ठा 6 धूर

मजदून

यह कि स्व. नानकसाही साव लेख्यकारी संख्या एक के पिता थे जिनको दो पुत्र गणेश लाल साह लेख्यकारी संख्या एक एवं सीताराम साह उत्पन्न हुए। सीताराम साह को कोई पुत्र नहीं था सिर्फ दो पुत्रियाँ तपेश्वरी देवी एवं पार्वती देवी है जो शादीशुदा है और अपने अपने ससुराल में रहती है।

यह कि लेख्यकारी संख्या एक गणेश लाल साह की शादी लेख्यकारिणी संख्या 2 लक्ष्मीनिया देवी के साथ हुई है और लेख्यकारी संख्या 3 से 6 लेख्यकारी संख्या 1 एवं 2 से उत्पन्न पुत्रगण है । नानक साही साह जमानादराज हुआ की अपने दो पुत्र गणेश लाल साह एवं सीताराम साह के साथ संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते हुए लेख्यकारी संख्या 3 से 6 के बचपन में ही स्वर्गवास हो गये और पिता के मृत्यु के बाद गणेश लाल साह लेख्यकारी संख्या 1 एवं सीताराम साह अपने शाखा के कर्ता के रूप में संपूर्ण पैतृक एवं सभी संयुक्त सम्पत्तियों का बटवारा आपस में स्वेच्छा से अपने अपने हिस्सा के अनुसार दो हिस्से में सन 1960, 2 फरवरी में कर लिया था। सीताराम साह अपने आठ आने के हिस्से में मिले हुए सम्पत्तियों पर मालिक के रूप में काबिज हुए और अपने बटकर मिले हुए सम्पत्ति को बटवारा के बाद अपने दो पुत्रियों तपेश्वरी देवी एवं पार्वती देवी को दान स्वरूप दे दिया था और उन्हें बख्शीश देकर मालिक बना दिया था। सीताराम साह की मृत्यु हो गई और उनको बटकर उनके आठ आने के हिस्से की मिली हुई सम्पत्ति पर उनके दोनो पुत्रियों का अलग कब्जा दखल रहता चला आ रहा है।

यह कि बंटवारा से बटकर अलग मिले हुए अपने हिस्से की सम्पत्ति पर गणेश लाल साह एवं उनके पुत्रगण एवं उनके पोता संयुक्त रूप से सम्पत्तियों पर काबिज दाखिल जिसका पूर्ण विवरण इस यादास्त के जमीया संख्या 1 में दिया गया है। वे लोग उसपर मालिक के रूप में काबिज दखिल रहते चले आ रहे हैं।

यह कि लेख्यकारी संख्या 1 एवं उनके पुत्रों के बीच परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गयी और आपस में एक साथ नहीं रहने लगे। परिवार के सदस्यों के बीच मामूली बातों को लेकर भी एक-दुसरे से आपस में विवाद हो जाया करता था। लेख्यकारी संख्या 1 एवं लेख्यकारी संख्या 2 के पुत्र अपने अपने पत्नियों के दबाव में रहने लगे जिससे संयुक्त परिवार को लेकर एक साथ चलना लेख्यकारी संख्या 1 के लिए मुश्किल होने लगा। अत एंव लेख्यकारी संख्या 1 एवं 2 ने यह राय कायम किया कि आपस में संयुक्त की पूर्ण सम्पत्तियों को बांटकर अलग-अलग सम्पत्ति का आवंटन हर

एक हिस्सेदारी को उनके हिस्से में कर दिया जाए ताकि वे लोग अपना-अपना अलग अलग परिवार का प्रबन्ध एवं अपने-अपने हिस्से की मिली हुई सम्पत्ति का प्रबन्ध मालिक होकर करें और अपने अपने आमदनी को प्राप्त करते रहें।

यह कि लेख्यकारी संख्या 1 ने अपने पुत्रों से पारिवारिक स्थिती को स्पष्ट करते हुए इन लोगों से आपस में सहमती से सम्पूर्ण संयुक्त सम्पत्तियों को हिस्से के अनुसार बटवारा करने को कहा और लेख्यकारी संख्या 1 के चारों पुत्रों ने में भी आपस में हिस्से के अनुसार संयुक्त सम्पत्ति को जो नानक साही साह से प्राप्त था तथा बंटवारा के द्वारा उन्हे प्राप्त है जो सीताराम साव से बंटकर सम्पति मिली है उसे आपस में बंटवारा कर लेना स्वीकार किया। इसके अलावे जो भी संयुक्त की सम्पति गणेश लाल साह ने अर्जित किया है उन सभों का बंटवारा भी आपस में कर लेने को लेख्यकारीगण तैयार हुए। अतएवं लेख्यकारीगण प्रथम पक्ष से लेकर लेख्यकारी षष्टम पक्ष ने संयुक्त परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्तियों का हिस्से के अनुसार छः बराबर हिस्से में मालियत के अनुसार खानगी तौर पर छः भाग में अलग अलग तखता निकाल कर खानगी तौर पर दिनांक 01.01.2002 को बटवारा कर लिया था और हर एक हिस्सेदार को अलग उसके हिस्से की सम्पत्ति बंटवारा कर आवंटित करके दे दिया गया था और बंटवारा करके अपने अपने हिस्से में बटकर खास तख्ते मिले हुए सम्पत्ति पर हर एक हिस्सेदार निरंकुश मालिक के रूप में अलग अलग कब्जा दखल में रहते चले आ रहे है। लेख्यकारीगण के बीच आपस में दिनांक 01.01.2002 को खानगी तौर पर वार्ड मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा हो गया था किन्तु बटवारा का कोई लिखित प्रमाण लेख्यकारीगण के पास नहीं है जिस कारण लेख्यकारीगण को बाँटकर मिले सम्पति का अलग-अलग जमाबंदी कायम कराने में दिक्कत हो रही है। साथ ही लेख्यकारीगण को ऐसा आशंका होने लगा है कि कोई भी हिस्सेदार खानगी बंटवारा के विरूद्ध कोई दावा भविष्य में कर दे। ऐसी आशंका लेख्यकारीगण के मन में उत्पन्न होती रहती है अतएवं सभी लेख्यकारीगण ने यह इच्छा जाहिर किया कि पूर्व में किए गए आपसी खानगी बंटवारा का एक कागज बतौर यादास्त लिखकर हर एक हिस्सेदार अपने हिस्से में बांटकर मिले हुए सम्पत्ति का लिस्ट बनवाकर प्रत्येक हिस्सेदार आपस में बंटवारा से मिले अपनी निरंकुश सम्पत्ति को स्वीकार कर लें तथा सभी पक्ष आपस के बंटवारा किये जाने की तथ्य को यादास्त बंटवारा में अंकित कराकर उस पर अपना अपना हस्ताक्षर बना दें ताकि भविष्य में हिस्सेदारों के बीच या उनके उत्तराधिकारीगण के बीच पुनः बंटवारा करने का गलत दावा खड़ा करने का किसी हिस्सेदार को मौका नहीं मिले।

इसलिए लेख्यकारीगण प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष, चतुर्थ पक्ष, पंचम पक्ष एवं षष्ठम पक्ष ने अपने-अपने हिस्से में खानगी बंटवारा में बंटकर मिले हुए अपनी सम्पति का विवरण इस यादास्त में लिखवा रखे हैं और स्वीकार करते हैं कि हर एक पक्ष निरंकुश मालिक के रूप में इलहदा बांटकर मिले अपने तख्ते की सम्पति पर काबिज दखिल रहता चला आ रहा है और लेख्यकारी संख्या तीन से छः के प्रत्येक पक्ष को बंटवारा से जो सम्पति मिला था उसपर उनलोगों का अपने-अपने पुत्रों एवं पिता के साथ संयुक्त कब्जा दखल रहता चला आ रहा है।

यह कि खानगी बंटवारा से बांटकर खास हिस्सा एवं तख्ता में जो सम्पति लेख्यकारी संख्या एक को मिला था उस पर लेख्यकारी संख्या एक मालिक के रूप में अलग कब्जा दखल में आये थे वो रहते चले आ रहे हैं जिसका वर्णन इस यादास्त के जमिमा नं० 'क' में नीचे किया गया है। उसी प्रकार आपसी खानगी बंटवारा से बांटकर जो सम्पति खास हिस्सा एवं तख्ता में अलग-अलग लेख्यकारी संख्या दो तथा लेख्यकारी संख्या तीन से छः को मिला था जिसपर वे लोग अलग अलग कब्जा दखल में रहते चले आ रहे हैं। उसका विवरण इस यादास्त के जमिमा नं० 'ख', 'ग', 'घ', 'ङ' और 'च' में नीचे दर्ज किया जाता है। खानगी बंटवारा से बंटकर अलग-अलग हिस्से वो तख्ते में मिले हुए सम्पतियों के अतिरिक्त कोई भी सम्पति लेख्यकारीगण के बीच संयुक्त की बंटवारा के लिए बाकी नहीं रह गई है और न उसका बंटवारा बाकी है। जो भी लेख्यकारी अपना निजी कारोबार करके अपनी निजी कमाई से सम्पत्ति अर्जित किया है, वह उनकी निजी सम्पत्ति है और वह बंटवारा योग्य नहीं है।

इसलिए लेख्यकारीगण अपने-अपने स्वेच्छा से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थता कि स्थिति में रहते हुए अपने-अपने निर्देश पर इस यादास्त बंटवारा के मजमुन को लिखवाकर एवं पढ़वाकर सुन समझ लिया और सही पाकर इस यादास्त बंटवारा पर अपना अपना हस्ताक्षर बना कर अपने-अपने हिस्से में पूर्व में बंटकर मिले हुए सम्पतियों को स्वीकार करते हैं। लेख्यकारीगण अपने उपस्थिति में इस यादास्त बंटवारा पर गवाहों से गवाही बनवा देते हैं कि प्रमाण रहे। विदित हो कि इस वसिका यादास्त बंटवारा को छः प्रतियों में सही सही यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया गया है जो सभी प्रतियों साक्ष्य के लिए मूल समझी जायेगी एवं सामान है। एक प्रति मुल स्टाम्प पर तैयार किया गया है और अन्य प्रतियाँ उसकी हुबहु प्रतियाँ है किन्तु साक्ष्य के लिए सभी प्रतियाँ मुल समझी जायेगी। यादास्त बंटवारा की मुल प्रति लेख्यकारीगण संख्या- 2 लक्ष्मीनीया देवी को दिया गया और अन्य लेख्यकारी

को उसकी प्रति निष्पादन कर एवं उसपर पक्षों द्वारा हस्ताक्षर बनाकर दे दिया गया है कि वक्त पर प्रमाण रहे।

जमीमा नं० 'क'

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण जो लेख्यकारी संख्या एक गणेश लाल साह को अपने खास हिस्से वो तख्ते में बटकर मिला था एवं उनके कब्जा में है।

खाता नं०	प्लौट नं०	एराजी
369	1108	2 कटठा 2 धूर

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
पईन	ब्रहमदेव सिंह	शिवपुजन साव	पार्वती देवी प्लौट नं०1108 पार्ट
562	1112		7 कटठा 3 धूर

चौहद्दी:-

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
विशुनदेव सिंह	भगवान दास	राजनाथ सिंह	आहर पैईन

जमीमा नं० 'ख'

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण जो लेख्यकारीणी संख्या दो लक्ष्मीनिया देवी को अपने खास हिस्से वो तख्ते में बटकर मिला था एवं उनके कब्जे में है।

खाता नं०	प्लौट नं०	एराजी
432	415	3 कटठा 5 धूर

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
रामगती सिंह	पार्वती देवी/ तापेश्वरी देवी	दुखु सिंह	विमल सिंह

जमीमा नं० 'ग'

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण जो लेख्यकारीणी संख्या तीन राम इकबाल साह को अपने हिस्से वो तख्ते में बटकर मिला था एवं उनके कब्जे में है।

खाता नं०	प्लौट नं०	एराजी
369	158	2 कटठा 17 धूर

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
प्लौट नं०123	गोला रोड	पार्ट प्लौट 158 + रोड	कृष्ण मुरारी साव 2 कट्ठा 12 धूर

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
पोख नारायण साह	कृष्ण मुरारी साह	जित नारायण सिंह	15' रास्ता के बाद लाल बहादुर प्रसाद

48 275 4 कट्ठा 1 धूर 10 धूरकी

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
पोख नारायण साह + प्लौट नं०281	पूरब खत	12 धुर का रास्ता	प्लौट नं० 277

खाता नं०	प्लौट नं०	एराजी
688	648	16 धूर 10 धूरकी

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
पोख नारायण	प्लौट नं० 649	पोद्दार फक्ट्री	रोड

136 1280 2 कट्ठा 6 धूर 10 धूरकी

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1277 प्लौट नं.	पार्वती देवी एवं तपेश्वरी देवी	वाली साव	प्लौट नं. 1275 एवं 1276

जगीरा नं० 'ध'

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण जो लेख्यकारिणी संख्या चार श्री वाली साव को अपने हिस्से वो तख्ते में बटकर मिला था एवं उनके कब्जे में है।

खाता नं०	प्लौट नं०	एराजी
48	200	5 कट्ठा 18 धूर 9 धूरकी

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
प्लौट नं. 199	गोला रोड	प्लौट नं. 196	प्लौट नं. 199

48 181 5 कट्ठा 2 धूर 7 धूरकी

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
प्लौट नं. 309	प्लौट नं. 182	प्लौट नं. 180	रास्ता

136 1280 2 कट्ठा 6 धूर 10 धूरकी

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण

ब्रह्मदेव सिंह पार्वती देवी एवं ब्रह्मदेव सिंह प्लौट नं. राम
तपेश्वरी देवी इकबाल साह

जतीया नं० 'ङ'

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण जो लेखाकारिणी संख्या पाँच श्री कृष्ण मुरारी साह को अपने हिस्से की तरफ से लेकर मिला था एवं उनके कब्जे में है।

खाता नं० 369 — प्लौट नं० 158 — एराजी 2 कट्ठा 17 धूर

चौहद्दी:
पुरब: प्लौट नं. 123 — पश्चिम: गोला रोड — उत्तर: रामइकबाल साह — दक्षिण: घोख नारायण साह
232 — 2 कट्ठा 18 धूर

खाता नं० 32 — प्लौट नं० 275 — एराजी 4 कट्ठा 10 धूर 10धुरकी

चौहद्दी:
पुरब: रामइकबाल साह — पश्चिम: पार्वती देवी एवं तपेश्वरी देवी — उत्तर: जितनारायण सिंह — दक्षिण: 15 फिट रास्ता के बाद लाले बहादुर प्रसाद

खाता नं० 48 — प्लौट नं० 273 — एराजी 648

चौहद्दी:
पुरब: प्लौट नं. 272 — पश्चिम: पार्वती देवी एवं तपेश्वरी देवी — उत्तर: 12 फिट रास्ता के बाद राम इकबाल साह — दक्षिण: 15 धुर

खाता नं० 688 — प्लौट नं० 1280 — एराजी 2 कट्ठा 6 धूर 10 धुरकी

चौहद्दी:
पुरब: नहर — पश्चिम: घोख नारायण साह — उत्तर: पोल्ट्री फैक्ट्री — दक्षिण: रोड
136

खाता नं० 1277 — प्लौट नं० — एराजी

चौहद्दी:
पुरब: — पश्चिम: पार्वती देवी एवं तपेश्वरी देवी — उत्तर: रामइकबाल साह — दक्षिण: घोखनारायण साह

जतीया नं० "च"

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण जो लेखाकारिणी संख्या षष्टम श्री घोखनारायण

साह को अपने हिस्सा में रास्ते में बंटवारा मिला था एवं उनके कब्जे में है।

खाता नं०	प्लौट नं०	एराजी
369	158	2 कट्ठा 17 धूर

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
प्लौट नं. 123	गोला रोड	कृष्ण मुरारी साह	प्लौट नं. 159

32	212	2 कट्ठा 12 धूर

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
प्लौट नं.234	रामइकबाल साह	शिवनारायण सिंह	15 फिट रास्ता के बाद झोली बहादुर प्रसाद

48	265	4 कट्ठा 1 धूर 10 धुरकी

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
रास्ता	12 फीट का रास्ता एवं रामइकबाल साह, कृष्णामुरारीसाह	12 फिट रास्ता के बाद प्लौट नं. 273	प्लौट नं. 283

688	648	16 धूर 10 धुरकी

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
कृष्णमुरारी साह	रामइकबाल साह	पोद्दार फैक्ट्री	रोड

136	1280	2 कट्ठा 6 धूर 10 धुरकी

चौहद्दी:

पुरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1277 प्लौट नं.	पार्वती देवी एवं उमेश्वरी देवी	कृष्णमुरारी साह	1275 प्लौट नं. एवं 1276

सेवा में,

जिला अवर निबंधक महोदय,

जिला अवर निबंधन कार्यालय, पटना सदर, पटना

विषय :- स्थल निरिक्षण कराने के सम्बंध में,

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं मौजा ....., थाना - दानापुर, जिला पटना, स्थित रकबा ..... जमीन जिसका सर्वे खेसरा सं0 - ....., खाता सं0 - ....., अन्दर थाना नं0 - ..... है का विकास एकरारनामा का निबंधन आपके कार्यालय में करवाना चाहता हूँ, जिसका स्थल निरिक्षण मैं अपने स्तर से सम्बंधित निबंधन कार्यालय से करवा लूगाँ। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विकास एकरारनामा का निबंधन करने की कृपा की जाए । इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा।

आपका विश्वासभाजन

792
28.8.15

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र)

नाम ..... ग्राम .....

थाना ..... जिला .....

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	
				एकड़	डि०
		108	1297	1125	

आवेदक का हस्ताक्षर

कर्मचारी का प्रतिवेदन

कार्यालय का मुहर

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा वगै
थाना वो थाना नम्बर

00680506 2935

[illegible]	[illegible]	[illegible]

असली नगदी [illegible] असली पावती [illegible]

1125 [illegible]	[illegible]

जोत का सालाना मांग वगै तफसील (बकाया वो [illegible])

2015-16 मांग बाबत	सालाना	बकाया				साल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
मालगु... (नकदी)	1.00				4.00	1.00
गुजारी (मालती)	0.25				1.00	0.25
सेस	0.50				2.00	0.50
*सूद	0.50				2.00	0.50
मुतफरकात	0.20				0.80	0.20
मीजान	2.45				9.80	2.45

तफसील अदायकारी

2015-16 अदायकारी बाबत	बकाया				मीजानलगा साल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
मालगु... (नकदी)				0.00	1.00	
गुजारी (मालती)				1.00	0.25	
सेस				2.00	0.50	
*सूद				2.00	0.50	
मुतफरकात				0.80	0.20	
मीजान अदायकारी				9.80	2.45	= 12.25

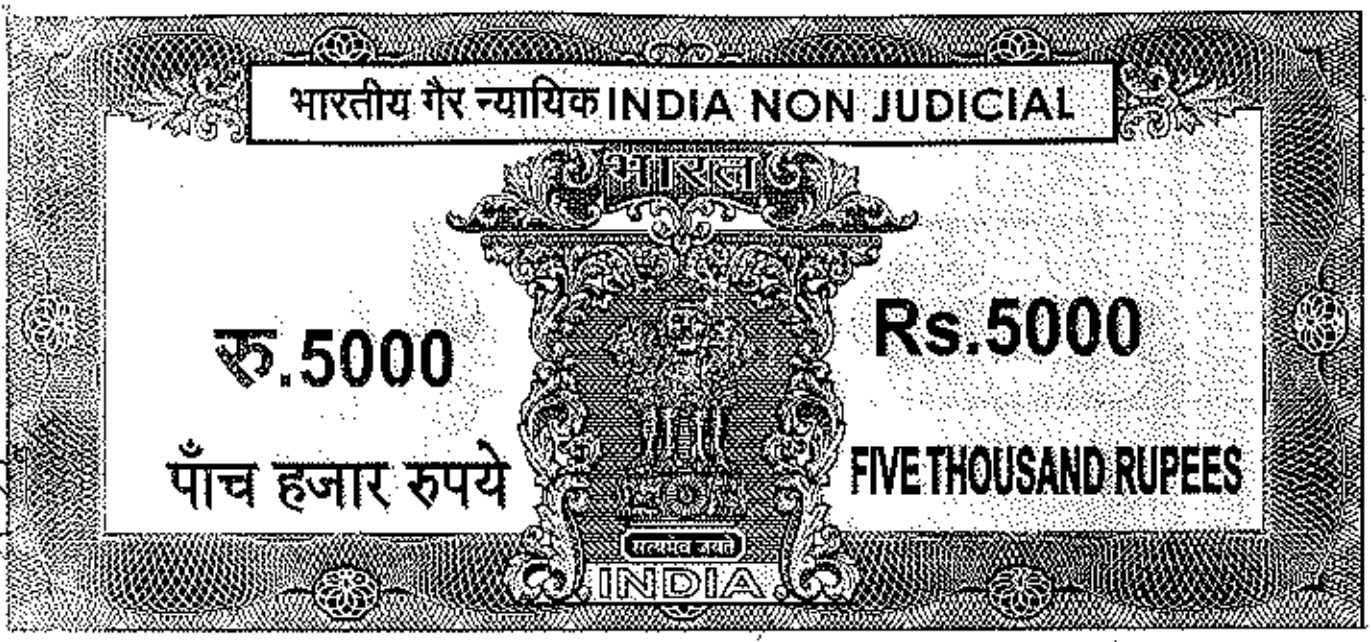
(1) मीजान कुल (अक्षरों में) [illegible]
(2) नाम देहिन्दा [illegible]
(3) कुल बकाया [illegible]

दस्खत वो तारीख अमला तहसील [illegible]

12/8/15

* [illegible] मालगुजारी पर (अलावा ऐसे बकायों पर जि[illegible]

Serial No. 4183 Book No.- 1 / Deed No. - 3512



बिहार BIHAR 415487

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Wednesday, the 17th of February 2010 by Vibhav Kumar Sinha.

A stamp duty of Rs. 33700/- and other fees of Rs. 9623/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 3512 in Book No. 1 , Volume No. 56 on pages from 77 to 84 and has been preserved in total 8 pages in C.D. No. 9 / Year 2010 .

Signature with date
(Ajay Krishna Mishra)
Registering Officer, Patna

Date : 17/02/2010 Token No. : 4210 / 2010

ॐ

1. नाम मनमोकिर एवं पुरा पता :–

श्री विभव कुमार सिन्हा वल्द श्री बृजभुषण सहाय, निवासी ग्राम–जमीरा (आरा), पोस्ट–जमीरा, थाना–मुफसील जेला–भोजपुर, भारतीय नागरिक।

Serial No : 4183
Token No : 4210

Deed No : 3512
of 2010

Type & Status of Party	Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
In Favour of	*Sangeeta Kushwaha*						
	Signature of Party						
Presented by Self	*Vibhav Kuma: Sinha*						
	Signature of Party						
Executed by	*Vibhav Kumar Sinha*						
	Signature of Party						
Identifier	*Dhruv Kr. Budhpriya*						
	Signature of Party						

2. नाम मोकिर अलैहा एवं पुरा पता :-

श्रीमती संगीता कुशवाहा जौजे श्री विजय कुमार सिंह, साकिन-जक्कनपुर, थाना-जक्कनपुर, जिला-पटना, वो स्थाई पता ग्राम वो थाना-संझौली, जिला-रोहतास (बिहार), भारतीय नागरिक।

3. किस्म बसीका :-

निर्विवाद विक्रय पत्र (केवाला बैयला कलामी)।

4. तायदाद जरे मालियत तखमीनन :-

मो0 4,20,000/- (चार लाख बीस हजार रुपया) मात्र।

5. तफसील जायदाद शैय मोवईया :-

हमगी वो तमामी मवाजी 1125 वर्गफीट (एक हजार एक सौ पच्चिस वर्गफीट) एयजी हकियत जास्त रैयती कायमी बसीगें जगदी लायक सकना अवस्थित बाके मौजा - धनौत आदर्श कॉ0, सर्वे थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर वो सदर निबंधन कार्यालय तो जिला - पटना सलाना लगान मो0 - 50 पैसा, अलावे शेष बजमीन्दारी बिहार सरकार बजरिये अंचलाधिकारी दानापुर, जिसका तौजी नं0 - 5553, थाना नं0 - 20 (बीस), खाता नं0 - 108 (एक सौ आठ), वो जुजो खेसरा वो सर्वे प्लौट नं0 - 1297 (एक हजार दो सौ संतानवे), समिति प्लॉट नं0-ए0-21 है, जो पटना क्षेत्रीये विकास प्राधिकार क्षेत्र के अन्दर है वो जिसका पैमाईश वो चौहदी हस्व जैल है :-

-:: पैमाईश ::-

उत्तर - 25 फीट 00 इंच

दक्षिण - 25 फीट 00 इंच

पूरब - 45 फीट 00 इंच

पश्चिम - 45 फीट 00 इंच

(3)

--:: चौहद्दी ::--

उत्तर	–	16 फीट समिति रास्ता जिसमें 8 फीट खरीदार वो 8 फीट सामने के खरीदार अपने-अपने भूमि से छोड़ेगें
दक्षिण	–	पार्ट प्लॉट नं0-1297
पूरब	–	श्री बिजेन्द्र सिंह एवं श्री जीतनारायण सिंह
पश्चिम	–	श्रीमती रूपम कुमारी

--:: सन्दर्भ ::--

अजाजां के जायदाद मुन्दर्जे खाना नं0 – 5 वसीका हाजा मनमोकिर के खास खरीदारी सम्पत्ति है। जिसे मनमोकिर ने बजरिये वसीका केवाला बैयला कलामी मरकुमा तारीख – 16.03.1992 ई0 को बखिस्ते कृष्णा सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 पटना, रजिस्ट्रेशन नं0-75/पैट/1988 ई0 अवैतनिक सचिव श्री सुधीर कुमार सिंह, वल्द श्री सैबी प्रसाद सिंह, साकिन-राजवंशी नगर, पोस्ट वो थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना, से मबाजी 1125 वर्गफीट भूमि खरीदकर किये जिसका बुक नं0-1, जिल्द नं0-34, पेज नं0-551 से 558, वसीका नं0-9093 वर्ष 1992 ई0 रजिस्ट्री ऑफीस दानापुर है। वो तारिख खरीदारी से मनमोकिर काबिज दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते चले आते है वो है। वो नाम मनमोकिर का बसिरिस्ते जमिन्दारी बिहार सरकार जमाबन्दी नं0- 2935 वर्ष 2002-03 ई0 है वो सम्पति हर प्रकार के स्वत्वदोष वो ऋणभार से मुक्त है।

लेहाजा मनमोकिर के जरूरत वो हाजत रुपयों के वास्ते खरीदने दिगर जायजाद वो करने व्यवसाय वो अन्य दीगर खर्च जरूरी के लाहक वो हाल है वो वगैर करने मामला विक्रय के रुपयों का प्रबंध वो समान होना जैबएखास गैर मुमकिन वो दुश्वार है, इसलिए मनमोकिर अपने समाम कार्यो का अंजाम देना उचित वो मुनासिब समझ बुझकर वो अपने सभी दूर वो नजदीक के हितैषियों से सलाह वो मशविरा कायम करते हुए सराहत खाना नं0 – 5 की वर्णित सम्पत्ति (भूमि) निर्विवाद विक्रय वास्ते सरेआम ऐलान कर दिये,

बीच-बीच में प्रचार – प्रसार करवाये परन्तु अन्य कोई भी शख्स इस वसीका के कुल अंकित जरसमन पर क्रय वास्ते राजी वो तैयार नहीं हुये अन्तोगत्वा मनमोकिर खाना नं0 – 2 के मोकिर अलैहा से सम्पर्क कायम कर वो बातचीत के जरिये कुल मयाजी 1125 वर्गफीट परती भूमि मो0 4,20,000/– (चार लाख बीस हजार रुपया) में फरोख्त करने की बातचीत पोख्त पज कर लिये जो जमाने के लेहाज वो बाजार दर से उचित वो मुनासिब है।

अंजाजा के मनमोकिर सराहत खाना नं0 – 5 की वर्णित सम्पत्ति सभी तरह के बुक्श हकियत ऋणभार वो अन्य दीगर इन्तकाल वगैरह से पाक वो साफ करार घोषित करते हुये, बेला किसी सिरकत वो दबाव के वो स्वस्थ चीत अवस्था में बवक्त सही बनाने उपर वसीका बैय हाजा के कुल जरसम्मन खरीदार से नगद वसुल पाकर बैय का निष्पादन स्वीकार किया वो केवाला बैयला कलाली बनाम वो वहक मोकिर अलैहा खाना नं0 – 2 को लिख दिया वो उपर के शैयमोवईया हाजा पर मनमोकिर बजाए अपने मोकिर अलैहा को मालीक मुस्तकिल के गरदाना दिया वो अपना दखल कब्जा मोकिर अलैहा को दे दिए। अब मोकिर अलैहा को चाहिये की शैयमोवईया हाजा पर मालीक मुस्तकिल वो काबिज दाखिल होकर वो रहकर अपने मशरफ वो तसरुफ में लावे, वो जरुरत के मोताबिक अपना नाम वएखराज नाम मनमोकिर बसिरिस्तें जमीन्दारी बिहार सरकार के कार्यालय में नामांकित करा कर सलाना मालगुजारी रसीद अपने नाम से कटा लें । अब जो कुछ हक वो हकुक शैयमोवईया हाजा में मनमोकिर वो वारिसान को हासिल है या आइन्दा हासिल होता वह सब कुल हक वो हकुक बेला तफरका अज के तारीख से मोकिर अलैहा को हासिल हुआ वो आइन्दा हासिल होता रहेगा।

अजांजा के मनमोकिर, मोकिर अलैहा को पूर्ण विश्वास दिलाते हुवे कहा कि अगर सराहत खाना नं0 – 5 का वर्णित सम्पत्ति किसी कारण वश दोषी पाई गई या मोकिर अलैहा को दखल से बेदखल हो जाना पड़े तो उसकी सारी जिम्मेवारी वो जवाब देही मनमोकिर

वो वारिसान वो कायम मोकामियान की होगी, उस समय मोकिर अलैहा को पूरा हक वो दावा होगा कि कुल जरसम्मन मनमोकिर के नामी या बेनामी चल या अचल सम्पत्ति से मय सूद तावान हर्जा खर्चा के साथ वसूल वो बेबाक कर लेवेगी, जिसमें मनमोकिर वो वारिसान वो कायम मोकामियान को कोई उजूर वो एतराज नहीं होगा, अगर इसके खेलाफ खाह कुदामी वारिसान कायम मोकामियान किसी उनवान वो ब्यान से किसी किस्म का दावा वो उजूर वनिस्बत जायदाद साथ मोकिर अलैहा के पेश करे, तो बामुकाबले वसीका बैय हाजा तमाम तर-रद्द वो बातील वो नजायज मुतसौवर होगा वो समायत किसी अदालत के न होगी।

इस वास्ते मनमोकिर बहालत सेहत जात वो सबात अकल वो बदुरुस्तगी होश वो हवास में, वो बेलादैन जब्र वो दबाव के वो नाजायज किसी दुसरों के डेराने, धमकाने, बहलाने वो फुसलाने बल्कि महज अपने खुशी वो खाहिस से वो स्वस्थ चीत अवस्था में अपने सभी प्रकार के नफा वो नुकसान समझ बूझ कर बनाम वो बहक मोकिर अलैहा खाना नं0 - 2 को निर्विवाद विक्रय पत्र का निष्पादन कर दिया वो केवाला वैयाला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

तहरीर तारीख :- 17/12/2010

वीर बहादुर सिंह
पटना समाहरणालय, पटना

17/12/2010

INDIA
TEN RUPEES

बंटवारानामा (विभाजन पत्र)
(Deed of Partition)

X

भाग

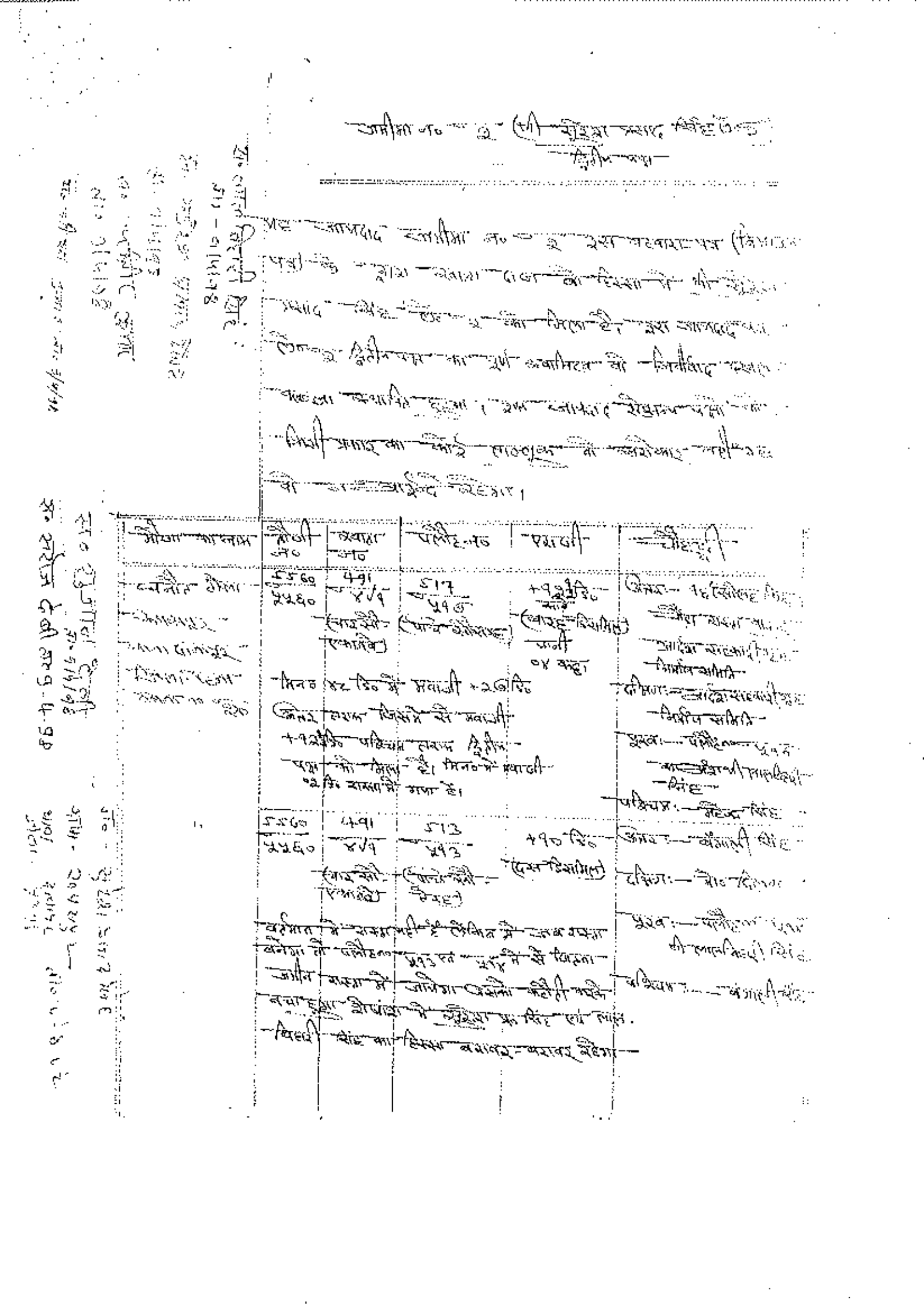
पंचम पक्ष

षष्ठम पक्ष

80

	5560	491	514	+10 दिन	
	4460	479	498		

(वर्तमान में यह... नहीं है... अधिक...)



		1217 / 1284	129 / 1284		
		1283	129		

खतियान नं० — (श्री मति — देवी ...)
— ... पत्र —

... विभाजन पत्र — ... खतियान नं० ... — ... — ... — ... — ... — ... — ... — ... [illegible]

— ... प्रमाण — ... — ... [illegible] ।

... — ... — ... — ... — ... — ... — ... [illegible]

— ... — दिया ।

मौजा का नाम	तौजी नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	किस्म	दखलकार	सूद	मंतव्य
... नारायणपुर, थाना नारायणपुर, जिला ... पटना, थाना नं० 20	5557 / [illegible]	355 / [illegible]	1856 / [illegible]; 1857 / [illegible]	[illegible] डि०	[illegible]	[illegible]	प्लॉट नं० [illegible]	[illegible]
"	5557 / [illegible]	355 / [illegible]	147 / [illegible]	40.68 डि०	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
"	5557 / [illegible]	355 / [illegible]	142 / [illegible]	[illegible] डि०	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

आमीन नम्बर (श्री प्रतीक आनंद [illegible])

[illegible] आमीन [illegible] विभाजन पत्र [illegible] दावा [illegible] हिस्सा [illegible] प्रतीक आनंद [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हिस्सा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आमीन [illegible] हिस्सा [illegible] (मिलान)

मौजा का नाम	[illegible] नं०	खाता नं०	[illegible] नं०	रकबा	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	५५५७ / ४४२६	३८५ / [illegible] (तीनसौ [illegible])	१८५७ / [illegible] ([illegible])	०.३[illegible] डि ([illegible])	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
"	५५५७ / ४४२६	३५५ / ३४४ (तीनसौ [illegible])	१४७ / १४७ ([illegible])	१०.२८ डि ([illegible])	[illegible] ७४७ [illegible]	राजकुमार [illegible] सहकारी गृह निर्माण समिति	आलेश्वरी साव	२०' ([illegible]) [illegible]
"	५५५७ / ४४२६	३५५ / ३४४	१२१ / १२८	०.५२८ डि ([illegible])	[illegible] १२८ [illegible]	राजकुमार सहकारी गृह निर्माण समिति	[illegible] सहकारी गृह निर्माण समिति	२०' ([illegible]) [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

पूरब पश्चिम ८' (नवादी) [illegible]
[illegible] उत्तर दक्षिण ४२' [illegible] है।

[illegible] पद्मा
[illegible] श्री [illegible] देवी [illegible]

असवदमी:-

यही लाल बिहारी सिंह मैं प्रमाणित करता हूँ कि दोनों बालिका एक दूसरे के अनुकूल है। ता:- 9/4/98

यही हरेराम प्रसाद सिंह के प्रमाणित करता हूँ कि दोनों बालिका एक दूसरे के अनुकूल है। ता. 9/4/98

यही अनिल कुमार मैं प्रमाणित करता हूँ कि दोनों बालिका एक दूसरे के अनुकूल है ता 9/4/98

यही सुशान्त देवी मैं प्रमाणित करती हूँ कि दोनों बालिका एक दूसरे के अनुकूल है। ता: 9/4/98

यही सरोज देवी मैं प्रमाणित करती हूँ की दोनों बालिका एक दूसरे के अनुकूल है ता: 9. 4. 98

वधू वर मरीक्षा - V-4-VV-26

वाद सं0-2405

सन्-- 31 ब्या

1-नाम मोकिरान :-

1-श्री रामधीन सिंह
2-श्री राम स्वारथ सिंह | पैरवान श्री अनुरुद्धन सिंह वे कृष्णदास

---- --- ---- ---- फरीक डेप्पल

3-श्री प्रहमदेव सिंह पल्क पापु धुलदीप सिंह जीविन
4-श्री ब्रनन्दन सिंह
5-श्री विशनन्दन सिंह | पैरवान पापु धुंधा सिंह वैकुण्ठदास

---- ---- ---- फरीक दोयम

स्वनाम अयोध्या धुमी साकिनान मौजा -ब्यसपुर थाना दानापुर जिला पटना पेशादारानम कास्तकारी ।

2-नाम मोकिरलेह :-

आपस में पक्ष एक दूसरे फरीक

3-दिवानि जनिया :-

तवाजलालाना ब्यक्तैन्

4-तारीखवार कार्रवाई :-

स्वमान मो0 1500/-ब्यवा विविधुल नं0-1 वो मो0 1500/- ब्यवा विविधुल नं0-2

5-पुराना तैय तथापना :-

विविधुल नं0-1 वो फरीक डेप्पल ने फरीक दोयम को दिया ।

अभियुक्त 70 दिवसीय सरजी अपना रैकी अपनी साथियों सहित के विरुद्ध गोलबन्दी संगठित सं0 8 अथवा 6 आम 10 दि० आपसे कोई है पाके मौजा-धारि टोला अमसुर थाना फुलवारी थाना को 24 रजिस्ट्री दानापुर सदर रंजिस्ट्री से जिला पटना पत्रांकित सं0-5553 थाना सं0-20 को धारा सं0-129 सं0रिये अंचल अधिकारी मोकाम दानापुर पटना ।

धारा	धारा	ए-डी०	पौछी
129	1277	×-30	30-मक्खन सिंह
दिन० 1	0065 डी० में मध		40-नरेश पासवान अन्य-रहजाना
सुबह			40-धनपत सिंह
			40-मोनसाही साव
"	1283	×-40	30-श्री भगवान
			40-मोनसाही साव
			40-
			40-सोदागर सिंह

दिनांक-- 70 डी०

2.अभियुक्त 4 दिवसीय सरजी सकार मध मकान आम आदेशपोत्र अरारता सरजी मजदूर मध पौछ केवट को वांस पत्नी को दीनर सुमरा अमरा मध छप सकुनाको मोकामवत को छक अरापस वाके मौजा धारि टोला अमसुर थाना फुलवारी थाना दानापुर मध रजिस्ट्री दानापुर सदररंजिस्ट्री को जिला पटना पत्रांकित सं0-5553 थाना सं0-20

धारा	धारा	ए-ए	पौछी
307	353	4 डी०	30-केवल सिंह वगैरह
दिन० 6 डी० आपत्ति पुरुष			40-धनी
			40-धनी
			30-[illegible]

शिड्यूल नं0-2 की फरीक सोयम ने फरीक अव्वल के खिलाफ

है ।

मवाजी 26 बिसवांसी परगना अवध रेजी आबादी मौजे गजरी के जिसकी मालगुजारी सालानामो 8 रुपया 14 आना अलावे मोघ है पाने मौजा खोर दोला रघुवर प्रसाद पुकारी आना दरियापुर तप रजिस्ट्री दरियापुर ऊपर रजिस्ट्री की मिसल पटवा बहीजी नं0-5557 फसली नं0-20 आना नं0-365 की कुरासवें नं0-140 जमींदारी बिसवर सरकार खारिजे अंक अधिकारी मौकाम दरियापुर ।

उत्तर-दुलार सिंह
दक्षिण-त्रिभुवन सिंह
पुरब-रामबरन सिंह
पश्चिम-राम पुकार सिंह

यूं श्री प्रीतिराम सिंह ने श्री अदुलन्दन सिंह बेदर मलमोहिरान फरीक अव्वल आयल में आई छीकी वे ने उरदो पेराहरान श्री प्रीतिराम सिंह पो श्री अदुलन्दन सिंह आयल में शरीमल साथ है ने अलग श्री प्रीतिराम सिंह मजकुरालदद पेश गुजरत औलाद अदुर ने आगे पहीजा इजमाल बालदान साथ श्री अदुलन्दन सिंह आई अपने खेलाल कर गये पाड अंग श्री अदुलन्दन सिंह बेदर फरीक अव्वल अव्वल पकुआरत मौकिरान नं0-1 ने 2 पेशरान अपने पहीजा इजमाल बालदान साथ फरीक अव्वल के खिलाफ कर गये मलमोहिरान फरीक अव्वल आयलान मुन्दर्जे शिड्यूल नं0-1 पर पहीजा मालिक मुस्तकिल पेश सिरकत पंडी दूसरों के काबिज ने होना है ने मलमोहिरान नं0-4 ने 5 ने आयलान मुन्दर्जे शिड्यूल नं0-2 पहीजा हाल ने पाबू दीवर आयलान पजारये पहीजा पहसीलनामा मरकुमे तारीख 13 अक्तू 31 1926

ई. मोहम्मद रफीक्द्दीन खान मोकिल नं0-3 के खिलाफ कर दिया
जो मामलेकिल नं0-3 ने दरखास्त मुन्दर्जे डिविजुअल नं0-2 मोकिल
हाजा को भेजकर कैफियत अजकिस्म जवाबदावा तलबशुदगी
मोजरेही हेजारी अमुअर्रके मजकूमे तारीख 13.8.1986 ई.
मकसद यह दर्ज मोकिलरान नं0-4 व 5 के किया है के
मोकिल नं0-3 जवाबदार मुन्दर्जे डिविजुअल नं0-2 पर मेहेरबान
नाजिम मुकदमात को मोकिलरान नं0-4 व 5 हजा हेजारी करने
की दरख्वास्त दी है जो दरमियान होकर फरीकैन मामला
पहलेसेया हाजा की तय पाया मामलातमा के होने से हेजारी
की कार्यवाही करीब खत्म है । इस वास्ते मामोकिलरान
दोनों फरीक हाजी को हजातिबत से अपने अपने अदुस्तगी होना
को हमराह पेश कर दिनांक 4 मकहारी को हाजिर की करेव
देने किसी के नफा व नुकसान को लेकर पुकारपो होने की
विचार कर को मसारदा अजादिने लेकर पहीका हाजा पेश
एक दूसरे फरीक तहरीर करके इकरार करते है के मामोकिलरान
दोनों फरीक जवाबदार मुतसरहे बाला को आपस में एक दूसरे
से दर्ज मोफासिला जिला को मामोकिलरान फरीक अव्वल के
फरीक दोयम को जवाबदार डिविजुल नं0-1 परवाजिबले
दर्ज गरदाना को मामोकिलरान फरीक दोयम ने फरीक अव्वल
को जवाबदार डिविजन नं0-2 पर जाविजाबी दर्ज गरदाना
को मामोकिलरान फरीक अव्वल ने फरीक दोयम को खिलाफ
खिलाफते के जवाबदारमुन्दर्जे डिविजुल नं0-1 पहीका हाजा
पर तय के मारफे पेशगाह को नूरत हकीयत को इकरार से
पाक को साफ है मामोकिलरान फरीक दोयम फरीक अव्वल
को खिलाफ खिलाफते के जवाबदारमुन्दर्जे डिविजुल नं0-2
पर तरह के मारफे पेशगाह को नूरत हकीयत को इकरार से
पाक को साफ है अगर बाद तहरीर को शामिल पहीका

हमला करनेके वक्त मेरे बहुत से आदमी थे जो हमले में हर तरह करीब थे लेकिन हमारे करीब कोई कार्रवाई करने का जब होगा मकीने का हमलावरों द्वारा पहिले तरफ की पक्षपाती सांगोपांग होनी चाहिए थी हमलावरों को हमला मोकामियान को है और जैसा पहिले हमला का अब मौजूदा तहरीर होना है अब पक्षपाती करीब हमला की मौजूदा पक्षपाती करीब होना है।

इस भारती का पहिला बयानहलफामा लिख दिया है बयान पर आम आये।

तहरीर तारीख 7.5.1957 ई.

सही रामनाथ सिंह बलइया लिखा से सही कागज मुद्दई पढ़कर को कारिंद से पढ़ाकर सुन समझ लिया दा: बाद 7.5.57

सही राम दयारथ सिंह बलइया लिखा से सही कागज मुद्दई पढ़कर को कारिंद से पढ़ाकर सुन समझ लियादा: बाद 7.5.57

सही मुहम्मद सिंहलबयानामा लिखा से सही कागज कारिंद से पढ़ाकर सुन समझ लिया दा: बैजनाथ सिंह सहीजोगी सिंह मोकाम पे सिवानी मेरे सामने आया दा: बाद 7.5.57

सही हरनन्दन सिंह बयानहलफामा लिखा से सही कागज कारिंद से पढ़ाकर सुन समझ लिया 7.5.57

सही विश्वनन्दन सिंह बयानहलफामा लिखा से सही कागज पढ़ाकरसुन समझ लियादा: बाद 7.5.57

गणेश राम डेहारी सिंह साकिन जलालपुर थाना दानापुर जिला पटना दा: बाद

गणेश मुहम्मद सिंह साकिन अमरू थाना दानापुर जिला पटना दा: बाद

अपील परमानन्द सिंह तहसिलदार,मधुपुर प्रथम कुमारी जिला पटना
बनाम
अपीलदारान केस्सा बरहण सिंह तहसिल मधुपुर थाना दलमपुर
जिला पटना वगैरह

कार्तिक प्रसाद हाजापत्थेदार ग्राम तहसिल भाजपुर थाना पटना
बकलदार मौकिदान के जिला पटनारुपा वगैरह

पुस्तक सं0-1
जिल्द सं0-37
पेज सं0-368 से 373
बसौजसं0-2485
सन् 1957

BIHAR

INDIA

ONE RUPEE ONE RUPEE

Exchange.



[illegible] ૩

[illegible]

[illegible] ૪૪૪૩ [illegible]

૫૫૫૩

[illegible] ૧૨૫ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
૧૨૫	૧૨૯ [illegible]	૩૦	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	૧૨૩	૪૦	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]						

(૨) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ૪૪૪૩ [illegible] ૧.૨૦

ટાઈપ કરનાર મિત્રો માટે સૂચના: તા. ૧૫-૧૧-૧૯૯૧ થી ટાઈપ કરવાનું શરૂ કરેલ છે.

ટાઈપ કરનાર મિત્રો માટે સૂચના: તા. ૧૫-૧૧-૧૯૯૧ થી ટાઈપ કરવાનું શરૂ કરેલ છે.

Patel Chetan Kumar

૧૧૬૧૭

3797
28.8.15

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

नाम धर्मवीर कुमार पिता / पति लालबिहारी सिंह

ग्राम रूपश्रपुर

थाना रूपश्रपुर जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	
				एकड़	डि०
मौजा - धनौरा थाना नं. 20		307 129 684	858 1277 1283 725	0.60.31	डि०

अं० अ० रूपश्रपुर

आवेदक के नाम से मौजा धनौरा थाना नं० 20 खाता नं० 307 खेसरा नं० 858 रकबा 0.60.31 डि० की दाखिल जमाबंदी से 7605 का कर ही है। रसीद पर 20151 रु० निर्गत है। जमा [illegible] है/अंश [illegible] है।

अ हवाली रु से अ कार्यालय से सुना है।

आवेदक का हस्ताक्षर
धर्मवीर कुमार

कर्मधारी का प्रतिवेदन

कार्यालय का मुहर

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1601
28/9/15

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

नाम ..... पिता / पति .....

ग्राम .....

थाना ..... जिला .....

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	सौंपी संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा एकड़	रकबा डि0
मौजा - [illegible]		129	1277	0.64.23	
थाना - 20		"	1283		
		355	859		
		684	725		

[illegible] के नाम से उपर अंकित [illegible] खेसरा एवं रकबा को समाप्त कराकर [illegible] 7606 [illegible] मालिक [illegible] [illegible]

आवेदक का हस्ताक्षर

Shivaji Kumar

कर्मचारी का प्रतिवेदन

30-9-15

कार्यालय का मुहर

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

V

0068491

दानापुर	20	[illegible] कुमार	7605

0·60·3150	[illegible]	[illegible]

जोत का सालाना माँग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा सीजन

2015-16 माँग बाबत		सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	हाल
माल— गुजारी	(नकदी)	12·00				60·00	12·00
	(मालती)	3·00				15·00	3·00
सेस	...	6·00				30·00	6·00
*सुद	...	6·00				30·00	6·00
मुतफरकात	...	2·40				12·00	2·40
मीजान		29·40				147·00	29·40

तफसील अदायकारी।

WITHOUT PREJUDICE

2015-16 अदायकारी बाबत		बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	मीजान हाल	फाजिल
माल— गुजारी	(नकदी)				60·00	12·00	
	(मालती)				15·00	3·00	
सेस	...				30·00	6·00	
*सुद	...				30·00	6·00	
मुतफरकात	...				12·00	2·40	
मीजान अदायकारी					147·00	29·40	17·40

(1) मीजान कुल (लागों में) — [illegible]

(2) माल बेहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल: कालीमा मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद तर्क किया जाता है।

1218/15.

Sch. XIV—F No. 180 V.

V

X
183
7606

00650605

दीनानाथ	[illegible]	श्री [illegible]	उमर

अरजी गुजारे — अरजी [illegible] — तफसील [illegible]

९·६४·२३	[illegible]

जोत का सालाना माल मय तफसील (बकाया व हाल) मौजूद [illegible]

2015-16 माल वाजिब	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल-- (नकदी)	12.00				60.00	12.00
गुजारी (मालबी)	3.00				15.00	3.00
पेश	6.00				30.00	6.00
*सूद	6.00				30.00	6.00
मुतफरकात	2.40				12.00	2.40
मीजान	29.40				147.00	29.40

तफसील अदायकारी।

2015-16 अदायकारी वाजिबी	बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल-- (नकदी)				60.00	12.00	
गुजारी (मालबी)				15.00	3.00	
पेश				30.00	6.00	
*सूद				30.00	6.00	
मुतफरकात				12.00	2.40	
मीजान अदायगियां				147.00	29.40	176.40

(1) मीजान कुल (नकदी में) — एक सौ छहत्तर रुपये चालीस पैसे मात्र

(2) माल रेहिन्दा — X

(3) कुल बकाया — X

दस्तखत बो [illegible] तहसील कानूनगो

*माल मतलब जो बकाया माल जाता है

[illegible] 27/8/15.

[illegible] 109-11277
1283
355-1884
684-725

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख ..... तक

आदेश पत्रक

जिला:– पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद/अपी० 1449 सन् 2015

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
16/12/15	श्री [illegible] वल्द [illegible] ग्राम [illegible] पो० [illegible] थाना [illegible] जिला [illegible] केवाला नं० [illegible] दिनांक [illegible] के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल–खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।	

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान
[illegible]	20	483	485	25	
			3774		
			492	62	
			3744		
		478	500	13	
		164	1397	04.66	
		452	370	84 1/2	
			431	08 1/2	
			542	8C	
			1662	05 1/2	

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें. आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 17/02/16 को रखें।

	420	04.33
	90	454 — 10 1/2
		414 — 08 1/2
		449 — 3.39 — 04 1/2

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

17/02/16

नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल–खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल–खारिज की जाती है। शुद्धि–पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

Certified to be True Copy
Authorised under Sec. 76 Act of 1872

GOVT. OF BIHAR
Registration Fees & Probate Dept.
PATNA SCORE RATNER
COURT FEE
Authorisation No. 213
भारत
INDIA
STAMP DUTY
BIHAR
बिहार
JUDICIAL

2023 3722139

तुलना कर्ता

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

पुराना नम्बर- 4449 साल 2015-16 हल्का नम्बर 8 अंचल दानापुर

ग्राम - पटना राजस्व थाना नम्बर - 20 जिला - पटना

पु० पै जमीन रकबा - प्राप्त का जरिया - पंचायत

जरशमन - केफियत - तिथि -

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
श्रीमती आशा देवी पत्नी - स्व० जीतनारायण सिंह पिता - स्व० रामाधार सिंह	452	353	6.48	45.00
	90	351		
	478	356		
	483	357		
	164	347		
	163	345		
		कॉमन		
O.W. 466/11/6/2016	483	485	2.64	40.00
	416	482		
	435	483		
	417	484		
	439	434		
	430	432		
		1665		
		कॉमन		

बचा हुआ रकबा				
तत्पश्चात	तत्पश्चात	तत्पश्चात		
		पु० के		

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
1) श्रीमती आशा देवी पत्नी - स्व० जीतनारायण सिंह सा० सपत्नीक	483	483	- 25 dec	
		2744		
		492	- 82 "	
		2742		
	478	500	- 23	
	164	1279	- 04.46	
	452	370	- 27½	
	"	439	- 08½	
	"	347	- 30	
	"	1665	- 05½	
	"	420	4.35	
	90	454	- 10½	
	459	414	- 08½	32.00
		599		

Certified to be true Copy

Authorised under sec. 76 Act of 1872

जमाबंदी नम्बर 121/118

अ० अंचल दानापुर

(आवेदक के आवेदन पर [illegible] की जाँच/स्थलीय अवलोकन उपरांत पंजी II में निम्न परिवर्तन/परिवर्धन पंजी II में आवेदन अंक के साथ किया गया है/आवेदित परिवर्तन आवेदक द्वारा दी गयी भूमि के उपरांत [illegible] में पटवारी द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है/पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में [illegible] किया है/अंचल कार्यालय में [illegible] खाता मालिक एवं खाता नहीं है/अलग अलगवंशी से भूमि है/[illegible] दाग संख्या को [illegible] किया जाता है)

राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर

रामेश्वर सिंह
S/o स्व० जीत नारायण सिंह
सा० - विष्णुपुर

493 486 - 11
483 - 485/2774 - 15
485 485 - 51
477 484 - 30
478 500 - 16
164 1299 - 34-06
452 406 - 16
" 403 - 05
843 - 14
344 - 04
432 - 05
452 - 351 - 17
" 356 - 01
" 357 - 04
" 363 - 24
" 1669 - 19
" 420 - 04-33
" 414/599 - 8½
90 - 454 - 10½

P.D 2-89-93

गोपाल प्रसाद सिंह
S/o स्व० जीत नारायण सिंह
सा० - विष्णुपुर

483 - 492/2772 - 37
485 - 483 - 37
477 - 484 - 06
496 - 482 - 27
478 - 500 - 14
164 - 1299 - 25
163 - 1289 - 21
452 - 370 - 20½
" 439 - 22½
" - 347 - 23
496 - 331 - 07
452 - 1665 - 08
" 1669 - 11
" 420 - 433
135 - 1336 - 12
153 - 1338 06
478 - 2780 - 14
452 - 390 - 20

3-15-33

Certified to be true Copy
Head Clerk
Authorised under sec, 76 Act of 1872

तुलना कार

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

वि०स०मु०, पटना। X
फरद मालकी / फरद रैयती। 106
नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी 10321
वो सकुनत। नम्बर।

चानापुर	बबीता	राजेश्वर	प्रसाद सिंह

0051567.2

अराजी नम्बरी | अराजी भायली | तफसील हिसाब लगान भायली।

2.29.41 डेढ़	40 जीरायत	1 रु 6 [illegible]

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा साल का।

2016-17 मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
मालगुजारी (नकदी)	32.00				32.00	32.00
मालगुजारी (भायली)	8.00				8.00	8.00
सेस	16.00				16.00	16.00
*सुद	16.00				16.00	16.00
मुतफरकात	6.40				6.40	6.40
मीजान	78.40				78.40	78.40

WITHOUT PREJUDICE

तफसील अदायकारी।

2016-17 अदायकारी बाबत	बकाया				गोशालवा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
मालगुजारी (नकदी)				32.00	32.00	
मालगुजारी (भायली)				8.00	8.00	
सेस				16.00	16.00	
*सुद				16.00	16.00	
मुतफरकात				6.40	6.40	
मीजान अदायकारी				78.40	78.40	—

156.80

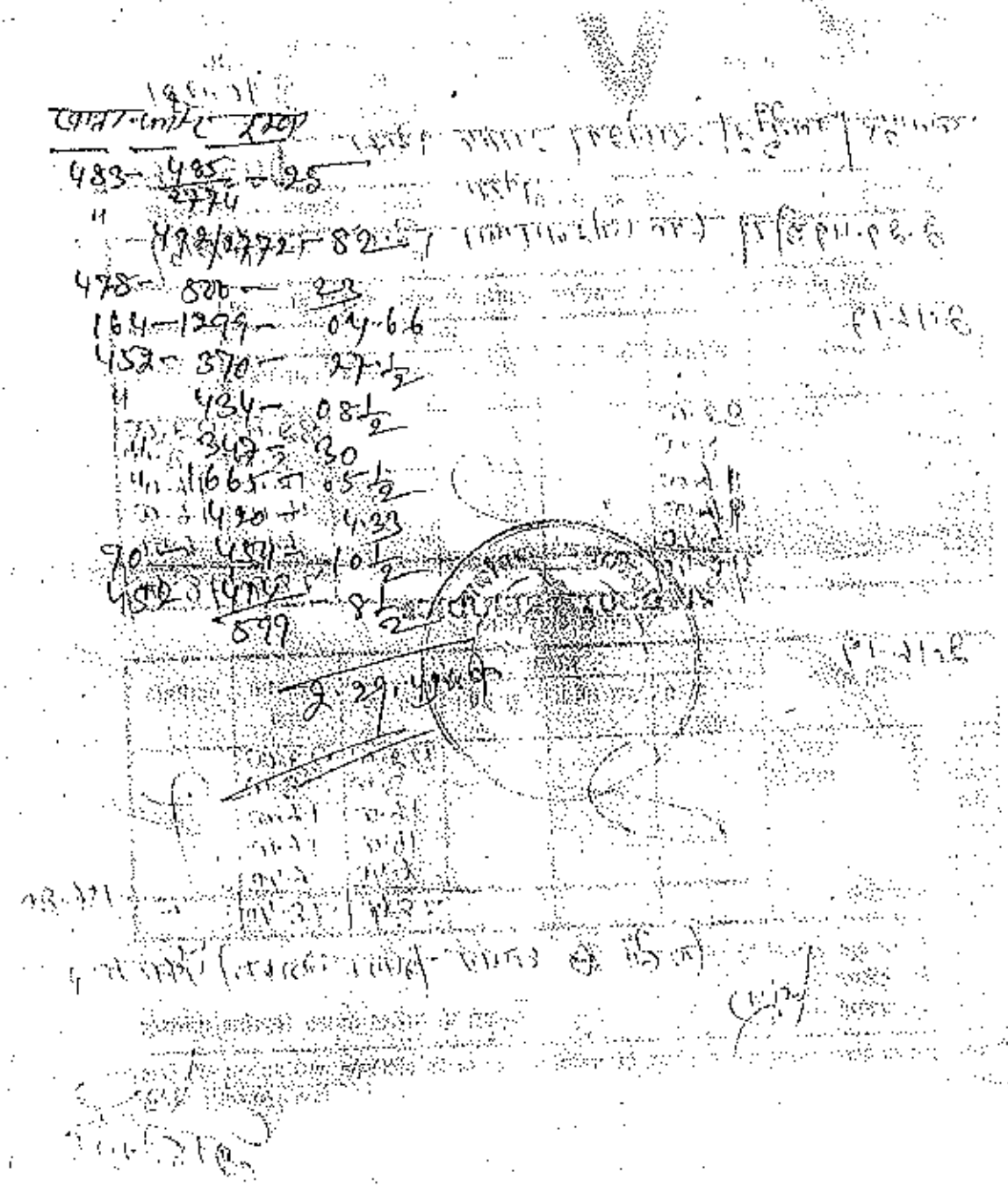
(1) मीजान कुल (रकमों में) — [illegible]
(2) नाम वेहिन्दा —
(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास गंहाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायो पर जिस पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

वि.स.मु.(राजस्व) [illegible]

02/5/2016



Sch. XIV.—F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल / नाम मौजा मय
साल वो साल नम्बर

V

बि०सा०गु०, पटना। X
फरद मालगुजारी / फरद रैयती। 106
नाम रैयत मय वल्दियत अभावन्दी
वो सकुनात। नम्बर। 10-322-

0515673

अराजी नम्बरी | अराजी मालगुजारी | तफसील हिसाब समान मालगुजारी।

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

2016-17 मांग बाकर	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	हाल
माल- (नकदी)	32.00				32.00	32.00
मुजारी (भावली)	8.00				8.00	8.00
सेस	16.00				16.00	16.00
*सूद	16.00				16.00	16.00
मुतफरकात	6.40				6.40	6.40
मीजान	78.40				78.40	78.40

*1 तफसील अदायकारी PREJUDICE

2016-17 अदायकारी बाबरा	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	मोतालबा हाल	फाजिल
माल- (नकदी)				32.00	32.00	
मुजारी (भावली)				8.00	8.00	
सेस				16.00	16.00	
*सूद				16.00	16.00	
मुतफरकात				6.40	6.40	
मीजान अदायकारी				78.40	78.40	0

156.80

(1) मीजान कुल (रुपयों में) — 156 (एक सौ छप्पन रुपया अस्सी पैसा का)
(2) नाम देहिन्दा — [illegible]
(3) कुल बकाया — [illegible]

दस्खत वो तारीख अमलन तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.सा.गु.(अंग्रेजी) 1—20-1

3/8/2016.

493 - 486 = 07
483 - 485 = -15
485 - 485 = 5/
497 - 484 - 30
428 - 500 - 16
164 - 1299 = 34.6
452 - 406 - 16
" 403 - 05
" 343 = 14
" 344 - 14
" 432 - 5
" 357 - 01
356 - 01
357 - 04
353 - 24
1669 + 19
4:20 - 4:35
414 - 579 - 8:½
470 - 454 ½

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

खसरा मालगुजारी
नाम रयोत | नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

वि०स०मु०, पटना।
फरद मालकी / फरद रैयती।
नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी
वो सकुनत। नम्बर।

X
106
10.03.23

कामेश्वरी देवी | गोपाल प्रसाद सिंह | 00515674

अराजी नम्बरी | अराजी आखली | तफसील हिसाब लगान आखली।

3.18.03 3.16 जोत नाथपुर | सिंह | मौ० [illegible]

जोरा कत सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा [illegible]

30/6/17 मांग बाबत	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	उस वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	हाल
माल– (नकदी)	32.00				32.00	32.00
गुजारी (आखली)	8.00				8.00	8.00
सेस	16.00				16.00	16.00
*सूद	16.00				16.00	16.00
मुतफरकात	6.40				6.40	6.40
मीजान	78.40				78.40	78.40

तफसील अदायकारी।

30/6/17 अदायकारी बाबत	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	उस वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	मोतालबा हाल	फाजिल
माल– (नकदी)				32.00	32.00	
गुजारी (आखली)				8.00	8.00	
सेस				16.00	16.00	
*सूद				16.00	16.00	?
मुतफरकात				6.40	6.40	
मीजान अदायकारी				78.40	78.40	?

156.80

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — [illegible]
(2) नाम देहिन्दा —
(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*सिर्फ महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकाया पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

वि.स.मु (राजस्व) / 62-01

03/8/2016

483 - 492
2772 - 37

485 - 483 - 132

477 - 484 - 06

496 - 482 - 29

428 - 580 - 14

164 - 1299 - 25

1685 - 1287 - 21

4595 - 1370 - 201

" 434 - 2212

" 347 - 212

426 - 337 - 07

452 - 1665 - 08

" 1669 - 11

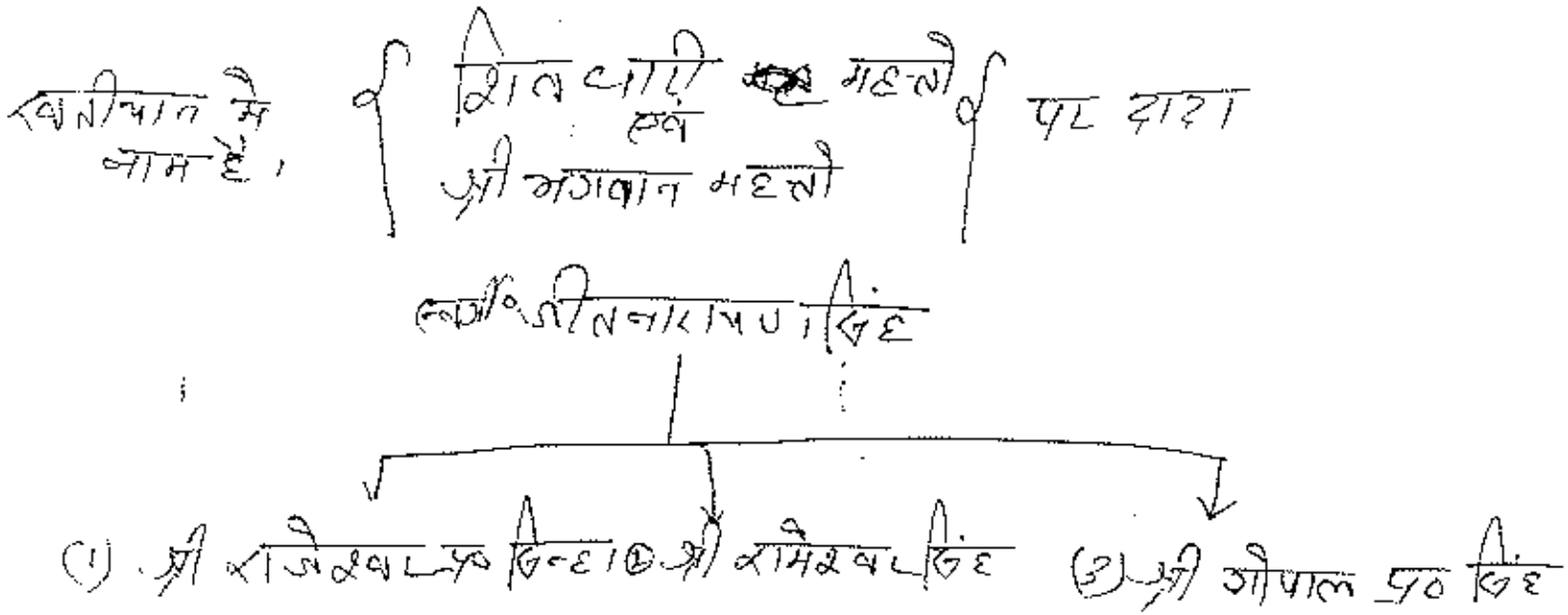
" 420 - 433

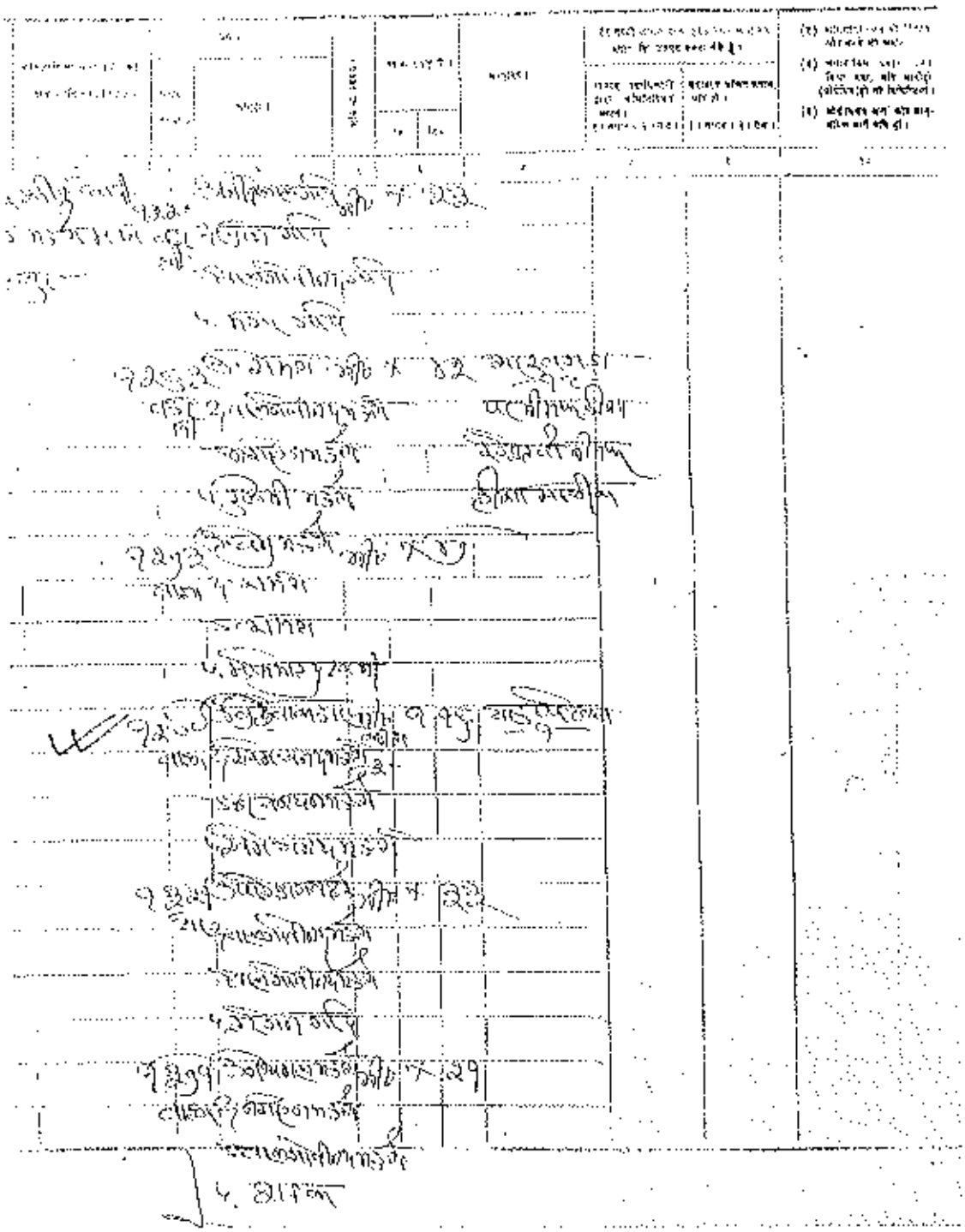
135 - 1336 - 12

153 - 1338 - 06

478 - 1621 - 14

452 - 390 220


संविधान में
नाम है,
शिवचारी एवं महन्तो
श्री भगवान महन्तो
पट दाता
स्व० श्री लक्ष्मीनारायण गिरि
(1) श्री राजेश्वर पुरी (2) श्री रामेश्वर पुरी (3) श्री गोपाल पुरी



FIVE RUPEES

के लिए तथा श्रीमती सरस्वती देवी सम्पत्ति के सम्बन्ध के लिए श्री महेन्द्र सिंह, श्री सुखारे प्रसाद सिन्हा, श्री शिव नारायण सिंह, श्री योगेन्द्र सिंह, सभी निवासी शेखपुरा, थाना- शास्त्रीनगर, पटना तथा श्री बनवारी सिंह ग्राम- पंचार, थाना- पुनपुन जिला-पटना को पंचायत मोकर्रर किया करते हैं तथा श्री बनवारी सिंह को उक्त पंच सरपंच करते हैं और उन सभी को अधिकार दिया जाता है कि सही पक्षों के बीच उपरोक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध का फैसला कर दें तथा जो उक्त सम्पत्ति आपस में है उसके विस्तार भी फैसला कर दें और पंचायत द्वारा की सम्पत्ति के सर्वे खसरा के भी फैसला करेंगे उसकी पूरी जवाबदेही सभी पक्षों पर आज तारीख तथा लिखापत्तर सरपंच पर होगा। तथा कोई पक्ष या किसी के विरुद्ध पंच राय नहीं करेंगे अगर कोई पक्ष या कोई व्यक्ति या कोई पक्ष फैसला के खिलाफ किसी प्रकार का एतराज करेंगे तब पंचायतीकर्ता फैसला पंचायत किसी अदालत द्वारा मान्यता नहीं दिया जायेगा। यह फैसला अन्तिम फैसला है। अतः सभी को निम्नलिखित सम्पत्ति को फैसलाकर करने हेतु अधिकार दिया गया।

सभी पक्ष का हस्ताक्षर,

(1) [illegible] - 11-4-94

(2) [illegible] - 11-4-94

(3) [illegible] - 11-4-94

-:: जमीमार नं0- 1 ::-

कुल सम्पत्ति का विवरण निम्नवत् अंचलवार अलग है, मौजा- वेरमपुरा, थाना-शाहगंजीनगर परगना को सर्वे थाना फुलवारी, थाना नं0-9, जिला-पटना

खेती नं0	खाता नं0	खतियान नं0	रकबा
5777	300	272	$10\frac{1}{2}$ डी0
5779	218	1056	$9\frac{1}{2}$ डी0
5787	300	1340	8 डी0 आगत
5755	208	340	10 डी0

मौजा मगरीत खास- दरियापुर, थाना नं0-20, पटना

खेती नं0	खाता नं0	खतियान नं0	रकबा
		564	$14\frac{1}{2}$ डी0
		1290 1291	$16\frac{1}{2}$ डी0
		530	6 डी0
		1297	$9\frac{1}{2}$ डी0

मौजा राजघाट खासपरा वेहरापरा, थाना- पुनपुन, जिला-पटना

मौजा वेला, थाना- मनेर, जिला-पटना

-:: निर्णय संख्या ::-

सभी पंचों ने सही पाया तो पंच पंच तथा दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि उन लोगों के बीच आपस में जो मनमुटाव था वह दूर हो गया तथा पंचायत प्रमाण आपसदारी सम्पत्ति का बँटवारा कर दें जिससे कि सभी पक्ष अपने-अपने हक्से में मिले सम्पत्ति पर कायम रह सकें।

इस प्रश्न में सभी पक्षों के बीच की बात किया तथा सभी कागजात देखा गया गवाह पर जाकर निरीक्षण किया तथा पंचों ने सर्व सम्मति से बँटवारा करके दो नक्शे में नीचे अनुसूची नं0- 2 में वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष को, अनुसूची नं0-3, में वर्णित सम्पत्ति द्वितीय पक्ष को तथा अनुसूची नं0- 4 में वर्णित सम्पत्ति तृतीय पक्ष के हक्से में दिया गया अब चाहिए कि सभी पक्ष अपने अपने हिस्से में मिले हुए सम्पत्ति पर कायम रहें और जहाँ-जहाँ जरूरत हो बँटवारा के अनुसार अलग-अलग गाटा बाँध-बन्धन में करा लें। इस तारीख से एक पक्ष को दूसरे पक्ष के सम्पत्ति में कोई सरोकार नहीं होगा।

-:: अनुसूची नं0- 2 ::-

सम्पत्ति जो प्रथम पक्ष को दिया गया है, स्थित- बेलछी, थाना- शास्त्रीनगर, पटना

खियी नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
5755	208	340	10 डी0

प्लॉट नं0- 1342 पर स्थित होल्डिंग नं0- 28 में दो कमरा को श्रीमुरारी सिंह के पिताजा में से पर मिलकी द्वारा बनाई गई को लेने के लिए पिता [illegible] में पैसाने के बाद दो कमरा के दुकान में, उस पर किसी प्रकार का कारोबार कर अपने से बिक्री करने का अधिकार नहीं होगा। प्रकृति जमीन त्रिलोकी सिंह का रह जायेगा।

मौजा जमीन खाता मालपुर खोजी

खियी नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
		564	$14\frac{1}{2}$ डी0

मौजा राजघाट न्यायत पेहरपिर थाना- कुम्हरार,पटना

यहाँ स्थित सभी प्लॉट में एक तिहाई हिस्सा दिया गया।

मौजा रेवा थाना- गर्दनीबाग,पटना

यहाँ स्थित प्लॉट में एक तिहाई हिस्सा दिया गया।

-:: खाता नं0 3 ::-

श्रीमती जो द्वितीय पक्ष त्रिलोकी सिंह जो पिता,मौजा- धोबीपुरा, थाना- शास्त्रीनगर, जिला-पटना।

खियी नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
5767	306	272	$10\frac{1}{2}$ डी0(मकान के बगले में मिला है)
5765	218	1056	$4\frac{3}{4}$ छटा0

तौजी नं0	थाना नं0	प्लौट नं0	रकबा
5767	08	1342	मकान में आधा हिस्सा में उत्तर दक्षिण

मकान में बिजली तथा पानी का जो कनेक्शन है उसी हिस्सा में है जो द्वितीय पक्ष का ही रहेगा, तृतीय पक्ष अलग से बिजली पानी ले लेंगे।

मौजा पलौंदा थाना-अगमकुआं,पटना

तौजी नं0	थाना नं0	प्लौट नं0	रकबा
		1290 1291	$\frac{1}{16}$ डी0
		530	3 डी0
		1292	$\frac{3}{16}$ डी0

मौजा राजघाट रकबा, थाना- पुनपुन,पटना

यहाँ स्थित तौजी प्लौट में एक तिहाई हिस्सा दिया गया।

मौजा रेवा, थाना- मोर,जिला- पटना

यहाँ स्थित प्लौट में एक तिहाई हिस्सा दिया गया।

...: अनुसूचि नं0- 4 :...

अचल सं0 तृतीय पक्ष निम्नवर्णी रोड को रकबा,

मौजा बेलपुरा, थाना- आलमगंज पटना।

तौजी नं0	थाना नं0	प्लौट नं0	रकबा
5765	216	1056	पौन डी0

तौजी नं०	खाता नं०	प्लौट नं०
5767	308	1342

1. दक्षिण से उत्तर त्रिपुरारी के मकान के दिवार से पश्चिम से पूर्व 36" चौड़ा जिसमें 4" चौड़ा रास्ता जो दो पक्का (त्रिपुरारी और त्रिलोकी के निवास हेतु निज होगा ।

2. पश्चिम के सटे दिवाल से उत्तर 4" चौड़ा रास्ता पश्चिम को और गली तक होगा ।

नोट :- ये रास्ता दोनों पक्का (त्रिलोकी और त्रिपुरारी का अपना निज होगा (त्रिलोकी कब्जेदान त्रिपुरारी सिंह का रहेगा । त्रिलोकी सिंह को नया कब्जेदान लेना पड़ेगा । पानी कब्जेदान त्रिलोकी सिंह का रहेगा और त्रिपुरारी सिंह को नया पानी कब्जेदान लेना पड़ेगा ।

तौजी नं० 5767 खाता नं० 308 प्लौट नं० 1342

1. दक्षिण से उत्तर त्रिपुरारी के [illegible] से पश्चिम से पूर्व मौजा [illegible] नौजा पाना, राजापुर, जिला - पटना] [illegible] त्रिपुरारी और त्रिलोकी के निवास हेतु निज होगा ।

2. [illegible] पश्चिम को और गली तक होगा ।

नोट :- [illegible] त्रिलोकी और त्रिपुरारी का अपना निज होगा (त्रिलोकी कब्जेदान त्रिपुरारी सिंह का रहेगा । त्रिलोकी सिंह को नया कब्जेदान लेना पड़ेगा । पानी कब्जेदान त्रिलोकी सिंह का रहेगा और त्रिपुरारी सिंह को नया पानी कब्जेदान लेना पड़ेगा ।

तौजी नं०	खाता नं०	प्लौट नं०	रकबा
	290		0 1/4 डी०
	291		
	530		3 डी०
	297		4 3/4 डी०

-0-

मौजा राघवपुर नवादा, थाना-पुनपुन, जिला-पटना

यहाँ पर स्थित सभी प्लौट में एक तिहाई हिस्सा मिला।

मौजा रेवा थाना मनेर, जिला-पटना

यहाँ पर स्थित प्लौट में एक तिहाई हिस्सा मिला।

सभी पक्ष अपने-अपने मानसिक स्वतन्त्रता के हालत में कागज पढ़कर समझ लिया तथा सही पाकर बिना दबाव के अपना-अपना हस्ताक्षर बना दिया कि समय पर काम आवे तथा प्रमाण रहे। इस मैचलामा को तीन प्रति में तैयार किया गया जो तीनों एक दूसरे की हु बहू (कार्बन कॉपी) है सभी पक्षों को एक एक प्रति दिया गया।

पंचों का हस्ताक्षर,

§1§ [illegible]

§2§ [illegible]

§3§ [illegible]

§4§ [illegible]

§5§ [illegible]

सभी पक्षों का हस्ताक्षर,

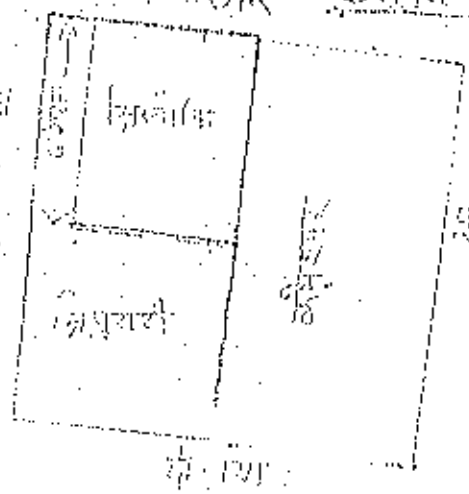
§1§ राजेन्द्र सिंह - 99-8-95

§2§ त्रिलोकी सिंह 17.99.8.95

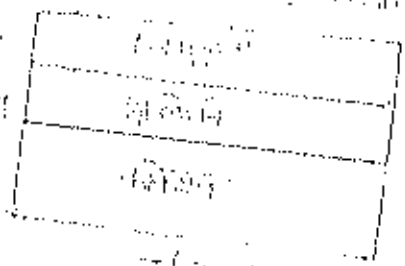
§3§ त्रिपुरारी सिंह 17.11.4.94



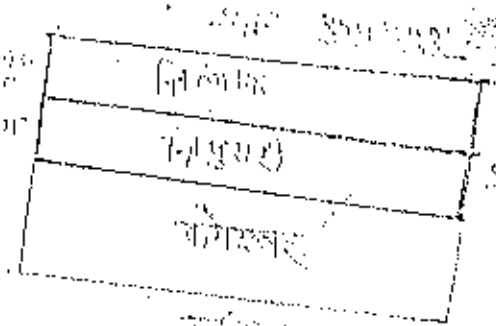
(1)



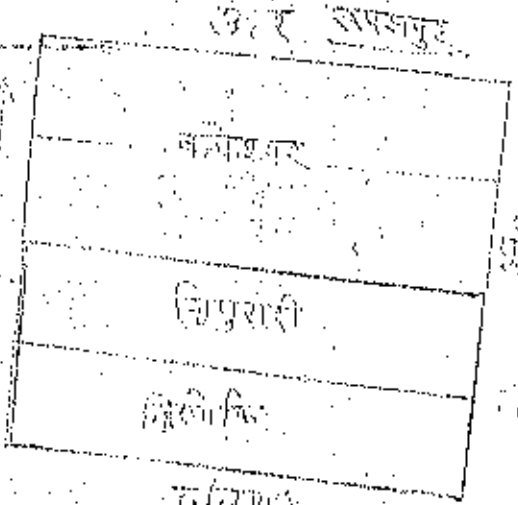
(2)



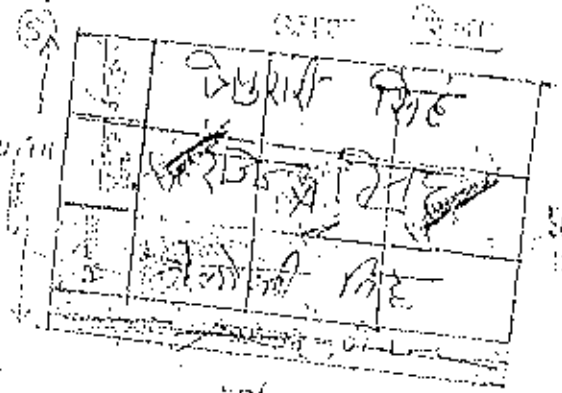
(1)



(2)



(3)



① रेलवे रिजर्व P.F. 99-4-से

② कैलकुलेटर 99-4-से

③ डिपुटेशन रिजर्व 11-4-99 से

1- लेखकारी का नाम- श्री राजेन्द्र सिंह, पुत्र स्व0 सुरत सिंह ,
ग्राम- दोखापुरा, थाना धारवीलार पो0 पेटनरो-
कलेस, जिला- पटना जाति- कुर्मी हिन्दू कोयरी ।

2- लेखधारिणी का नाम- श्रीमती सीता पाण्डेय धारणी ,पत्नी श्री
विजेन्द्र कुमार पाण्डेय ,ग्राम-पो0 आई थाना-बेलाही
जिला - बेलाही । जाति- भूमिहार ब्राह्मण,पेशा
गृह कार्य - भारतीय नागरिक ।

3- लेख्य प्रकार:- पक्की भूमि की बिक्री हेतु एकरारनामा दिनांक-
अंकी के दिन से 31 मार्च 1986 के अन्दर ।

4- मूल्य- अक्षरान में रु0 250085 (पच्चीसहजार पांच
सौ) कुल मिलाकर रु0 128960(एक लाख अठाइस
हजार नौ सौ साठ पर एकतीस हजार रुपये प्रति
कट्ठा तय है ।

पराणी एकीमत कास्त मौरूसी रैयती कायमी बेदखली नादी वाके मौजा धानौत परगना- धानापुर पो साहाकार धानौत ,थाना नं० 20 जिसका खौफी 5433 ता 5360 प्लौट नं० 341 ,गाटा - 491 ,पराणी 61 डी० में से 12 1/2 साढे बारह डिसमिल ,जौता है जिसका लगान 250 पैसा अलावे शोभा धानापुर अैसा जिसार सरकार को लगता है । जिसका चौहदी नीचे लिखा जाता है ।

चौहद्दी

उत्तर- माइका ट्रेडिंग कम्पनी

दक्षिण- प्रयाग सिंह ,

पूरब- जय प्रभा कॉपरेटिव गृह निर्माण समिति ,लि०

पश्चिम- जितारायण सिंह,

सर्त-1

एतिबार यह है कि इस पत्रवधाना पत्र के खाने नं० 5 की सम्पति मरोसी जायदादनी है । खरिदार में नाम मुरत सिंह वल्द स्वर्गीय सुखासिंह का दर्ज पायजाता है । मुरत सिंह को दो लड़के प्रथम रामसिंह दूसरे राजेन्द्र सिंह को अपने भाई रामसिंह से 1974 में बाँटकर उपरोक्त लिखे में छोटे भाई राजेन्द्र सिंह को मिली । राजेन्द्र सिंह के दो पुत्र एक त्रिलोकी सिंह दूसरे त्रिपुरारी सिंह इन लोगों ने भी पिता को पुत्र 1983 में उपरोक्त चतुरासे बाँट लिये । खाने नं० 5 वर्णनकर्ता खेदखलारी को अपने पुत्रों से हटकर उपरोक्त लिखे में मिली।

सम्पति जायदाद में सोमचन्द मस्तो को दूसरी मस्तो बालगोविन्द मस्तो पुनित मस्तो नन्दलाल मस्तो का वर्ष पायाजाता है । ये लोग मूरत सिंह के वंशज थे । मूरत सिंह का जो रामा सिंह नाम सरकारी मस्लमें में दर्ज है जिसका जमाबंदी रेयत नं0 42 रकीका सिलसिलेवार नं0 711902 दिनांक 20-1-79 दर्ज है । दूसरा रकीका जमाबन्दी मूरत सिंह वल्द गुमा सिंह जमाबन्दी 291 रकीका सिलसिलेवार नं0 105186 दिनांक 30-3-76 है ।

लेखकारी को तत्काल रुपये की जरुरत दूसरे जाह जोती सायक खरीदकरना था-ा वर्ष अदा करना बहुत जरुरी है । और पिछी किये रुपये का लेना मुश्किल है । पिछी का प्रचार किया,प्रचार करने पर जाने नं0 2 आई और पिछी की बातचीत पक्की हो गयी । सम्पति का मूल्य मो0 128060 (एक लाख अठाइस हजार नौ सौ साठ रुपया तय हुआ । जमाना के मुताबिक वाजिब किमत है । मो0 25005 (पच्चीस हजार पांच रुपया) बयनपानाया । बकिये किमत मो0 103955 एक लाख तीन हजार नौ पचपन रुपया एक के साथ पाने। । लेखकारी पूर्ण विश्वासदिलाये है कि मुक बक्रिया हुए भार सरकारी या गैर सरकारी से पाक को साफ है कहीं पर किसी के साथ किसी तरह का कानूनात नहीं किये है । या ऐसा किसी तरह की क्षति जायदाद को देना पड़े या उठाना पड़े तो उसकी देनदार लेखकारी या उनके

उत्तराधिकारी होंगे । लेखकारी पूर्ण विश्वास दिलाये हैं कि खाने नं05 की सम्पति अधिकार सम्बन्धी बाकिया मेरे पिता दूसरे किसी का खाने नं0 5 पर सम्पति क पर कोमिच नहीं है । सिर्फ पिता के नाम से ही अन्तिक पट्टे आ रहा है । याद रहे कि लेखकारी अपने नाम से पंजिात खारिज करा लें तभी रजिस्ट्री होगी ।

लेखकारी अवधि के अन्दर खरीदकट अने पर बयनामा दे । टाल-बटाल नहीं करेंगे । और टाल बटाल करेंगे तो बयनामा का स्वयमेव हो जायगा । यानि खतम हो जायगा ।

लेखकारी भी अवधि के अन्दर खरीदकट देंगे और खरीदार को बध कर देंगे टाल बटाल नहीं करेंगे और टाल बटाल करेंगे तो इसी बयनामा पत्र के आधार पर बध की कार्रवाई करके खारिज कराकर देंगे उसपर लेखकारी या उनके उत्तराधिकारियों को कोई उजुर एतराज नहीं सुना जायगा ,नहीं किया जायगा ।

अतएव लेखकारी बहैसियत स्वामी वो मालिक होकर रहकर अपनी स्वस्था वोस्था मानसिक अनुकूल में होकर वो रहकर अपनी खुशी से लेखकारी को बध कर रहे हैं बिना किसी के दबाव वो अधिक दबाव डाला अपनी इच्छा से बयनामा कर रहे हैं । अतएव पढ़ो पर लेखकारी लेखकारी को समझ बूझ, अक्ल है ।

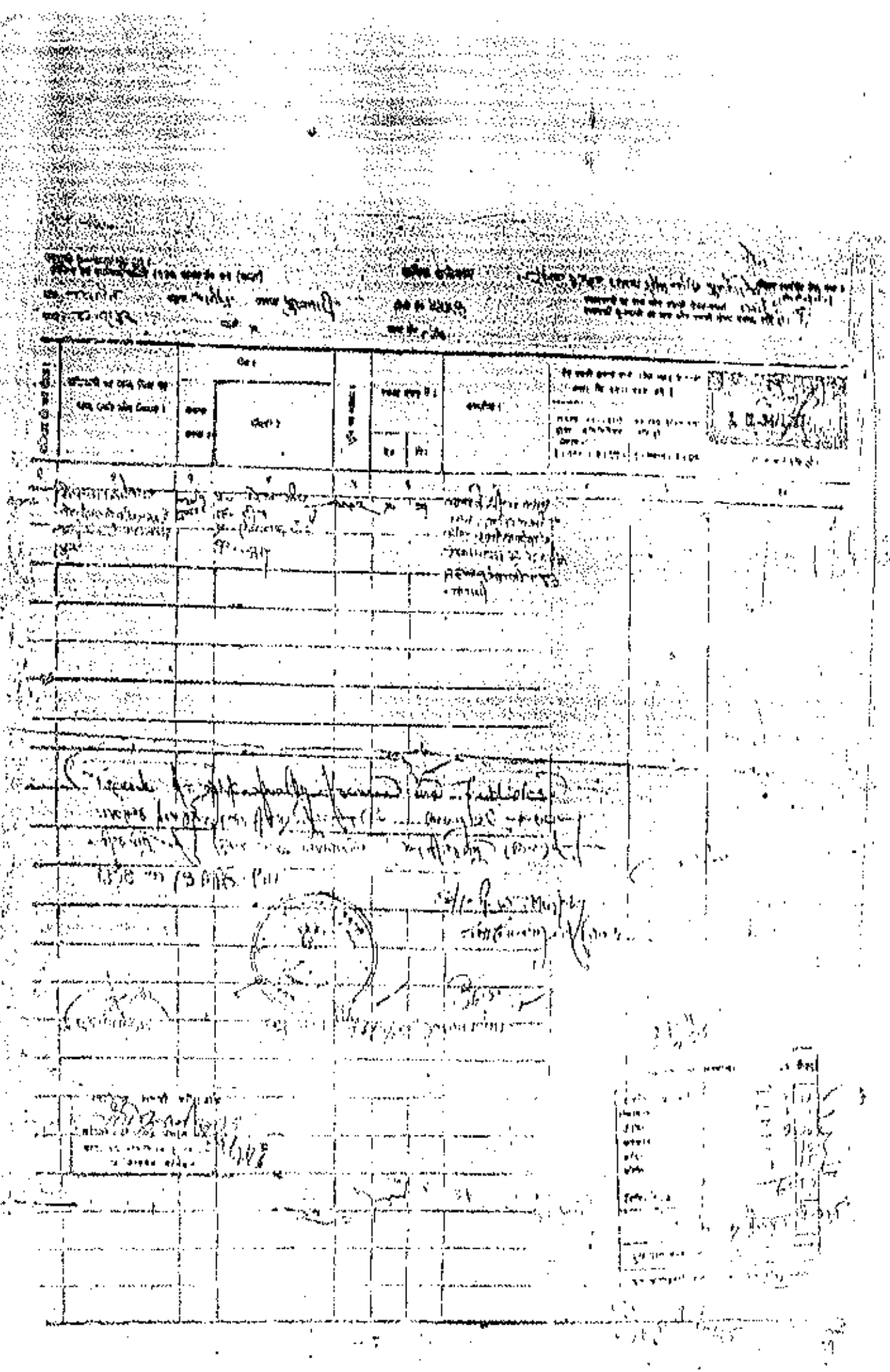
याचे रहे कि ठारीदार श्रीमती किरण नामा में एक या अनेक दस्तावेज रजा किये है । सेवकारी या सेवधारी दोनों एक दिन अच्छे जमीन का खोदकर नपवाकर पिलर बनवाकर या नक्शा बनाकर जमीन की लम्बाई चौड़ाई बताकर रजिस्ट्री होगी । ये सब सारी कार्य अगर के अन्दर दोनो करेंगे । इसलिए सपत्यागा पत्र अवधि 31 मार्च तक का 1986 दिया जिसा समय पर काम आवे प्रमाण रहे । इति

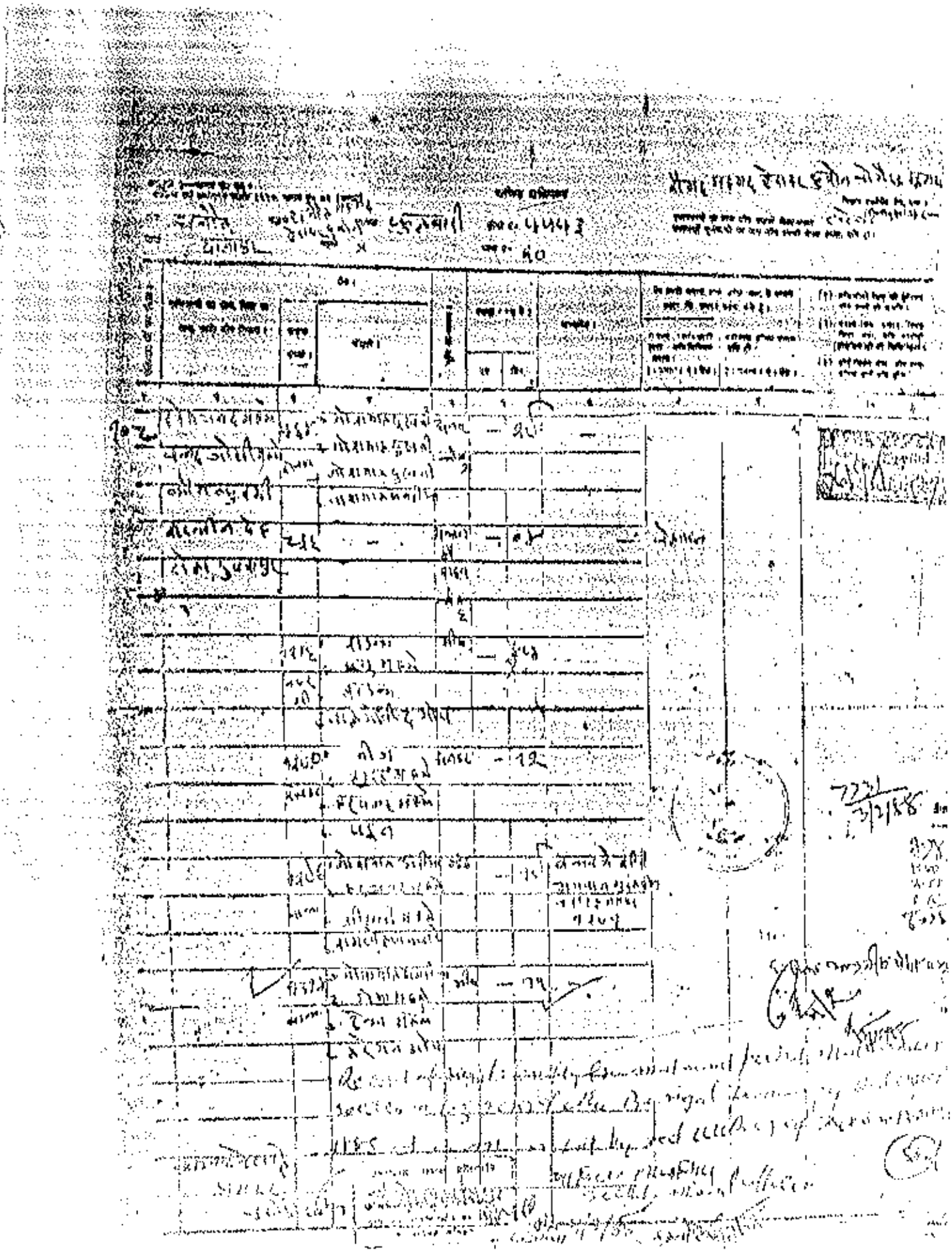
तारीख तारिखा 21-11-1985

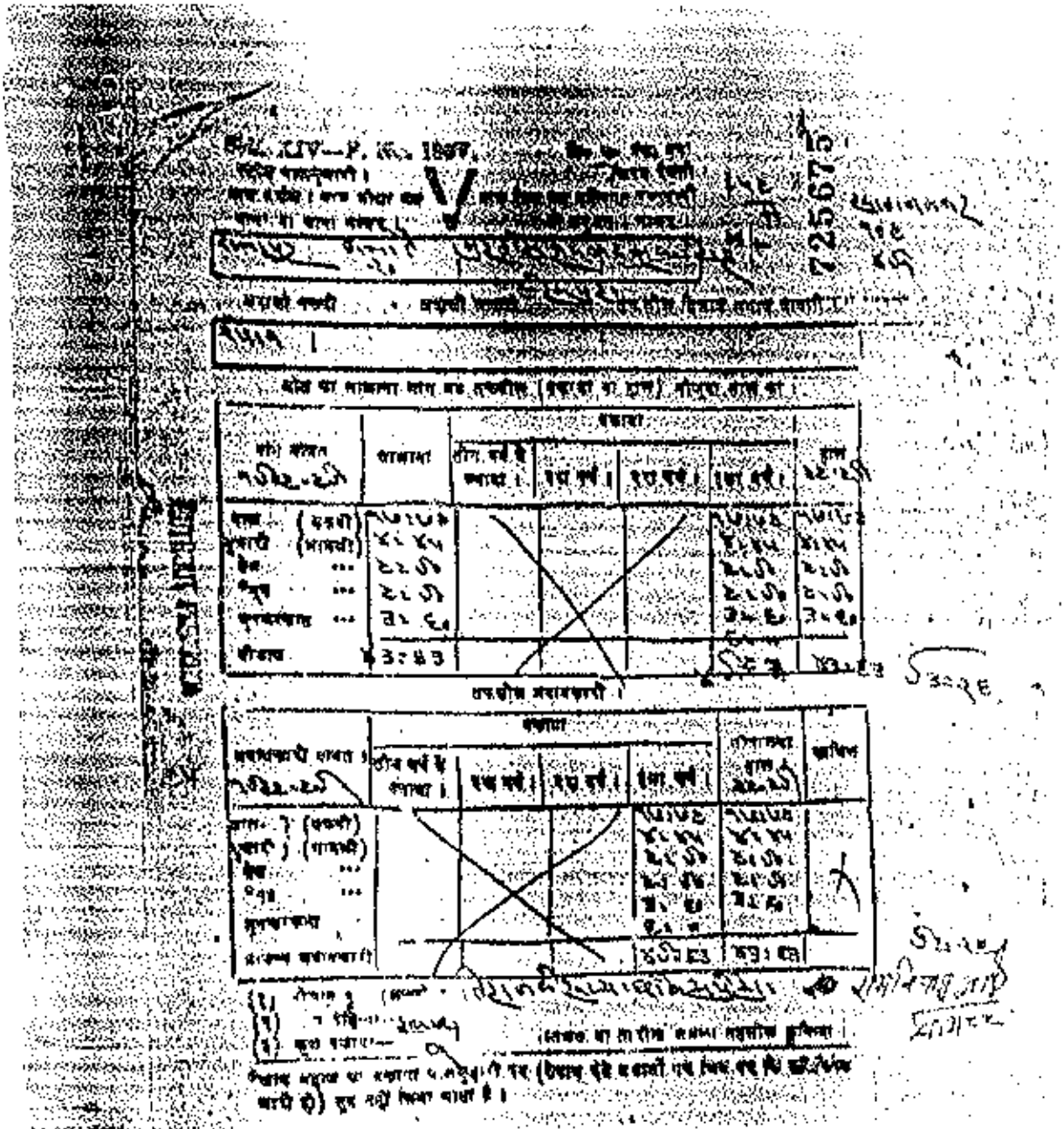
भवदीय

सुबोध कुमार ,
ठारीदार मेट बाईकोट ,

पटना।







GOVT OF BIHAR
DISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
PATNA COURT, PATNA
COURT FEE STAMP
Authorisation No. 2211/41/12

STAMP DUTY
भारत
00000
बिहार
JUDICIAL
Rs≈0000100≈
11. 6. 201
374148
BIHAR
INDIA
Zero Zero Zero Zero One Zero Zero

लेख्य प्रमाणक, सदर पटना ।

शपथ पत्र

मैं, त्रिलोकी सिंह, पिता स्व० राजेन्द्र सिंह, ग्राम- शेखपुरा पो०- बी०भी०कॉलेज, थाना- शास्त्रीनगर, जिला- पटना (बिहार) शपथ पूर्वक बयान करता हूं

1. यह कि हमारा वंशावली इस प्रकार है ।

स्व० सुबा सिंह
↓
स्व० मूरत सिंह
↓
स्व० रामा सिंह — स्व० राजेन्द्र सिंह
↓ — ↓
कामेश्वर सिंह — स्व० नागेन्द्र सिंह — त्रिलोकी सिंह — त्रिपुरारी सिंह
↓ — ↓ — ↓ — उर्फ अंशुर
रत्न कुमार — वरुण कुमार — ओम प्रकाश
↓
रंजीत कुमार — सुजीत कुमार — अजीत कुमार

उपरोक्त कथन मेरी जानकारी में सही को लिया है ।

I Identify the deponents Signature/ L.T.I. who has/have affirmed in My Presence.

Advocate

त्रि लोकी सिंह

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

मैं रणजीत सिंह जबकि स्वo श्री सुरत सिंह, ग्राम-शेरपुरा, पोo- पोo भो० कोलेज, थाना - जहानाबाद, जिला - पटना हूँ। मैं अपने भाई श्री राजेन्द्र सिंह से जायदाद बाटवारा के लिए दोनों भाई मिलकर (1) श्री परमानन्द सिंह, ग्राम - महाबुद्धु चक, थाना - फुलवारी शरीफ, जिला - पटना
(2) श्री अजय कुमार सिंह, ग्राम - सिमरा, थाना - फुलवारी शरीफ, जि०
(3) श्री राम उदगार सिंह, ग्राम - शेरपुरा, थाना - जहानाबाद, जिला - प.
(4) श्री राम लखन सिंह, ग्राम - शेरपुरा, थाना - जहानाबाद, जिला - प.
(5) श्री जगदीश राय, ग्राम - चितरौली, पो०- चितरौली, जिला - मुजफ्फ

को पंच मुकर्रर किया।

मैं अनुरोध करता हूँ कि ये पंच लोग जो फैसला देवें वह हम दोनों को मानना होगा।

रणजीत सिंह
हस्ताक्षर

पंचों का फैसला निम्नलिखित है :-

(1) मकान शेरपुर - [illegible] श्री राजेन्द्र सिंह को मि
(2) खपड़ा (दलान) - [illegible] श्री रणजीत सिंह को मिलेगा
शेरपुर मकान का दोनों भाई या [illegible] श्री रामा सिंह को
(3) खपड़ा से थाना जमीन [illegible] से श्री राजेन्द्र सिंह
को एक बड़ा जमीन ज्यादा किया गया, श्री राजेन्द्र सिंह
(4) शेरपुरा के थाना मकरसी जमीन में दोनों भाई का हिस्सा बराबर
रहेगा।
(5) थाना में दोनों भाई के नाम से जमीन खरीदा हुआ है [illegible] के नाम से खरीदा गया है उसमें दोनों भाई का हिस्सा बराबर रहेगा।
(6) रामपुर में जो जमीन दखल में है या [illegible] जी को खरीदा में है दोनों में दोनों भाई का हिस्सा बराबर रहेगा।
(7) शेरपुरा, रामपुर, थाना के जमीन का बाग [illegible] मालगुजारी या पानी [illegible] दोनों भाई को बराबर देना होगा।

पंचों का हस्ताक्षर :-

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]
(5) [illegible]

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख ..... तक

आदेश पत्रक

जिला– पटना सन्

केश का प्रकार मा० खा० वाद सं० 2913 सन् 2015-16

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश एवं की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

श्री [illegible] पिता [illegible] ग्राम [illegible] पो० [illegible]

बल्द [illegible] ग्राम [illegible] पो० [illegible]

थाना [illegible] जिला [illegible] केवाला सं० [illegible] दिनांक [illegible]

के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल–खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है :

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एरियी	लगान
[illegible]	20	108	1347	42/4	
			1340	8.4	
			1341		
			530	63	
			1347	042/4	

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक [illegible] को रखें।

हस्ताक्षरित एवं सीलबंद।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

[illegible] नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल–खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। अतएव उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल–खारिज की [illegible] दी जाती है। सूचित–एवं निर्णित करें।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy
[illegible]
Authorised [illegible]

तुलना कर्ता

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

पु० केश नम्बर 2713 साल 2015/16

ग्राम - [illegible]

पु० में जमीन रकबा

जरशमन -

हल्का नम्बर 8 अंचल - दानापुर

राजस्व थाना नम्बर - [illegible] जिला - पटना

प्राप्त का जरिया - [illegible]

केसल - तिथि -

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
सूरज पंडित सि० - सुरेश सिंह औरंगाबाद	108 491		0.69	8.00

जमाबंदी नम्बर 358

अं० अ० दानापुर

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र
[illegible] किया। [illegible]
[illegible] में मिलान किया।
पंजी में आवेदक द्वारा
नाम दर्ज है। आवेदित जमीन
आवेदक को पैतृक सम्पत्ति
के रूप में प्राप्त हुआ है। जमीन
[illegible] है और आय मालिक
[illegible] है। भूखण्ड
भूकरपंजी से ऊँचा है। आवेदक
आवेदक के कब्जा में है।

[illegible] ग्राम [illegible]
का [illegible] कानिल
[illegible] की [illegible]
[illegible] लगी है।

बचा हुआ रकबा		V 4 S		

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
श्री गिरीजा सिंह	108	1297	— 43	
सि० - स्व० रामेन्द्र सिंह जी	~1	1290	— 08	5.00
श्री त्रिपुरारी "	~1	1291	— 08	
	~1	530	— 03	
पिता - स्व० रामेन्द्र सिंह ग्राम - औरंगाबाद	~1	1297	— 0.04	
			= 1.18	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Certified to be true Copy
[illegible]
Stamp Clerk
Authorised under Act 18, 75 Act of 1872

तुलना कर्ता

Sch. XIV—F. No. 180 V.

V

X
102

10.1.56

0065240

	20		

0.12.0 | [illegible]

<table>
<tr><td>2.0.15-46
मांग बाबत</td><td></td><td>सालाना</td><td colspan="4">बकाया</td><td>जाल</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>तीन वर्ष से ज्यादा।</td><td>3रा वर्ष।</td><td>2रा वर्ष।</td><td>1ला वर्ष।</td><td></td></tr>
<tr><td>माल—</td><td>(नकदी)</td><td>5.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>गुजारी</td><td>(मालगी)</td><td>1.25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>सेस</td><td>...</td><td>2.50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.50</td></tr>
<tr><td>*सूद</td><td>...</td><td>2.50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.50</td></tr>
<tr><td>मुआफकारा</td><td>...</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>मीजान</td><td></td><td>12.25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12.25</td></tr>
</table>

तफसील अदायकारी।

<table>
<tr><td>2.0.15-46
अदायकारी बाबत</td><td></td><td colspan="4">बकाया</td><td>मोतालबा जाल</td><td>फाजिल</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>तीन वर्ष से ज्यादा।</td><td>3रा वर्ष।</td><td>2रा वर्ष।</td><td>1ला वर्ष।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>माल—</td><td>(नकदी)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>गुजारी</td><td>(मालगी)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.25</td><td></td></tr>
<tr><td>सेस</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.50</td><td></td></tr>
<tr><td>*सूद</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.50</td><td></td></tr>
<tr><td>मुआफकारा</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td>मीजान</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12.25</td><td>12.25</td></tr>
</table>

(1) मीजान कुल (तफजीं में) —

(2) खाम देहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्खत से तारीख अगला तहसीलदार कानूनगो

*इस जाल में बकाया सूद जारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी

10/10/15

वसीकानं0-

रजि0-5 रुपया 10 आना

1-नाम मालीकिन :-

मुरत सिंह पत्नी सुधा सिंह जात कुर्मी अवधिया पेशा कारखानदारी साकिन रघुपुर पुरना फुलवारी थाना दानापुर जिला पटना

2-नाम मोकिल अदेह :-

रघुपत सिंह पत्नी राम शरण सिंह मोतबना जात अवधिया कुर्मी पेशा कारखानदारी साकिन रघुपुर पुरना फुलवारीथाना दानापुर जिला पटना

3-किस्म वसीका :-

पेशगी बयनामा

वसीकादार रकम :-

मो0 260/-रुपया

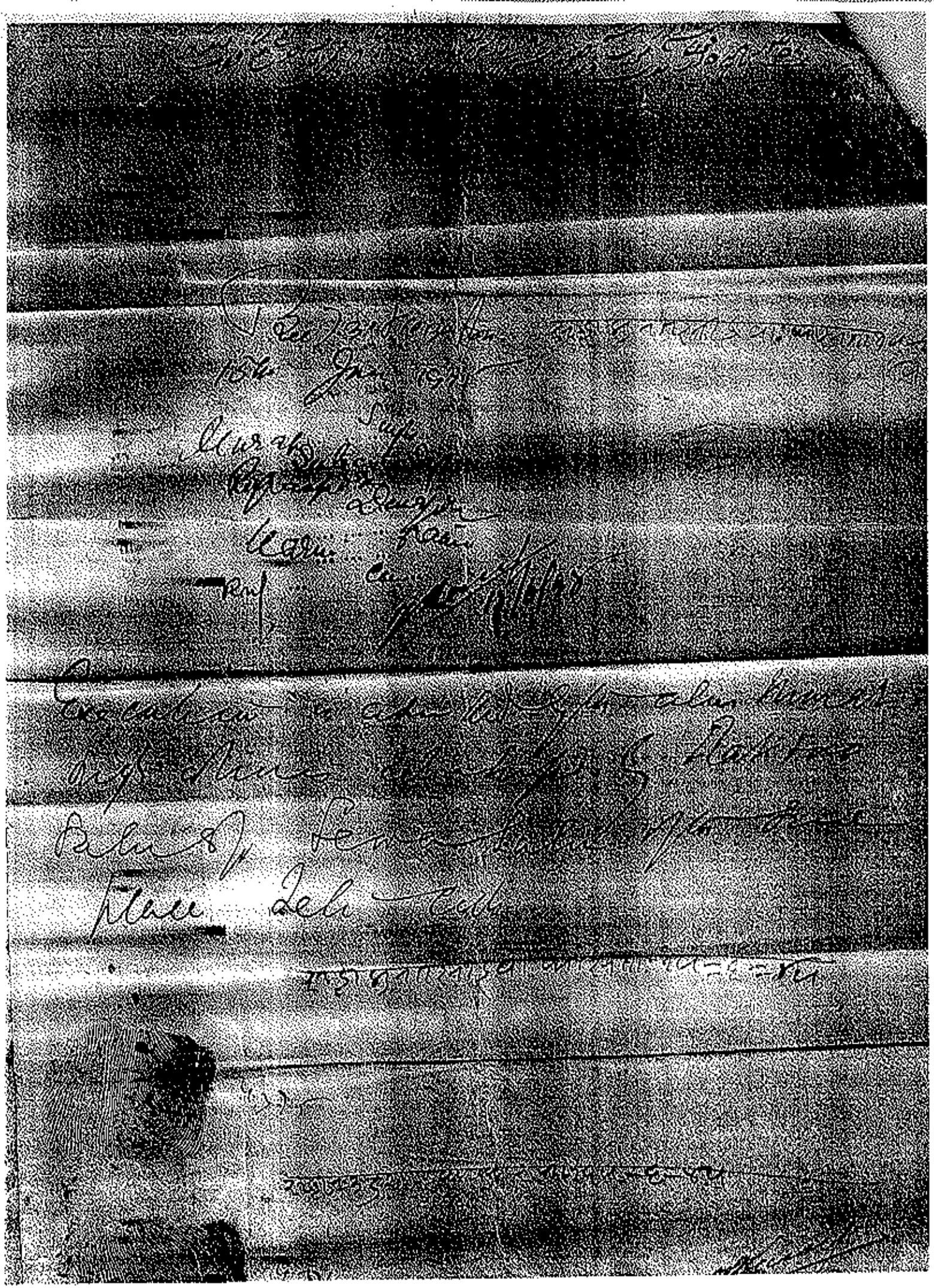
5-तफसील जायदाद :-

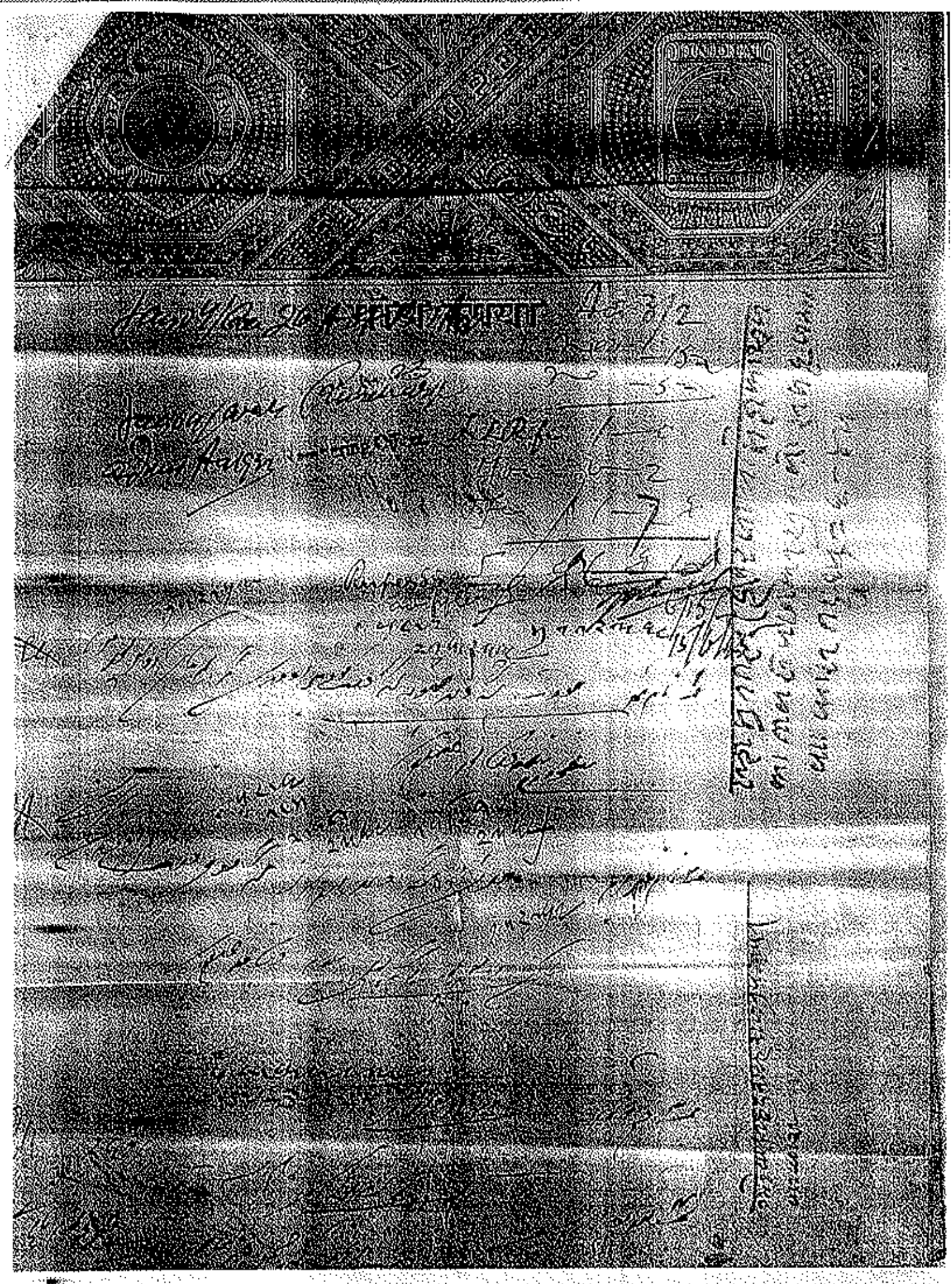
मयाजी 13 डिसमील शरजी हसील जात रैयती पक्के नक्शी पाके मौजा रघुपुर पुरना फुलवारी थाना दानापुर जिला पटना तौजी नं0-5953 * जात नं0-108 थाना नं0-20 सर्वे नं0-1286 सब रजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री पटना नाम मालिक सैयद अजहर थारी साकिन मौजा रघुपुर पुरना फुलवारीथाना दानापुर मालगुजारी 1 रुपया 6 आना मय सेष

उत्तर-दीनानारायण सिंह
दक्षिण-अनुराग सिंह
पूरब-रामदास सिंह
पश्चिम-श्री गोविन्द

हूं एराजी बाग मकबूल सदर जो कब्जा दखल मालोकिर के चला आता है उसको पक्का रजाय वो रगबा वदस्त मौकिर अहद के बेचा वो बयनाकलामी किया वो कुल जरसमन वास्ते अदाय दैन वन्द महाजनान से लेकर कब्ज वो तसर्फ में अपने हर तावा वो खरीदार को ऊपर सैयदोचईया पर कागिज दखिल मालिक मुस्तकिल सरदानार जो कुछ हक मलमौकिर को सैयदोचईया में हासिल था वह कुल हक मजिलसह खरीदार को हासिल हुआ वो खरीदार कागिज दखिल होकर नाम अपना वासिरस्ते जमींदारी दर्ज करा लेवे अब इसमें कोई दावी किसी तरह का मलमौकिरखाह वारिसान मालोकिर का नहीं है अगर वकेल मलमौकिर सैयदोचईया मुज या कुल दखल कब्जासे खरीदार के निकल जावे तो उस वक्त अख्तियार खरीदार को हासिल है कुल जरसमन असल मय खेसारापो तावान वो सूद जानूनी लगाकर मालोकिर के हर किसिम के जात वो जायदाद से वसूल कर लेवेंगे ।

इस वास्ते यह बतौर बयनाकलामी लिख दिया कि वक्त पर कामआवे
तहरीर तारीख 15·6·45
सही मुरत सिंह वय लिखा सो सही कागिज से पढ़ाकर सुनसमझ लिखापा:जात 15·6·45
गवाह कैटू साह साकिन रमपुर पा:जात
गवाह रघु साव साकिन जलालपुर पा:जात
कागिज वसीकहाजा सैयद गयाउद्दीन साकिन दानापुर मालुम पढ़कर सुना समझा दिया





198
28.8.15

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र)

नाम कमल किशोर सिंह पिता-स्व राजचली सिंह ग्राम रामपुर

थाना रामपुर जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	एकवा एकड़	एकवा डिसे
मौजा-रामपुर थाना-रामपुर		687	758	0.36	15
		108	757		शि०
		541	1986		
		47	1114		
			304		
			522		

B/C अं० रामपुर

आवेदक के नाम से मौजा-रामपुर थाना-रा
में जमाबंदी का 45 55 का कुल अंकित
एवं जमाबंदी का टैक्स की रसीद जो
संलग्न किया एवं टैक्स की रसीद वर्ष 2015-16 तक
है एवं रसीद वर्ष 2015-16 तक
है। आवेदन से जो जमा
मालिक के नाम से है अन्य
से कुल है।

कमल किशोर सिंह
आवेदक का हस्ताक्षर

कर्मचारी का प्रतिवेदन

कार्यालय का मुहर

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

177
28.8.15

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र)

नाम श्री राज किशोर सिंह पिता स्व० राजबली सिंह ग्राम रघुशपुर

थाना कोनपुर हाल- रघुशपुर जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	
				एकड़	डि०
मौजा - कोनपुर थाना नं० 20		687	758	0.27	.65
		108	757		डि०
		541	1286		
		47	1114		
			522		

अंचल कार्यालय कोनपुर

कोनपुर के नाम से 5 पत्ता निम्न खाता संख्या की खतियान प्रमाणित की जाती है
एवं 4454 का रकबा का दर्ज है
रसीद पर्ची 2014-16 तक विभाग में
प्रमाणित देखी है और जमा भी किये
गए खाते बही है जुड़ा हुआ है
से मुवाजा है

राज किशोर सिंह
आवेदक का हस्ताक्षर

कर्मचारी का प्रतिवेदन

कार्यालय का मुहर

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी
माल गुजारी । माल मौजा मय
थाना वो खसरा नम्बर

V

फरद नं. ...../..... ३ ।
माल रैयत मय वल्दियत ...

00880455

[illegible]	[illegible]	[illegible]

अराजी नगदी 20 अराजी भावली पिता— साकिन हिसाब ... भावली।

0-27-65 ए.	स्व- शत्रुघ्न सिंह	ग्रा- [illegible], [illegible]

जोत का सालाना माल मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का। पक्का

2015-16 माल वाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल— (नकदी)	5.00				15.00	5.00
गुजारी (भावली)	1.25				3.75	1.25
सेस	2.50				7.50	2.50
*खुद	2.50				7.50	2.50
मुतफरकात	1.00				3.00	1.00
मीजान	12.25				36.75	12.25

तफसील अदायकारी।

2015-16 अदायकारी वाबत	बकाया				वसूलयाबी हाल	वाजिब
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल— (नकदी)				15.00	5.00	
गुजारी (भावली)				3.75	1.25	
सेस				7.50	2.50	
*खुद				7.50	2.50	
मुतफरकात				3.00	1.00	
मीजान अदायकारी				36.75	12.25	= 49.00

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — उनचास रुपया मात्र

(2) नाम देहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील/कुलिस्ता

*इस महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) शूद नहीं लिया जाता है।

फिल्म-(जुलाई) 1—2011

687 - 758
757
108 - 1286
541 - 1114
47 - 522

10/8/15.

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना जो थाना मम्हू

V

00680459 4455

अराजी नम्बरी

अराजी मालगुजारी

0-36-15

जोत का सालाना माँग मय तफसील (बकाया या हाल) निम्नलिखित

2015-16 माँग बाबत		सालाना	बकाया तीन वर्ष से ज्यादा।	बकाया 3रा वर्ष।	बकाया 2रा वर्ष।	बकाया 1ला वर्ष।	हाल
माल-	(नकदी)	5.40				10.00	5.40
गुजारी	(भावली)	1.25				2.50	1.25
शेस	...	2.50				5.00	2.50
*सूद	...	2.50				5.00	2.50
मुतफरकात	...	1.00				2.00	1.00
मीजान		12.25				24.50	12.25

तफसील अदाधकारी।

2015-16 अदायकारी बाबत		बकाया तीन वर्ष से ज्यादा।	बकाया 3रा वर्ष।	बकाया 2रा वर्ष।	बकाया 1ला वर्ष।	गोशवारा हाल	फाजिल
माल-	(नकदी)				10.00	5.40	
गुजारी	(भावली)				2.50	1.25	
शेस	...				5.00	2.50	
*सूद	...				5.00	2.50	
मुतफरकात	...				2.00	1.00	
मीजान अदायकारी					24.50	12.25	36.75

(1) मीजान कुल (रूपजों में) —
(2) नाम देहिन्दा
(3) कुल बकाया

दस्खत यो तारीख अगला तहसील

*इससे महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद

12.15(15,

कोल 688 108 541 47

खरीफ 758 757 1286 1114 544 522

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

X
163
96

00650607

दानापुर	सदर	मौ० चाँदी	देवी	सं०

अदालती सनदी 20 अदालती मालखी

1.096.5)	अजय कुमार, विनोद कुमार सिंह

जोड़ का सालाना मांग मय तफसील (बकाया भी शामिल) मौजूदा साल के लिए

2015-16 माली मांगत		सालाना	बकाया				मौजूदा साल
			तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
मालगु-	(सरकारी)	12.00					12.00
गुजारी	(मालखी)	3.00					3.00
सेस	...	6.00					6.00
*सूद	...	6.00					6.00
मुतफरकात	...	2.40					2.40
मीजान		29.40					29.40

तफसीलदार।

2015-16 अदायकारी बाबत		बकाया				मौजूदा साल हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
मालगु-	(सरकारी)					12.00	
गुजारी	(मालखी)					3.00	
सेस	...					6.00	
*सूद	...					6.00	
मुतफरकात	...					2.40	
मीजान अदायकारी						29.40	29.40

(1) मीजान कुल (अक्षरों में) — उनतीस रुपया चालीस पैसामात्र

(2) माल बेबाकी —

(3) कुल बकाया —

अदालत की तरफ से अपना तहसीलदार कायम

*जारी मालखी की बकाया पर

पर (संख्या ऐसे अंकों पर जिन पर की सर्टिफिकेट जारी

जाए है।

27/8/15.

1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
7.98	6.95	6.94	18.22	12.86	10.77	5.22

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

1266
29/7/15

नाम श्री० यशोदा देवी, अनिल कु० सिंह, प्रदीप कु० सिंह / पति स्व० राजेन्द्र सिंह मनोज कुमार, विनोद कु० सिंह

ग्राम रामपुर

थाना रामपुर जिला रोहतास

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	
				एकड़	डि०
मौजा - चानो, थाना नं - 20		687	758	1.09½	
		673	695	डि०	
		290	694		
		108	1622		
		47	1286		
			1077		
			522		

[illegible]

आवेदक का हस्ताक्षर

अनिल सिंह
विनोद कुमार सिंह

कर्मचारी का प्रतिवेदन

कार्यालय का मुहर

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

वसीद मालगुजारी
माग सर्कल। माम मौजा एवं
थाना वो थाना नम्बर

V

तहसील पटना
फरद नं. की/फसली
माग रैयत पर बन्दिश

00680461

कोनापुर	स्वनील 20	[illegible]	[illegible]

आराजी नगदी — आराजी माबली — [illegible] — [illegible]

1424	पंकज कुमार	[illegible]

बाकीपेश-सालाना माँग मय तफसील (बकाया वो हाल)

2015-16 माँग बाबत		सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
मल—	(नकदी)	2.40				6.00	2.40
गुजारी	(भावली)	0.50				1.50	0.50
सेस	...	1.00				3.00	1.00
*सुद	...	1.20				3.60	1.20
मुतफरकात	...	0.40				1.20	0.40
मीजान		5.70				14.70	5.70

तफसील अदायकारी।

2015-16 अदायकारी बाबत	बकाया				मौजालवा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
मल— (नकदी)				6.00	2.40	
गुजारी (भावली)				1.50	0.50	
सेस ...				3.00	1.00	
*सुद ...				3.60	1.20	
मुतफरकात ...				1.20	0.40	
मीजान अदायकारी				14.70	5.70	5.70

(1) मीजान कुल (लाइजों में) — [illegible]
(2) नाम देहिन्दा — [illegible]
(3) कुल बकाया — [illegible]

दस्खत वो तारीख अमला तहसील वसूलयाबी

*सूद महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद कभी लिया जाएगा।

12/8/15

GOVT. OF BIHAR
Registration, Excise & Prohibition Deptt
PATNA SCORE, PATNA

COURT FEE

भारत — STAMP DUTY — बिहार
00000 JUDICIAL
Rs. 0000005 29.10.2012
375303 BIHAR
INDIA — Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Five

2746 762445

तारीख..... Authorization No. 3913

आदेश पत्रक

जिला— पटना सन्

केस का प्रकार दा0 खा0 वाद सं0 1202/8 सन् .....

आदेश की क्रमांक एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।

21/01/12

श्री [illegible] कुमार —

वल्द — [illegible] साम [illegible] पो0 [illegible]

थाना [illegible] जिला [illegible] केवाला नं0 1015 दिनांक 28-12-11

के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल–खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा	एराजी	लगान
दानापुर	90	172	1282	1724	2-00

अमीन 3032 8/11/12

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 4/2/11 को रखें।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

4/2/11

नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगो ने आवेदक के नाम दाखिल–खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल–खारिज की [illegible] दी जाती है। शुद्धि–पत्र निर्गत करें।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

certified to be true Copy

तुलना की

PATNA SCORE, PATNA 00000 JUDICIAL

COURT FEE Rs. 0000005 29.10.2012

BIHAR 375303

INDIA Zero Zero Zero Zero Zero Zero Four

2873 63255

Authorization No. 2013

2011-12

8 आना

2.0

1015

29/10/12

गीमिनि विलक्षण चिह्न पति वायु देव नारायण चिह्न सा० गली परसा बाजारपट्टी	1.12.	12.82	1.24 कोपी	0.50	आवेदिका के आवेदन पर उसके पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री/ पिता/ माता के विरुद्ध कांड दर्ज है/ अभियोग चलाया जा रहा है/ जमानत करवाई है/ जमानत पर है/ जमानत देनी है/ आज साक्षी/ पक्षकार नहीं है/ अदालत प्रस्तुतकर्ता नहीं है/ अतः श्री चन्देश्वर आनन्द किशन कॉलोनी, आनन्दपुरी, पटना के पक्ष में वकालतनामा दायर किया जाता है। अतः आवेदिका की ओर से प्रार्थना है कि उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाय।
गीमिनि रूबी कुमारी पति स्व० रवि पंकज कुमार सा० चिरुहा पो० चुड़िया थाना- परसा बाजार जिला- पटना	1.12.	12.82	1.24 कोपी	2.00	उपरोक्त आवेदन आद्योपान्त सुनने के पश्चात आवेदिका के अधिवक्ता श्री चन्देश्वर आनन्द के प्रार्थना पर आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

Certified to be true Copy

Vakalatnama 3032 29/10/12

Case 67% Affidavit

Vakalatnama

पुलवारी कला

Serial No.- 12915

Deed No.- 101

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

D 809924

2 2 NOV 2011

बिहार सरकार

अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर

दिनांक 28/12/2011 को Kiran Singh द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रु० 91280/- मुद्रांक शुल्क एवं रु० 23665/- निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन/स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्त्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित है । इसे दस्तावेज सं० 10151 के रूप में पुस्तक सं० 1 की जिल्द सं० 168 के पृष्ठ सं० 70 से 79 तक CD 26 में आज निबंधित एवं कुल 10 पृष्ठों में स्कैनित किया गया ।

ह०

(Dhananjay Kumar Rao)

निबंधन पदाधिकारी

Date : 28/12/2011

Token No.- 13087 / Year 2011

1– लेख्यकारिणी का नाम एवं पूरा पता–

श्रीमती किरण सिंह, पिता का नाम श्री वासुदेव नारायण सिंह, निवास स्थान– गढ़ी खुरमा, पत्रालय– खुरमा, थाना– शम्भुगंज, जिला– भागलपुर, हाल जिला– बांका, भारतीय नागरिक ।

बैंक Scroll एवं चलान को बैंक द्वारा ली जाँचा

Serial No : 12915 Deed No : 10151
Token No : 13057 of 2011

Type & Status of Party	Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Li
In Favour of	*Ruby Kumari*						
	Ruby Kumari 28/12/11 Signature of Party						
Presented by Self	*Kiran Singh*						
	किरण सिंह 28/12/11 Signature of Party						
Executed by	*Kiran Singh*						
	किरण सिंह 28/12/11 Signature of Party						
Identifier	*Sunil Kumar*						
	सुनील कुमार 28/12/11 Signature of Party						

CEVPK5296M

अंदर रु0---------- शब्दों में (रू0----------) मात्र

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्त्ता हेतु)

(4)

बिहार सरकार

निबंधन विभाग

गैर मालिक

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंध शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम /पता---श्री ... (जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है)---

2. दस्तावेज का प्रकार---

3. निबंधन कार्यालय---

4. बैंक का नाम एवं शाखा---SBI

5. भुगतान की जानेवाली राशी का विवरण :

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई -75 49 सकल प्राप्तियाँ विषय कोड -R0030021030001, A/c No.-10963226567	89280=00	89280=00
निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष -03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष -104- दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष -0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राप्तियाँ विषय कोड - R0030031040001, A/c No.-10963226576	22820=00 45=00	22,865
भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष -0029- भू राजस्व लघु शीर्ष -800- अन्य प्राप्तियाँ-उप शीर्ष -0006- अन्य मदें - प्राथमिक इकाई -75 49 भूमि निबंधन शुल्क से आय विषय कोड- R0029008000006, A/c No.-10963226598	500=00 50=00	550=00

भुगतान का माध्यम : नगद/ चेक/ ड्राफ्ट

कुल योग 112695=00

कुल राशि शब्दों में ---

250=00

स्थान---

तारीख---

112945=00

* चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।

* चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तर्गत होने के पश्चात ही मान्य होगी

जमाकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

FOR USE OF THE BANK

स्क्रोल नं0 ---------- तारीख ---------- उपर्युक्त कालम संख्या 05 में दिये गए विवरण के अनुसार रू0 ---------- / शब्दों में---------- रूपये प्राप्त किया

बैंक Scroll एवं चलान की बैंक प्रति से जाँचा

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

निबंधन हेतु सर्विस चार्ज जमा करने का विवरण

एस्क्रो लेखा सं0 : A/c No. 30978446198

जमा करने की तिथि : 26 DEC

बैंक स्क्रोल सं0: ----------

* (दस्तावेज के पृष्ठ की संख्या +2)X रू0 25/- 250/-

बैंक की प्राप्ति एवं मुहर

भारतीय गैर-न्यायिक

INDIA

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

D 809925

-- 2 --

2-- लेखकधारिणी का नाम एवं पूरा पता--

श्रीमती ऊर्वी कुमारी, पति का नाम श्री पंकज कुमार, निवास स्थान-- सिंहद्वार पत्रालय-- सुईया, थाना-- पत्रसा बाजार, जिला-- पटना, भारतीय नागरिक।

3-- लेख्य प्रकार--

निर्विवाद विक्रय-पत्र सर्वदायी केवाला बैयलाः कलामी।

(DEED OF ABSOLUTE SALE)

4-- मूल्यांकन--

रु0-- 11,41,000/-- रूपया (ग्यारह लाख एकतालीस हजार रूपया) मात्र।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA

FIVE HUNDRED RUPEES

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

D 80992

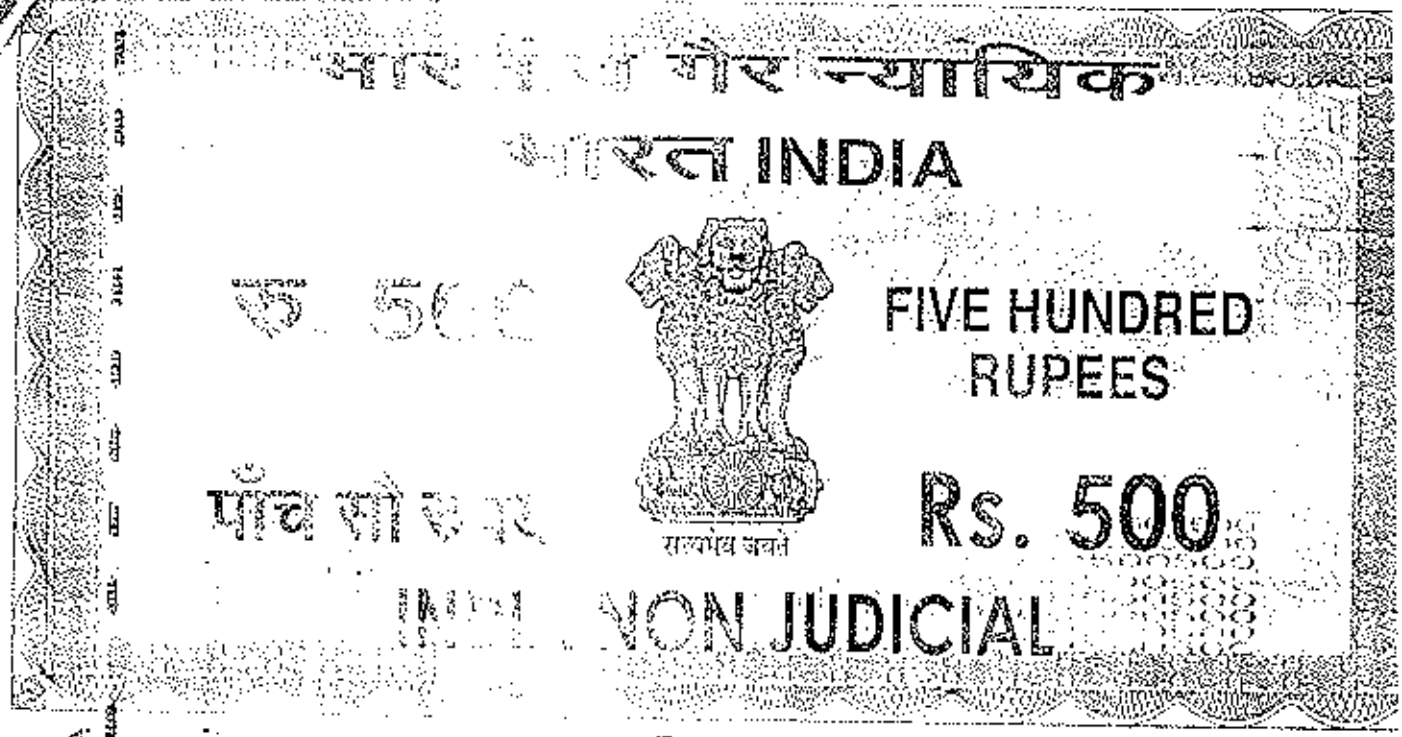
— 3 —

5- रायतों का सम्पूर्ण विवरण—

रकबा 1724 वर्गफीट (एक हजार सात सौ चौबीस वर्गफीट) भूमि आबादीय, जिसका अधिकार कास्त रैयती कायमी मालदी वाके मौजा— धनौल, परगना— फुलवारी, थाना को अंचल वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना, जिसकी तौजी नं0— 5553, थाना संख्या— 20, खाता संख्या— 472 (एक सौ बहत्तर), सर्वे खेसरा प्लॉट संख्या— 1282 (एक हजार दो सौ बेरासी) रकबा 1724 वर्गफीट। मिनजुमले रकबा 5720 वर्गफीट। यानी 3.95 डी० मुतल्लो-एकसपुर जिसका सलाना लगान मो0— 1/— रूपया अलावे शेष जमीनदारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर। जमाबन्दी नं0— 1828, सन् 2006—07 ई०।

2 MAR 2011

Rajiv Kumar Singh
S/O - Shri Lutfar Singh
At+Po - Digha Ghat
Distt - Patna.
28/12/11



बिहार BIHAR

D 809927

— 4 —

" चौहद्दी "

उत्तर : छः फीट रास्ता।

दक्षिण : राम स्वार्थ सिंह।

पुरब : जगत बिहारी सिंह।

पश्चिम : पार्ट प्लॉट नं0— 1282 हाल खरीदार दीगर।

" संदर्भ "

विदित हो कि खाना नं0—5 में वर्णित सम्पत्ति लेखकारिणी की खरीदगी सम्पत्ति है जिसे नकिरते श्रीमती किरण कुमारी उर्फ किरणलता कुमारी, पिता श्री राम चलितर सिंह, साकिन— कठौतिया, थाना— मनेर, जिला— पटना से दिनांक— 15/03/1989 ई0 को बैय खरीद किया है। जिसका

बुक नं0— 01, जिल्द नं0— 102, पेज नं0— 377 से 386 तक, बरीक नं0— 3147, रिटियल नं0— 3679, सन् 1989 ई0, है। बैय खरीदने के रोज से ही लेख्यकारिणी खाना नं0 5 में वर्णित सम्पत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के साथ काबिज दखिल मालिक पुरतकील हो अधिकृत होकर वो रहकर उपभोक्ता स्वरूप हर तरह से उपभोग करती चली आ रही है। खाना नं0 5 हर तरह के झगड़ा झंझट से शुद्ध पवित्र वो ऋणमुक्त है।

लेख्यकारिणी को हाल रोजगार करने वो अन्य जरूरी कार्यों के लिए रुपयों की अनिवार्य आवश्यकता है। बिना खाना नं0 5 में वर्णित सम्पत्ति को बेचे हुए शीघ्र रूपयों की प्रबन्ध नहीं हो सकता है इसलिए लेख्यकारिणी ने खाना नं0 5 में वर्णित सम्पत्ति को उचित किमत पर लेख्यधारिणी के साथ बिक्री कर रहें है।

अतएव लेख्यकारिणी अपनी इच्छा व मन की स्वतंत्रता से पूर्ण चित होकर राजी खुशी से होश हवाश में रहते हुए अपनी हानि व लाभ को बाखुबी सोच विचार कर स्वस्थ मानसिक अवस्था में रहते हुए बिना किसी डराव व धमकाव के मो0— 11,41,000/— रूपया (ग्यारह लाख एकतालीस हजार रूपया) मात्र में खाना नं0 5 को बिना शर्त केवाला बैआ कलामी (विक्रयपत्र) का लेख्यपत्र लेख्यधारिणी के नाम से लिखा वो लेख्यकारिणी के हाथ बैआ मो कुल रूपया लेख्यपत्र निष्पादन से पहले वसूल पा चुकें है। इस तरह से लेख्यकारिणी ने अपना कुल रूपया वसूल पाकर खाना नं0 5 में वर्णित सम्पत्ति पर आज के रोज से कुल कब्जा—दखल वो अधिकार लेख्यधारिणी को दिया कि लेख्यकारिणी आज के रोज से खाना नं0 5 पर पूर्ण स्वामित्व के साथ काबिज दखिल वो अधिकृत होकर वो रहकर उपभोक्ता स्वरूप हर तरह से उपभोग करें। खाना नं0 5 पर लेख्यकारिणी का जो भी हक वो अधिकार वो स्वामित्व प्राप्त था या भविष्य में होता कुल बिनाकर आज के रोज से

लेख्यधारिणी को प्राप्त हुआ। खाना 5 पर लेख्यकारिणी को किसी भी तरह का दावा-दावी राशीकार बाकी नहीं रहा। खाना नं० 5 का पूर्ण मालिक मुस्तकील वो अधिकारी लेख्यधारिणी हुए। चाहिये कि लेख्यकारिणी जहाँ-जहाँ जरूरी समझे अपना नाम बिहार राजकार की जमीन्दारी विभाग की पुस्तिका में लेख्यकारिणी के स्थान पर लेख्यधारिणी अपना नाम दर्ज करा लेवेंगी तो इसमें लेख्यकारिणी को किसी तरह का कोई उजूर एतराज नहीं है नहीं भविष्य में इनके वारिसान या उत्तराधिकारी को ही होगा।

यदि खाना नं०-5 से लेख्यकारिणी के नुक्स हकियत से लेख्यधारिणी किसी कारण बेदखल हो जाते हैं तो लेख्यधारिणी को हक वो अधिकार है वो होगा कि लेख्यकारिणी के देह से चल अचल मागी बेमागी या दूसरी कोई ऋणमुक्त भूमि से या मो० 1/— रूपया सैकड़ा माहवारी सूद लगाकर असल रूपया वो उसका सूद के साथ अदालत द्वारा कानूनी कारवाई कर वसूल वो चुकता पावेंगे। इसमें लेख्यकारिणी को किसी तरह का कोई उजूर एतराज नहीं है नहीं भविष्य में लेख्यकारिणी के वारिसान या उत्तराधिकारी को ही होगा।

इसलिए लेख्यकारिणी ने यह केवाला नथला कलमी (विक्रयपत्र) का लेख्यपत्र लेख्यधारिणी के नाम से लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

दिनांक— 28-12-2011

Ruby kumari
28-12-2011

प्रारूपकर्ता

अनुमान के आधार पर नजरी नक्शा

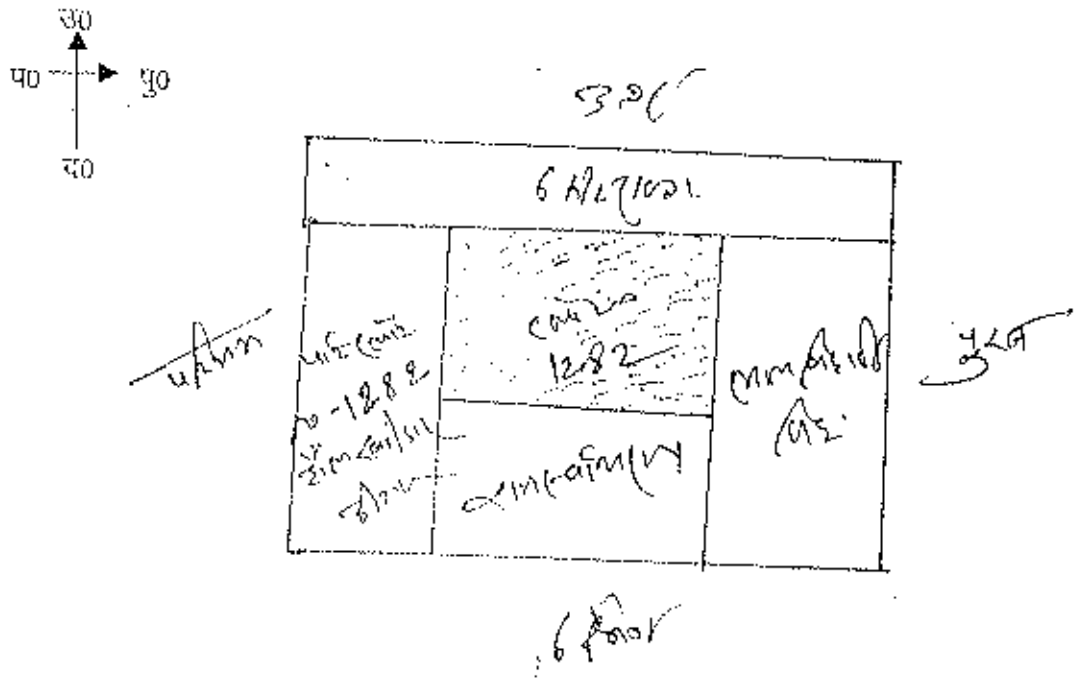
नाम विक्रेता— [illegible]

नाम क्रेता— [illegible]

मौजा— [illegible] , थाना— [illegible] शाला नं0— 20 , खाता नं0— 172

प्लॉट नं0— 1284 एरासी 1724 वर्ग फीट

यह कि नजरिया नक्शा पक्षकारों द्वारा दिया जा रहा है जो लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि नजरिया नक्शा में प्रश्नगत भूखण्ड [illegible] ग्रा0 त्रिज्या के अन्दर भूमि की विशेषताएं एवं अन्य निशानदेही को दर्शाया गया है।



विक्रेता का हस्ताक्षर

[illegible]

28/12/11

क्रेता का हस्ताक्षर

Ruby kumari

28/12/11

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 35)

Admissible under Rule 21 : duly stamped / or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 23. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 68460

Addl. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act Rs. 22820

(Paid Rs. 2000/- *by N.J. Stamp Paper and* Rs. 112945/- *through Bank Challan.)*

FEE PAID									
A1	22820	C	0	H1b	0	Ka1	0	Lii	0	LLR	500	Total Fee
A8	0	D	0	I2	0	K1b	0	Liii	0	Proc. Fee	50	23665
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0			
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	45			
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0	Scan	250			

Registering Officer
Danapur

Date : 28/12/2011

Endorsement under section 52

Presented for registration at 03:12 PM *on* Wednesday, 28th December 2011 *at the* Sub Registry Office, Danapur *by* Kiran Singh *(Executant)* Basudeo Narayan Singh

by profession House Wife.

Registering Officer
Danapur

Signature of Presentant

किरण सिंह

28/12/11

Date : 28/12/2011

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument and are identified by Sunil Kumar age .... Sex M son/daughter of Sachidanand Sinha resident of Rupaspur,Patna.

Registering Officer
Danapur

Date : 28/12/2011

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 1 of DSRO/ SRO Danapur having 10 pages, in the volume CD-26 and document no. of which is printed on the First Page of the document.

Registering Officer
Danapur

Date : 28/12/2011

Token No. 13087 Year - 2011 Sl.No. 12915 SCORE Ver. 2.0 Deed No. 10151 NIC-Bihar

SCANNED

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

वसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

वि0स0मु0, पटना।
फरद मालगी / फरद रेवती।
नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी
वो सकुनत। नम्बर।

X
106

982 खेसरा-कोड

		00515685

अराजी नगदी

अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली।

0.93.65		

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

2016-17 माँग आयत		सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल—	(नकदी)	12.00				36.00	12.00
गुजारी	(भावली)	3.00				9.00	3.00
सेस		6.00				18.00	6.00
*सूद		6.00				18.00	6.00
मुतफरकात		2.40				7.20	2.40
मीजान		29.40				78.20	29.40

वसूली अमलदारी DUD

2016-17 अदायगी वसूल	बकाया				मोतालवा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल— (नकदी)				36.00	12.00	
गुजारी (भावली)				9.00	3.00	
सेस				18.00	6.00	
*सूद				18.00	6.00	
मुतफरकात				7.20	2.40	
मीजान असलकारी				78.20	29.40	—

107.60

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — एक सौ सात रुपया साठ पैसा मात्र

(2) नाम वेड़िन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुण्डा

*खास गढ़ाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु (राजस्व) 1–2011

03/08/2016

172-1348
159-1361
157-1189
1296
537

Sch. XIV.—F.No. 180 V

रसीद मालगुजारी
मय्या सालेना व साथ गोजा मय
थाना की थाना नम्बर

V

विद्युतापूर्ति पहचान। X
पत्रांक मालगुजारी / पत्रांक रेवेन्यू। 107
साथ देखना मय तारीखवार जमाबन्दी
की संख्यानुसार। नम्बर 6837

0551141

धामपुर	20	श्री लाल बाबू सिंह

असली मालकी | असली भाषली पिता | तफसील हिसाब जमाबन्दी भाषली।

५२० १७।०८	ले० राम चरित्र सिंह आ० ५६ निवा० [illegible]

जोत का सालाना मांग मय तफसील (लगान को छोड़) मौजूदा अकनोट १,५७७

2016-17 मांग वाजिबा	सालाना	बकाया				जमा	
		तीन वर्ष से ऊपर।	उससे वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
मालः— (नकदी)	1.25				1.25	1.25	
गुजारी (भाषली)	0.75				1.75	0.75	
सेस	0.50				3.50	0.50	
*सूद	0.50				3.50	0.50	
मुतफरिकात	0.20				1.40	0.20	
मीजान	3.45				17.15	3.45	

WITHOUT PREJUDICE

2016-17 अदायकारी वाजिबा	बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ऊपर।	उससे वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
मालः— (नकदी)				1.25	1.25	
गुजारी (भाषली)				1.75	0.75	
सेस				3.50	0.50	
*सूद				3.50	0.50	
मुतफरिकात				1.40	0.20	
मीजान अदायकारी				17.15	3.45	= 19.60

(1) मीजान कुल (लगान) में — 3-00 (बयालीस छाड़ पैसा मात्र)
(2) साल सेहिन्हा —
(3) कुल बकाया —

दस्तखत व तारीख अमला तहसील [illegible]

*सवा रुपया का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) [illegible]
जाता है।

24/8/16

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख ..... तक

आदेश पत्रक

जिला– पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं० 6451 सन् 2015-16

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

30/9/16

श्री लालबाबू सिंह

वल्द स्व० राम चरित्र ग्राम कौलिया पो०

थाना मनेर जिला पटना केवाला नं० 543 दिनांक 22/01/10

के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल–खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान
कौलिया	30	155	1295	40-0	1.00

चार्फिट

Aw 2nd 11/5/2016

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, ग्राम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अमिलेख दिनांक 30/9/16 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

30/9/16 नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल–खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल–खारिज की कार्रवाई दी जाती है। शुद्धि–पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy
Authorised under sec, 76 Act of 1872

तुलना कर्त्ता

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

पु० केस नम्बर 6451/ साल 2015-16 हल्का नम्बर 8 अंचल दानापुर
ग्राम - पनीरी राजस्व थाना नम्बर - 20 जिला - पटना
पु० से आवेदन संख्या - प्राप्त का जरिया - फ्रम
जरशमन - केवाल - 543 तिथि - 22/01/10

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर - 6837
श्रीमती सुषमा सिंह पति श्री सच्चिदानन्द सिंह साकिन कलौंजिया कलाँ थाना अमेर पटना	155	1295	420 पर्जफीट	1.00	मौजा - दानापुर
बचा हुआ रकबा					
नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	
श्री लाल बाबू सिंह पिता स्वर्गीय राम परितर सिंह साकिन कलौंजिया कलाँ थाना अमेर पटना	155	1295	420 पर्जफीट	1.00	

आवेदक ने आवेदन पत्र का ओर किया/ परिवार एवं पंजी या वंशावली किया/ दर्ज ग्राम में विक्रेता का नाम दर्ज है/ अमीन प्रेषण केवल कागज में है/ अमीन प्रेषण है/ और आम. मालिक एवं खोज नहीं है/ सुलह-झगड़ा नहीं है युक्त है/

Cons: Cons मालगुजारी प्रतिलिपि दानापुरी विभूति लिया लवनी है/

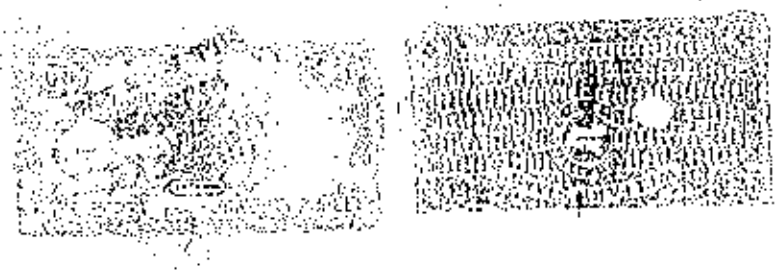
दानापुर

राजस्व कर्मचारी को प्रति वेदन पर आधारित पर अनुसारित/

दानापुर

Certified to be true Copy
Authorised under Act, 76 Act of 1872

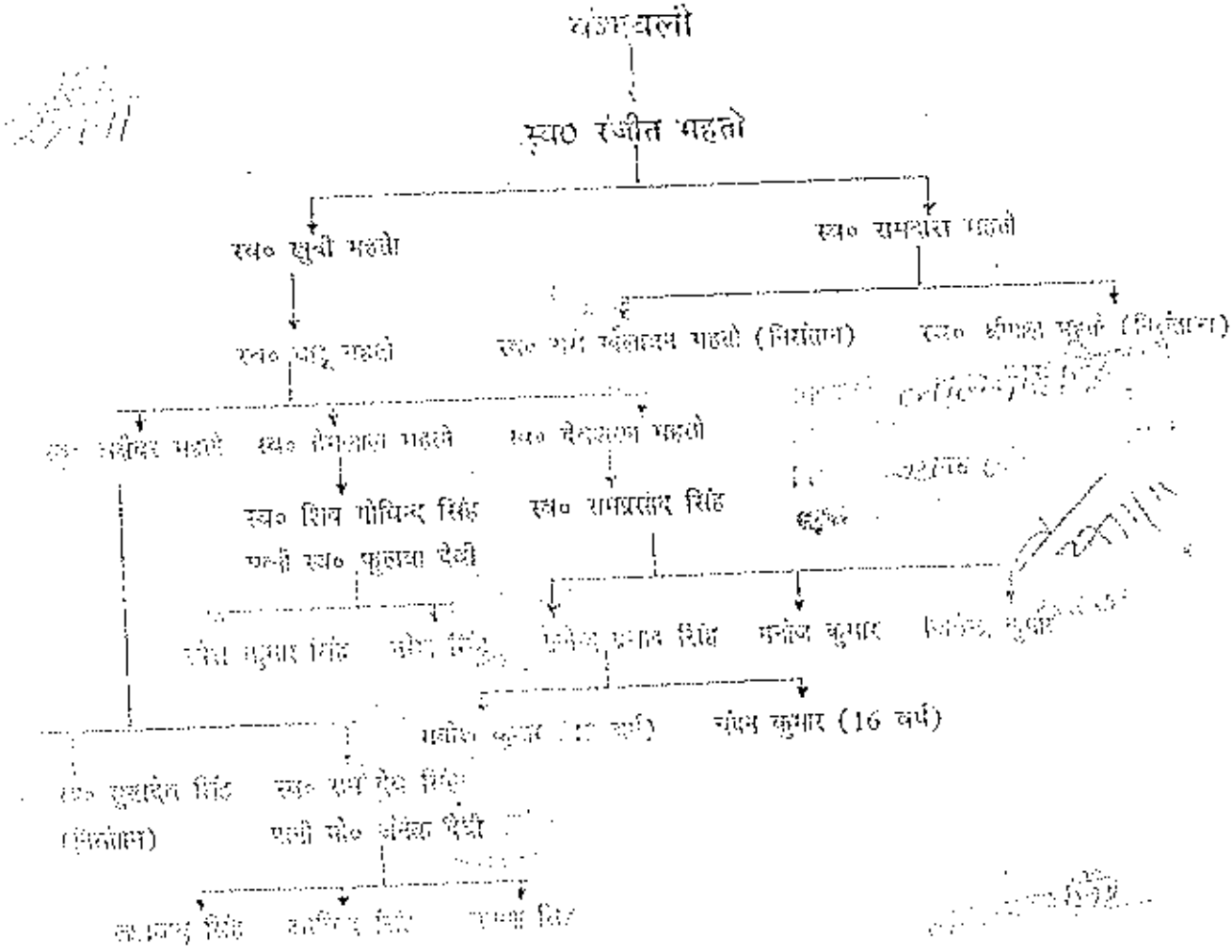
तुलना कर्ता



कार्यपालक दंडाधिकारी,
पटना सदर, पटना

शपथ-पत्र

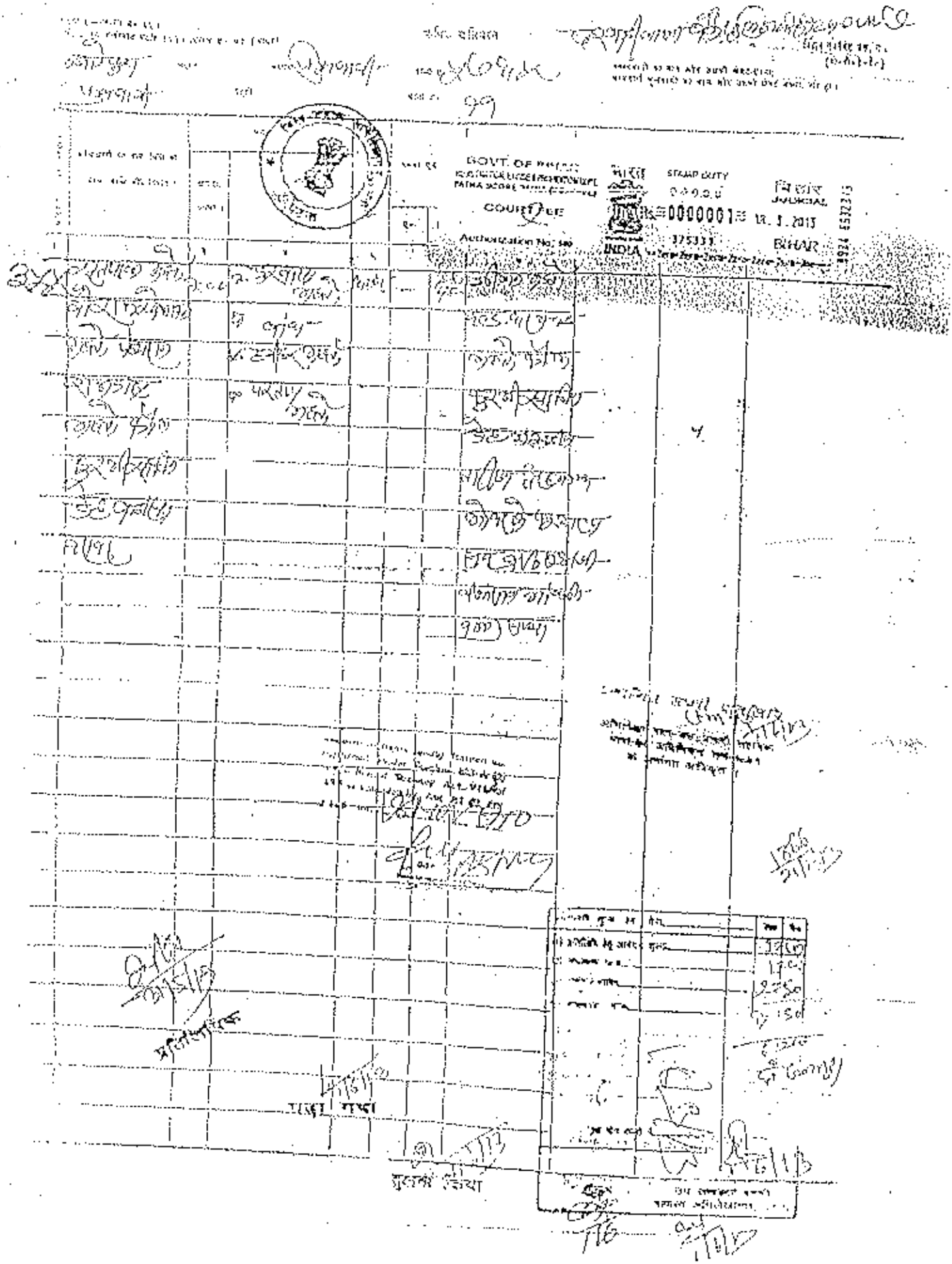
मैं इलेश्वर सिंह, पिता स्व० रामदेव सिंह, साकिन मौजा -आजाद्पुर, थाना -मसौढ़ी, हाल थाना- शास्त्री नगर, थाना नं०-11, जिला- पटना, जाति-भूमिहार धर्मावलम्बी, बजरिए शपथ यह कहता हूँ कि मेरा वंशावली निम्न प्रकार से है ।



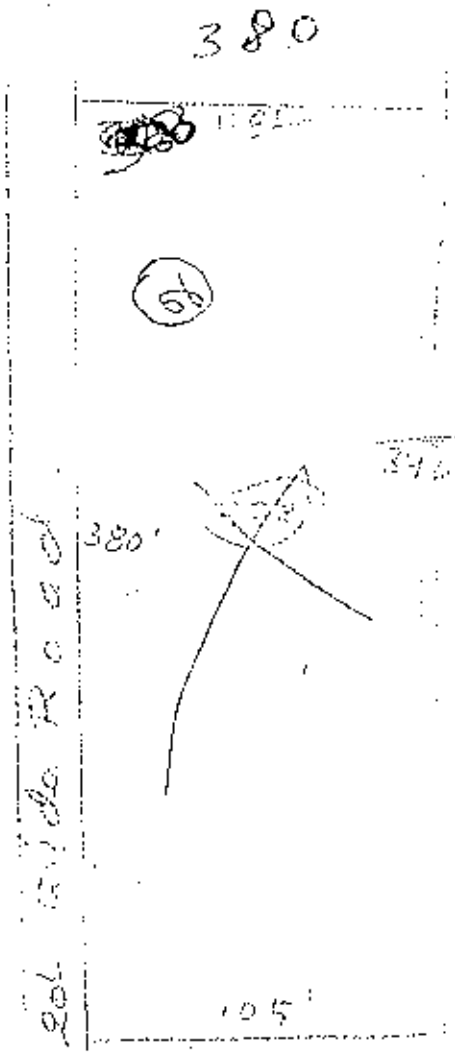
नोट :- मेरे द्वारा दिखाया गया वंशावली ठीक है ।

अंगूठे का निशान

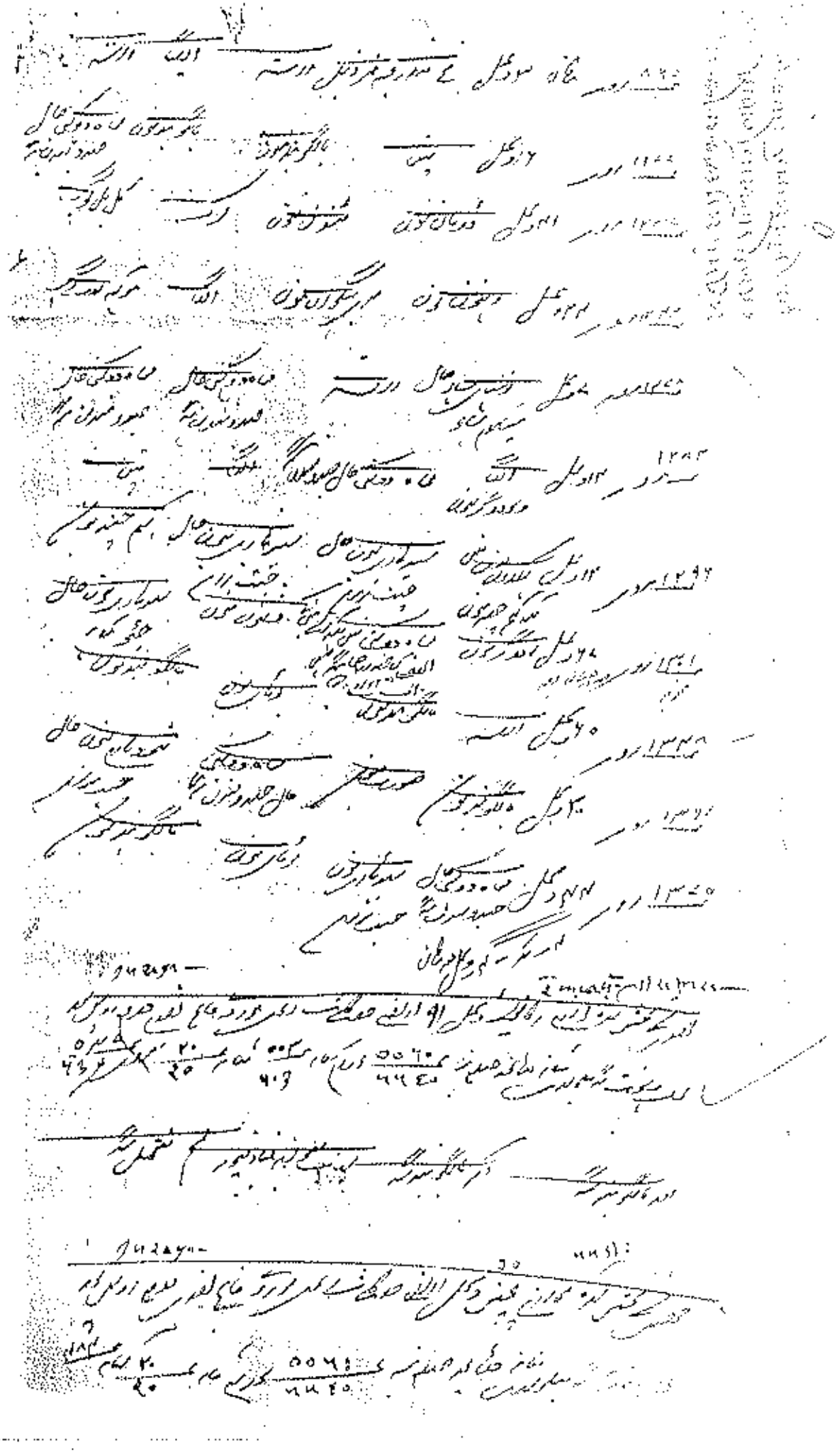
deponent's
left thumb

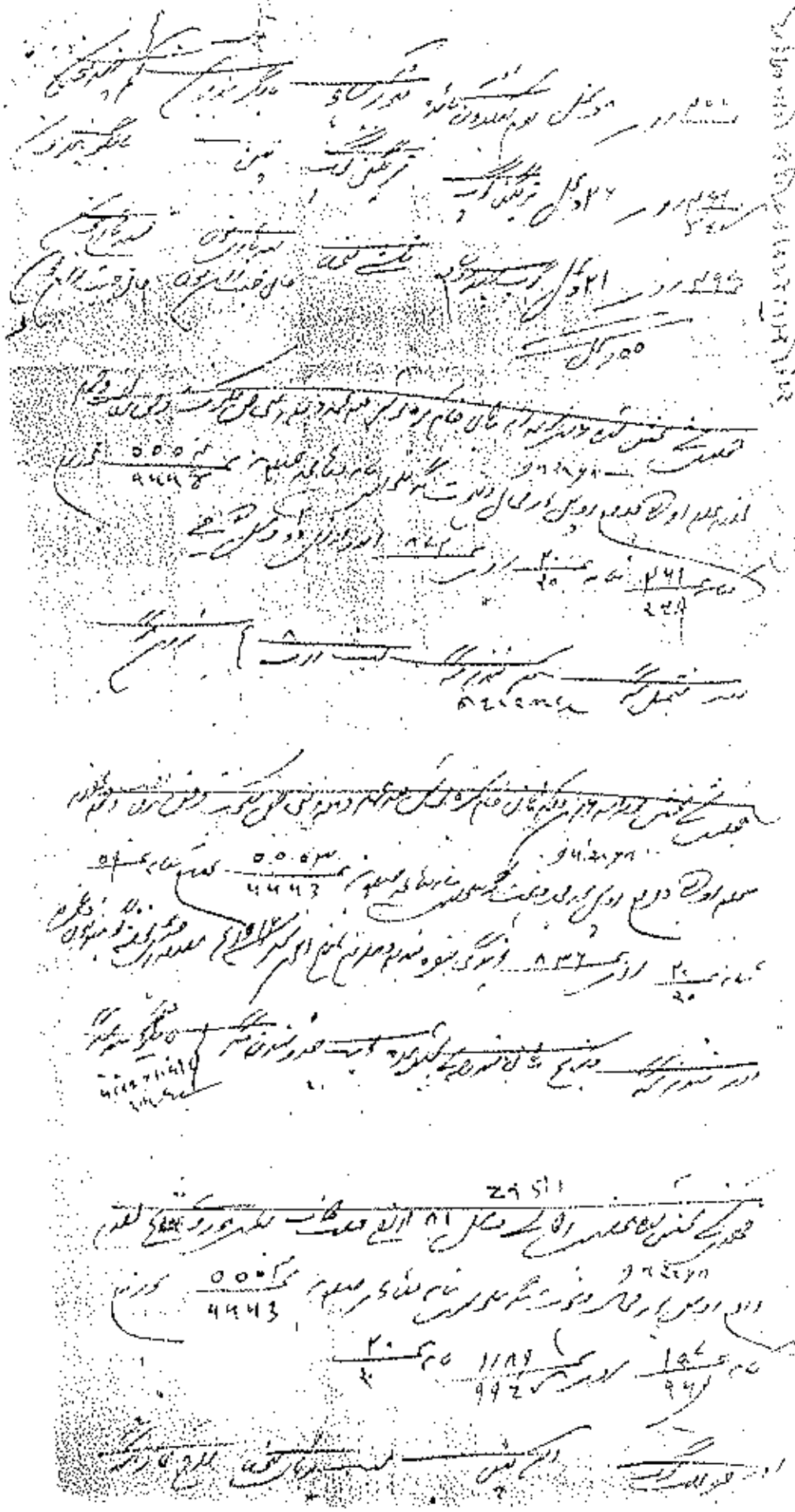





380
105'

Commercial Tax Department
Form A [illegible] 30%
[illegible]
Dilmohar Bank Recovery Officer
Name [illegible]
Address [illegible]
Rupees [illegible]
Towards [illegible]
Interest [illegible]
Costs [illegible]
Total [illegible]





ॐ - आत्मीय सुभद्रादि - सहोदर ॐ
ॐ - कुटुंब वर्ग - ॐ ईश्वरभक्ति ॐ
ॐ अलभिगत - सुदृढ ॐ भगवद्दीक्षा ॐ
दासीलक्षण ॐ कुल देवता ॐ
ॐ अलाभ लङ्घ्या - आज्ञा ॐ - लंघन ॐ
अजाग्रत ॐ अलीक अलभिगत ॐ
कुदा अजा कुशे - दासि लङ्घ्या - आज्ञा -
नीसत्व - ॐ अलभिगत सुदृढ ॐ
ॐ - अरवा स्थान - ॐ आवेश ॐ
ॐ कि । ॐ सुरक्षा वातावरण - दा - अजा कुशे
वा स्थान - ॐ आवेश - ॐ
कुदा कि ली कि ली कि - दासि ॐ ॐ
ॐ ॐ वा अभिगत आज्ञा ॐ ॐ
गहना - ॐ वा कि ॐ वातावरण
कि । अते ॐ ॐ
ॐ कि । ॐ वा - वा

કિલ્લાદારસિંહ — કલ્યાણીશરનાથાર

પાલીગ્રન્થ ગેવલ્યાણીશર સુદ્દ સૉ૦૧૪૫૦૦ (અન્યથા

આના-દાનાપુ (જિલા—પટના — સ્થાન (ઉત્તર

દાનાપુ સદ (ઉત્તરી પટના—

ના૦૨૪-૬-૧૪૩૨ ઈ૦

ઝાન્સિકારસિકારદારાજા—સદર-ગામકના ફ્રેંચાર

જાતિદીન—અહાદ્યા: દાનાપુ (સદ્દ પટના—

ગાદ્યાતી/જિલાપટના—ઝાગાજાતા/કિલ્લા

પકડકર ખુનાદિયાદ્યે વાં સદ્યાન્કાદિયાદ્યે—

In

The Court of Sub Judge, Sasa

Title

Suit No. of 2016.

Sri Rajendra Kumar Singh and another ....Plaintiffs.

Versus

Sri Shirendra Kumar Singh and others .....Defendants

The humble petition of compromise on behalf of the plaintiffs and defendants.

Most respectfully sheweth:-

1. That through the intervention of well-wishers and relations your petitioner the plaintiffs and defendants have compromised the aforesaid suit on the following terms:

(i) That according to terms of the compromise the property described in schedule no.1(a) the aforesaid petition has been allotted to the plaintiff no.1 and the properties described in schedule no.1(b) has been allotted to the plaintiff no.2 and the plaintiff no.3 has the property mentioned in the schedule no.1(c) at the time of final compromise decree.

has been allotted to defendants no.1 and [illegible]
property described in Schedule no.II(B) [illegible]
this compromise petition has been allotted to [illegible]
no.7 and 8 and the properties described in Schedule [illegible]
at the foot of this compromise petition has been
allotted to defendant no.2 and the properties described
in Schedule no.IV(A) at the foot of this compromise
petition has been allotted to defendant no.3 and the
properties described in Schedule no.IV(B) at the foot
of this compromise petition ~~xxxxxxxxxx~~ has been allotted
to defendant no.9 and the properties described in
Schedule no.V at the foot of this compromise petition
has been allotted to defendant no.4 and the properties
described in Schedule no.VI at the foot of this compromise
petition has been allotted to defendant no.5 and the
properties described in Schedule no.VII at the foot of
this compromise petition has been allotted to defendant
no.6 and each party have since and in possession of the
respective properties allotted to their
respective shares.

(15) That according to the terms of the compromise

20 NOV

it has been agreed and settled that defendant no.10 Mostt. Sita Sundari Devi will have right to transfer or incumber 12 kathas only of land of Mouza Dhanaut-Thana Dinapur, allotted to her by partition which has been described in Schedule No.VII of this compromise petition but she will not have right to transfer the remaining land allotted to her by partition described in Schedule no.VII at the foot of this compromise petition and she will have right only to utilise the usufruct thereof and after the death of defendant no.10 the property existing at the time of her death will be divided equally by the brahatan of five brothers i.e. plaintiff no.1 and defendant nos.1 to 4.

(iii) That plot no.537 has been allotted to all the parties except defendant no.5 and it has been agreed and settled that the parties will have to leave 6 feet of land on the eastern portion of plot no.537 for passage

running north to south and they will also leave land in the middle of plot no.537 running east to west 8 feet in breadth and similarly in plot no.1189 the parties will have to leage on the eastern side of this plot 8 feet in breadth for common passage and similarly the parties will have to leave 8 feet of land in northern side of plot no.1497 for common passage and similarly they will have to leave 5 feet of land in northern portion of plot no.1693 in Mauza Kathaitia for common passage and similarly they will have to leave 5 feet of land on the western portion of plot no.108 for common passage running north to south and 4 feet wide passage running west to east in parti land south of house .

(xiv) That according to the terms of compromise out of the movable properties described in Schedule No.II of the

20 NOV 1980

the plaint subject to Thakur bearing premises no.[illegible] with 3 H.P. villier with complete pump set were allotted to the plaintiffs and 5 H.P. villier with complete pump set has been allotted to the defendants no.1 viz. G to D and the remaining movable properties described in Schedule no.II of the plaint were jointly allotted to defendants No.2 to 4 with defined shares of 1/3rd each.

(v) That it was further been agreed and settled that each brother will give one room in their respective houses for residence of their mother Sita Sundari Devi and after the death of Sita Sundari Devi each brother will take thus possession of their respective rooms.

(vi) That according to the terms of the compromise the trees over plot no.125 and 128 have been allotted to the plaintiffs and the remaining trees over plot no.111, 112, 113, and 114 have been allotted to defendant no.1 to 4 with defined share of 1/4th each.

20 NOV 1986

(vii) That the parties are to bear their own cost.

(viii) That the terms of the compromise will be binding on the parties or their heirs successors-in-interest.

2. That the compromise is beneficial to the interest of the minor defendants.

3. That the contents of the compromise petition have been read over and explained to the parties in Hindi and understood by them and in token of the acceptance of the terms of compromise the parties have either put their L.T.Is, or signatures on the compromise petition and the respective lawyers of the parties have also signed the compromise petition.

It is, therefore, prayed that your honour may be pleased to record the compromise and dispose of the suit in terms of the compromise and incorporate the compromise petition as part of the decree.

And for this your petitioners shall ever pray.

20 NOV 1986

Schedule no.I(A)

Description of the properties which has been allotted to plaintiff no.1 by partition.

Mauza.	Tauzi no.	Khata no.	Plot no.	Area. A.Dec.
Kathautia, P.S.Manor, Thana no.101, District Patna.	2890	54	28	0 -11½ out of 23 decimals towards north.
		61	139	0 -4$\frac{5}{9}$ in the middle.
		28	109	(House)
				1151.69 Sq.feet.
		57	109	out of 2520.00 Sq. feet towards north excluding 5 feet common passage towards west.
				344.Sq.feet(Parti land (Pichhuti)excluding 4 feet wide common passage towards north.
				A.Dec.
Tarai, Thana no.102 Distt.Patna.	1069	335	1015	0 -39
	2861	69	1105	0 -39
	3079	195	1151	0 -14
Sabhar, P.S.Manor, Distt.Patna Thana no.100.	2819 / 620	91	1954	09 dhara.

20 NOV 1986

Mauza.	Tauzi no.	Khata no.	Plot no.	Area. A.Dec.
Dhanaut P.S. Dhanapur Thana no. 20. Distt. Patna.	5553	157	1199	0 -14 out of 101 dec. towards north.
	5553	172	1237	0 -20½ out of 41 dec. towards north.
	5560	491	537	0 -00½ out of 40½ dec. (west-south corner).
	5560	484	469	0 -00 out of 26 dec. towards east.

Schedule no. I(A)

Description of properties allotted to plaintiff no.2.

Mauza.	Tauzi no.	Khata no.	Plot no.	Area. A.Dec.
Chakdawa, Thana no. 97, Distt. Patna. P.S. Maner.	4053	79	128	0 -19
	"	87	129	0 -72
	"	76	130	0 -51
	"	85	125	0 -20½
		86	121	0 -14½
	4056	115	47	0 -35
Dhanaut P.S. Danapur Thana no. 20. Distt. Patna.	5553	172	1301	0 -35½

20 NOV 1986

Schedule no.II(A)

Description of the property which has been allotted to Surendra Kumar Singh and Smt. Chandrawati Devi, defendant no. nine 6 by partition.

Mauza.	Sauzi no.	Khata no.	Plot no.	Area.
Kathautia, P.S.Manor, Distt.Patna. Thana no.101.	2890	61	189	A.Dec. 0-02-6/9-out of 1½ dec. towards west.
		57	108	1151.69 Sq.feet (out of (House). 2520.0 Sq.feet. towards south excluding five feet common passage towards west.
				344 Sq.feet (towards East, partition).
	2890		90	A.Dec. 0-01 (House)
Dhokaul, P.S.No.37, Distt.Patna.	2890	32	167	0-04
	2890	32	174	0-30
	4053	74	113	0-23
	4053	103	112	0-27
	4053	78	117	0-02
	4053	107	111	0-11
			115	0-02
			116	0-02

Mauza	Tauzi no.	Khata no.	Plot no.	Area. A. Dec.
Dhanaut, P.S. Danapur, Distt. Patna, Thana no. 20.	5653	172	1370	0 - 33
		157	1189	0 - 13½ (out of 61 dec.)
	5560	484	469	0 - 09 (out of 26 dec. towards west.)

Schedule no. II(B)

Description of the property which has been allotted to Pawan Kumar and Munna defendant no. 7 and 8 by partition.

Mauza.	Tauzi no.	Khata no.	Plot no.	Area. A. Dec.
Gorul, P.S. Maner, Thana no. 103, Distt. Patna.	6970	270	24	0 - 61
		288	24	0 - 29
		306	35	0 - 12½
	4314	191	1077	0 - 35
Sattar, Thana no. 100, Distt. Patna.	540	91	1324	(2) dhurs.
	550			
Dhanaut, P.S. Danapur, Thana no. 20, Distt. Patna.	5653	172	1237	0 - 20½ out of 61 dec. towards south.
	5560	491	537	0 - 06 1/6 (out of 48½ dec. towards North in the middle).

Mkm

Schedule no.III.

Description of the property which has been allotted to Paras Nath Singh defendant no.2 by partition.

Mauza	Tausi no.	Khata no.	Plot no.	Area. A Dec.
Kathaitia, P.S.Maner, Distt.Patna, Thana no.101.	892 C.	125	293	1 -42
	"	70	297	0 -14
	2890	53	68	0 -03½ (out of 10 dec. land for new house -c.
		61	189	0 -04-5/9 (Out of 13½ dec. towards east.
Chakdeod, Thana no.97. Distt.Patna	4056	108	90	0 -16
Baluan, Thana No.98, P.S.Maner, Distt.Patna.	3165	792	1490	0 -64
			1492	0 -00
Sarul, P.S.No.102. Distt.Patna.	3084	309	70	0 -16
		274	79	0 -19
Satter, P.S.No.100. Distt.Patna.	64 C.	91	1924	08 dhura.

Mauza.	Tauzi no.	Khata no.	Plot no.	Area. A.Dec.
Dhanaut, P.S. Dewanganj, Thana no. 20 Distt. Patna.	5693	171	1340	0 -24½ (out of 10 decimals towards west.)
		157	1189	0 -13½ (out of 81 decimals)
		172	555	0 -26 (out of 52 dec. towards south.)
	5560	484	497	0 -10½ (out of 21 dec. towards west.)
		484	457	0 -04 (out of 8 dec. towards East.)
		491	657	0 -05 1/2 (out of 40½ dec towards south- East Corner).

20 NOV 1986

Schedule no.IV.(A)

Description of the property which has been allotted to Bhushan Pd. Singh ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ defendant no.3 ~~xxxxx~~ by partition.

Mauza.	Tauz no.	Khata no.	Plot no.	Area. A.Dec.	
Kathautia, P.S.Manor, Thana no. 101. Distt.Patna.	2698	54	27	0 -06	
	2090	33	29	0 -11	
	17799	22	235	0 -24	
	2890	53	60	0 -03½	(out of 10 dec. land for new House.
	2890	53	68	0 -04½	(out of 9 dec. land ramgal after conatruction of house).
	2090	33	69		
Mauza, P.S.Manor, Thana no.	3110	807	1482	0 -22	
	3116	785	1484	0 -16	
	3115	792	1480	0 -35	

Mauza.	Pargi no.	Khata no.	Plot no.	Area.
Bulaqi, P.S.Bailey, Thana no.98, Distt.Patna.	2627	343	1483	0 -10
	3165	829	1481	0 -38½
	2649	277	1343	0 -01
Sabbar, P.S.Manor, Thana no.100 Distt.Patna	620	91	1924	08 dhurs.
				A.Dec.
Dhanaut, P.S.Danapur, Thana no.20, Distt.Patna.	5553	157	1189	0 -13½ (out of 81 dec.)
	5553	172	555	0 -26 (out of 52 dec. towards north.)
	5560	454	497	0 -10½ (out of 21 dec. towards west).
	5560	491	537	0 -06 1/8 (out of 40½ dec. towards south.

Schedule no.IV(h)

Description of the property which has been allotted to Chandan Kumar defendant no.9 by partition.

Mauza.	Pargi no.	Khata no.	Plot no.	Area.
Dhanaut, P.S.Danapur, Thana no.20, Distt.Patna.	5553	57	1240	0 -13 (out of 81 dec. in the middle).
	5560	484	457	0 -04 (out of 8 dec. towards west).

20 NOV 1961

Schedule no.V.

Description of the property which has been allotted to Lal Babu Singh defendant no.4 by partition.

Mauza	Tauzi no.	Khata no.	Plot no.	Area. A.Dec.
Kathautia, P.S.Maner, Thana no.101 Distt.Patna.	2890	64	39	0 -06
				0 -28
				0 -13
	2890	57	64	0 -07½
	2890	57	222	0 -07½
	17732	64	40	0 -41
	2890	59	63	0 -14
	682	97	456	0 -12
	682	103	470	0 -28
	2890	63	63	0 -03½ (out of 10 dec. land for new hou
	2890	63	68	0 -04½ out of 9 dec. la remained after construction of house.
	"	2	69	

Total = 1.68 dec

Name.	Tauzi no.	Khata no.	Plot no.	Area. A.Dec.
Baluan, P.S.Maner, Thana no.98, Distt.Patna.	2668	272	1208	0 -19
	3368	103	1517	0 -34
Sarai, P.S.Maner, Distt.Patna, Thana no.102,	3084	337	50	0 -16
665	16970	291	55	0 -15½
	3084	343	54	
	16969	276	1046	0 -17½
Sabar, P.S.Maner, P.S.No.100, Distt.Patna.	640 620	91	1924	08 dhurs.
				A.Dec.
Dhanak, P.S.Danapur, Distt.Patna, P.S.No.20.	5553	172	1348	0 -33 (out of 65 Dec. to the north).
	5553	172	1361	0 -30
	5553	167	1169	0 -13 (out of 81 dec
	5553	172	1396	0 -19 "
	5560	491	537	0 -08-$\frac{1}{2}$-(out of 4[illegible]
				[illegible] north
				...ash corner)

20 NOV 1986

Schedule no . VI.

Description of the properties which has been allotted to Shushri Kiran Kumari defendant no.5 by partition .

Mauza.	Touzi no.	Khata no.	Plot no.	Area. A.Dec.
Dhanpat, P.S.Danapur, P.S.No.20, Distt.Patna.	5553	172	1177	0 -16
	5553	172	1278	0 -07
	5553	172	1282	0 -14
				0 -37 dec.

Schedule no. VII.

Description of the properties which has been allotted to Moutt. Sita Sundari Devi defendant no.10 by partition.

Mauza.	Touzi no.	Khata no.	Plot no.	Area. A.Dec.
Jathanthia, P.S.Maner, Distt.Patna. Thana No 101	632	108	374	1 -10
	2304	142	308	0 -26

Mauza.	Tauzi no.	Khata no.	Plot no.	Area. A.Dec.	
Do.	2304		142	388	0 -61
	692 C.		138	376	0 -15½
	"		123	380	0 -16½
	2890		54	28	0 -11½ (out of 23 dec. towards south).
Jha-kharid P.S.Phulwari Distt.Patna.	4053		68	171	0 -15½
	4053		71	126	0 -09½
Sahun, P.S.Maner, Distt.Patna. Khata no.58.	2628		272	1364	0 -14½
Dhanaut, P.S.Danapur, Distt.Patna. Khata no.20.	5553		157	1189	0 -14(out of 81 dec. towards south).
	5553		172	1244	0 -21
	5553		172	564	0 -13
	5553		113	402	0 -09 (out of 1.. dec. in the mid..
	5553		491	337	0 -8$\frac{1}{8}$ -(out of 48½ dec towards north-w corner).

Mauza.	Tauzi no.	Khata no.	Plot no.	Area. A. Dec.
Do.	5552	261	872	0 -08
	5553	[illegible]	835	0 -04
				0 -03

V E R I F I C A T I O N.

We, Bijendra Kumar Singh, Sokha Devi plaintiffs and Chirendra Ku Singh self and as guardian of his minor sons Pawan Kumar and P Paras Nath Singh, Bhushan Singh self and as guardian of his min son Chandan Kumar , Lal Babu Singh, Shushri Kiran Kumari, Chandr Devi and Sita Sundari Devi, do hereby sodemnly affirm and state the contents of the above compromise petition have been read ov explained to us in Hindi and understood by us and the same are correct to the best of our knowledge.

Verified and signed on this [illegible] day of [illegible] in Civil Court compound, Patna.

Mauza.	Tauzi no.	Khata no.	Plot no.	Area.
Do.	5554	261	872	0-02
	5553	198	835	0-04
			81	0-03

V E R I F I C A T I O N.

We, Bijendra Kumar Singh, Sobha Devi plaintiffs and Dhirendra Kum Singh self and as guardian of his minor sons Pawan Kumar and P Paras Nath Singh, Bhushan Singh self and as guardian of his mino son Chandan Kumar , Lal Babu Singh, Shushri Kiran Kumari, Chandr Devi and Sita Sundari Devi, do hereby sodemnly affirm and state the contents of the above compromise petition have been read ov explained to us in Hindi and understood by us and the same are correct to the best of our knowledge.

Verified and signed on this 29/11/87 day of ... in A.M. in Civil Court compound, Patna.

Signed by
L.P.Sinha,
Advt.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000 Rs.1000

BIHAR BIHAR

बिहार सरकार

अवर निबंधन कार्यालय, दलसिंहसराय

दिनांक 22/01/2010 को Sushma Singh द्वारा / द्वारे दस्तावेज

निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रु० 15200/- मुद्रांक शुल्क एवं रु० 4595/- निबंधन तथा Miscellaneous का भुगतान किया गया । दस्तावेज सादृश पाया गया । जिन लेखकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनकी तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर अभिलेख पर अंकित है । इसे दस्तावेज सं० 543 के रूप में पुस्तक सं० 1 की जिल्द सं० 8 के पृष्ठ सं० 478 से 478 तक CD 2 में आज निबंधित एवं कुल 8 पृष्ठों में संधारित किया गया ।

Date : 22/01/2010

(Niraj Kumar)
निबंधन पदाधिकारी

1— लेखकारिणी का नाम एवं पूरा पता :—

श्रीमती सुषमा सिंह पति श्री राधिकानन्द सिंह, साकिन— कठौतिया कलाँ, पोस्ट— सराय, थाना— मनेर, जिला— पटना, भारतीय नागरिक ।

Serial No : 661
Token No : 727
Type & Status of Party

Deed No : 343 of 2010
Name of Party

		Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
In Favour of	*Lalbabu Singh*						
	Signature of Party						
Presented by Self	*Sushma Singh*						
	Signature of Party						
Executed by	*Sushma Singh*						
	Signature of Party						
Identifier	*Sachida Nadn Singh*						
	Signature of Party						

अंदर सं0---------- शब्दों में (रू0----------) मात्र

चतुर्थ प्रति
(जमाकर्ता हेतु)

(4)

बिहार सरकार
निबंधन विभाग

गैर मालफ

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं पुष्ठांकी के निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. प्रकाशक का नाम पता- [illegible]

(जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है) [illegible]

2. दस्तावेज का प्रकार---------- लेख ----------

3. निबंधन कार्यालय---------- दानापुर ----------

4. बैंक का नाम एवं शाखा---------- S.B.I. दानापुर ----------

5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण :

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लघुतम उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई -75 49 सकल प्राप्तियाँ विषय कोड -R0030021030001, A/c No.-10963226587	11200	11200
निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष -03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष -104- दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष -0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राप्तियाँ विषय कोड - R0030031040001, A/c No.-10963226576	3845	3845
पृष्ठांकी शुल्क-मुख्य शीर्ष -0029- भू राजस्व लघु शीर्ष -800- अन्य प्राप्तियाँ-उप शीर्ष -0000- अन्य मदें - प्राथमिक इकाई -75 49 भूमि निबंधन शुल्क से अन्य विषय कोड- R0029008000006, A/c No.-10963226598	550	550
भुगतान का माध्यम : नगद/ चेक/ ड्राफ्ट	कुल योग	15595

कुल राशि शब्दों में ----------

स्थान-दानापुर----------

तारीख-11-12-07----------

* चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।

* चेक/ड्राफ्ट की राशि अवास्ति होने की परिस्थिति में मान्य होगी

जमाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

FOR USE OF THE BANK

रसीद सं0 ---------- तारीख ---------- उपर्युक्त कलम संख्या 05 में दिये गए विवरण के अनुसार रू0 ---------- / शब्दों में----------

रूपये प्राप्त किया

अधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

निबंधन हेतु सचिव जमाकर्ता * जमा करने का विवरण:

मुख्य लेखा सं0 : A/c No. [illegible]

जमा करने की तिथि : [illegible]

बैंक रसीद सं0: ---------- बैंक की मुहर एवं मुहर

* (दस्तावेज के पृष्ठ की संख्या ×20 रू0 20/-)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000 Rs.1000

GOVERNMENT OF INDIA

बिहार BIHAR

2— लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता :—

श्री लोकनाथ सिंह पिता स्व0 राम बरित्तर सिंह, साकिन— कचौलिया कलाँ, पोस्ट— सरथल, थाना— मनेर, जिला— पटना, भारतीय गणपरिक

3— लेख्य प्रकार :—

निर्विवाद विक्रय–पत्र यानि केवाला बैनामा कलाँ।

(DEED OF ABSOLUTE SALE)

4— मूल्यांकन :—

लो0 1,00,000/— रुपया (एक लाख मात्र हजार रुपया) मात्र।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000

INDIA

बिहार BIHAR

- 3 -

5-- सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण :--

मवाजी 420 वर्गफीट (चार सौ बीस वर्गफीट) भूमि आवासीय जिसका अधिकार कायम रैयती कायमी नम्बरी वाके मौजा-- धनौत, गड़ल्ला-- रूपसपुर, परगना-- फुलवारी, थाना यॉ सब रजिस्ट्री-- दानापुर, सदर रजिस्ट्री यो जिला-- पटना, तौजी नं0-- 5653, थाना नं0-- 29, खाता नं0-- 156 (एक सौ छप्पन), सर्वे प्लौट नं0-- 1295 (एक हजार दो सौ पंचानवे)। जिसका सालाना लगान गो 0.25 पैसा अलावे शेष बिहार सरकार अंचलाधिकारी-- दानापुर । जमाबंदी नं0-- 6837 है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000 Rs.1000

बिहार BIHAR

— 4 —

** चौहद्दी **

उत्तर : 12 फीट चौड़ा सरसा ।

दक्षिण : खरीदार प्लौट नं0— 1296

पूरब : कृष्णा सहकारी गृ0 निर्माण समिति लि0 ।

पश्चिम: पर्ल प्लौट नं0— 1295 हाल दीपक खरीदार ।

भूमि की माप :—

उत्तर : 42 फीट 00 इंच । दक्षिण : 12 फीट 00 इंच ।

पूरब : 35 फीट 00 इंच । पश्चिम: 35 फीट 06 इंच ।

** हर्फ ए अर्ज **

विदित हो कि खाता संख्या— 5 में दर्ज जमीन को लेखकारिणी ने दिनांक 10—09—2004 ई0 को स्वियरले औगस्ती सुसीता देवी पति श्री सुधिकेश पाण्डेय साकिन— उमाशंकर हिरहा, थाना— बोध गया, जिला— गया से वैध खरीद किया है, जिसका

बुक नं0— 1, जिल्द नं0— 146, पेज नं0— 347 से 366, वसीका नं0— 4781 निबंधन कार्यालय दानापुर है । बैय खरीदारी के पेज से ही लेख्यकारिणी खाना नं0— 5 में वर्णित सम्पत्ति पर काबिज—दखिल मालिक मुस्तकिल हुई—वो चली आ रही है । लेख्यकारिणी के अलावे दुसरा कोई भी व्यक्ति खाना नं0— 5 के अधिकारी नहीं है । खाना संख्या— 5 पाक—साफ तथा ऋण मुक्त हैं । लेख्यकारिणी को अपने मकान बनाने एवं अन्य जरूरी काम के लिए रूपयों की सख्त जरूरत है बिना खाना संख्या— 5 में वर्णित सम्पत्ति को बेचे हुए शीघ्र रूपयों का प्रबन्ध नहीं हो सकता है ।

अतः लेख्यकारिणी ने अपनी खुशी वो रजामंदी से, अपने होशो हवाश में, अपने हानि वो लाभ को बाखुबी सोंच विचार करे स्वस्थ्य मानसिक अवस्था में कानूनी सलाहकारों से राय सलाह लेकर खाना नं0— 5 को मो0 1,90,000/— रूपया मात्र में लेख्यधारी खाना नं0— 2 के हाथ एवं साथ बेचा वो केवाला बैयसा कलमी किया । वो कुल रूपया लेख्यकारिणी कबल वसूल पा चुकी है । इस प्रकार कुल जरसम्मन पाकर आज से ही लेख्यकारिणी ने अपना कुल कब्जा—दखल वो अधिकार, स्वत्व वो स्वामित्व खाना नं0— 5 पर लेख्यधारी को दे दिया कि हर तरह से उपयोग वो उपभोग करें अब खाना नं0— 5 पर लेख्यकारिणी या लेख्यकारिणी के वारिशान का कोई दावा—दावी वो सरोकार बाकी नहीं है, नहीं रहा, नहीं रहेगा, बल्कि सम्पूर्ण हक वो अधिकार, स्वत्व वो स्वामित्व जो खाना नं0— 5 पर लेख्यकारिणी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता बिककर लेख्यधारी को प्राप्त हुआ कि अपना नाम हर जगह, जहाँ—जहाँ जरूरी समझें दर्ज करा लेवें । इसमें लेख्यकारिणी को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होगा ।

27/1/010

अगर खरीदार किसी तरह लेख्यकारिणी के नुक्श हकियत से खाना नं0— 6 से बेदखल हो जाये तो हक वो अधिकार है वो होगा कि कुल जरसम्मन सूद कानूनी लगाकर लेख्यकारिणी के कुल सम्पत्ति से द्वारा नालिश अदालत कराके हर्जा–खर्चा सहित वसूल वो बेबाक करा लेवेगें । इसमें लेख्यकारिणी को कोई आपत्ति नहीं है, न होगा ।

इसलिए निर्विवाद विक्रय–पत्र लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

दिनांक :– 22/1/2010 ई0

22/1/010

22-01-010

प्रस्तुतकर्ता :–

दिनेश कुमार सिंह

दिनेश कुमार सिंह

ग्राम– दोरत नगर थाना–गनेर, जिला– पटना

लाइसेन्स नं0– 259/2002

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 35)

Admissible under Rule 21 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 23. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 11400
Addl. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act Rs. 3800
(Paid **Rs. 4000/-** *by N.J. Stamp Paper and* **Rs. 15795/-** *through Bank Challan.)*

FEE PAID											
	A1	3800	C	0	H1b	0	Ka1	0	Lii	0	L.R. 500
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc. Fee 50
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0	
	A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	45	
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0	Scan	200	

Total Fee 4595

Registering Officer
Danapur

Date : **22/01/2010**

Endorsement under section 52

Presented for registration at **03:04 PM** *on* **Friday,** **22nd January** **2010** *at the* **Sub Registry Office, Danapur** *by* **Sushma Singh** *(Executant)* **Sachchidanand Singh**

by profession **Others.**

Signature of Presentant **Date : 22/01/2010.**

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument and are identified by Sachida Nadn Singh age .... Sex M son/daughter of Sri Ram Birajan Singh resident of kathutiya kala maner,patna.

Registering Officer
Danapur

Date : 01/01/2005

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 1 of DSRO/ SRO Danapur having 8 pages, in the volume CD-2 and document no. of which is printed on the First Page of the document.

Registering Officer
Danapur

Date : ***22/01/2010***

Token No.727 Year - 2010 Sl.No. 661 SCORE Ver. 2.0 Deed No. 543 NIC-Bihar

By Checked By

S.J. No. Dismiss
T.P.S. 71/04

स्थायी लोक अदालत, पटना

लोक अदालत पीठ संख्या :

दैनिक कार्यवाही विवरणी

क्रम संख्या	दिनांक	कार्यवाही	अभ्युक्ति
	24.5.05	उभयपक्षों को हाजी पड़ोसी। लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने हेतु बुलाया गया। उभयपक्षों के पदाधिकारी अपने विधान अधिवक्ता के साथ लोक अदालत के समक्ष उपस्थित होकर राजी खुशी से मुलह की बातों को स्वीकार किया। उभयपक्षों द्वारा संयुक्त मुलहनामा के आवेदनपत्र दिनांक 16.6.05 पर उभयपक्षों का दस्तखत एवं उनके विधान अधिवक्ताओं का दस्तखत है अतः मुलह के आधार पर वाद को निष्पादित किया जाता। मुलहनामा का आवेदन उनके द्वारा दिया जाना। उभयपक्ष अपना अपना खर्चा वहन करेंगे।	J.F.C. 21/05 C.M. 21/06 13/11/06 24.11.06 25.5.06



पीठासीन पदाधिकारी
लोक अदालत
पटना

17/2/06

17/2/06

17.2.06

पंचाट पत्र (एवार्ड)

स्थायी लोक अदालत, पटना

1. वाद संख्या T.S. 71/18 सन्, अन्तर्गत धारा / अधिनियम के साथ

2. न्यायालय S. J. C. Dk, Danapur

3. वादी का नाम Sudhir Kumar Singh & Others.

प्रति

प्रतिवादी का नाम Ram Ashirwadh Singh & Others.

4. फैसले का संक्षिप्त विवरण दोनों पक्षों द्वारा दाखिल संयुक्त पुलहनामा के आवेदनपत्र दिनांक 16.6.25 पर दोनों पक्षों का दस्तखत एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण का दस्तखत है। दोनों पक्ष के पक्षकार लोक अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपनी अपनी पुश्तैनी जमीन के पुलहद की बातों को स्वीकार किया है। पुलहद के आधार पर वाद को निष्पादित किया गया। पुलहनामा का अक्षरशः पालन होगा। दोनों पक्ष अपना-अपना वकील खुद वहन करेंगे।

हस्ताक्षर वादी / प्रार्थी

हस्ताक्षर प्रतिवादी

लोक अदालत पंचों का हस्ताक्षर एवं तिथि



न्यायालय में ,

वाद सं० -

वादपत्र ।

स्थायी व्यादेश हेतु वाद सं० - ७७१६ ---

श्री सुधीर कुमार सिंह एवं अन्य ------- वादीगण

बनाम

श्री लक्ष्मीनारायण सिंह एवं अन्य ------- प्रतिवादीगण

संयुक्त लिखित पत्र

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से निम्न

संयुक्त लिखित पत्र :-

यह कि दोनों पक्षों के मध्य विवादित भवन एवं जिलेबियों के

अध्यधीनता एवं लिखित - कथन के फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच हुए

लिखित समझौते के अनुसार संयुक्त लिखित पत्र दाखिल करने

के रूप में न्यायालय से माननीय आदेशित की गयी है ।

२- यह कि वादी पत्र में वर्णित अनुसूची सं०क्रमांक १ में वर्णित

सम्पत्ति वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त सम्पत्ति है किसी एक

पक्ष संयुक्त रूप से खरीद एवं खानगत रखते हैं और संयुक्त रूप से

उसके पक्ष में आ गये हैं।

३- यह कि वादीगण का पुरोधाधाम्य अधिमत्व परिवार के अस्वस्थता है।

४- यह कि यह तय है कि विवादी भूमि कृषि योग्य है और कृषि का आधार - पीना एवं आरोपार्थ आज भी स्था है और वैसाखारी भी अक्षय-अक्षय की दशा है परन्तु भाजपा पत्र के कॉलम २ में वर्णित सम्पत्ति पूर्ण रूप से खेतिहार नहीं पुजा है।

५- यह कि दुर्भाग्यों एवं विवेचियों के वाद-प्रश्नों के फलस्वरूप आपसी रजामंदी के अनुसार यह मुकदमा निम्नलिखित शर्तों के साथ तुलह हो गया है :-

(क) यह कि जपरी सुझावों के आधार पर यह तय पाया गया कि उक्त अंकित - पत्र के अन्त में परिशिष्ट 'क' में वर्णित भूमि पर वादी सं० २ श्री सुधीर कुमार सिंह का स्वत्व एवं स्वामित्व रहेगा और वे उपरोक्त वर्णित कानिल रहेंगे तथा वे उक्त अवीन के सम्बन्ध में अपने पक्ष के राजस्व परिषिद्धा में अपना मार्गदर्शन (म्यूटेशन) करा लेंगे और राजस्व अदा करते रहेंगे।

(ख) यह कि शेष भाग के (क) अंकित पत्र के अन्त में परिशिष्ट 'ख' में वर्णित भूमि पर वादी सं० २ श्रीमति पूनम कुमारी का स्वत्व एवं स्वामित्व रहेगा।

TWO RUPEES

और उसके वारिस काबिज रहेंगे तथा वे उक्त जमीन के तबादले में अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अपना नामांतरण (म्यूटेशन) करा लेंगे और राजस्व अदा करते रहेंगे।

(ग) यह कि इस बैनामा पत्र के अन्तर्गत परिशिष्ट ग में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या ३ श्री रामसागर सिंह का स्वत्व और स्वामित्व रहेगा और उसके वे वारिस काबिज रहेंगे तथा उक्त जमीन के तबादले में अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अपना नामांतरण (म्यूटेशन) करा लेंगे और राजस्व अदा करते रहेंगे।

(घ) यह कि इस बैनामा पत्र के अन्तर्गत परिशिष्ट घ में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या २ श्रीमती [illegible] देवी का स्वत्व एवं स्वामित्व रहेगा और उसके वे वारिस काबिज रहेंगे तथा उक्त जमीन के तबादले में अपने नाम से नामांतरण (म्यूटेशन) करा लेंगे और राजस्व अदा करते रहेंगे।

(ङ) यह कि इस उक्त बैनामा पत्र के अन्तर्गत परिशिष्ट ङ में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी सं० ३ श्री उमेश कुमार सिंह का स्वत्व एवं स्वामित्व रहेगा और उसके वे वारिस काबिज रहेंगे तथा उक्त जमीन के तबादले में अपने नाम से नामांतरण (म्यूटेशन) करा लेंगे और राजस्व अदा करते रहेंगे।

(च) यह कि इस उक्त बैनामा पत्र के अन्तर्गत परिशिष्ट च में वर्णित

भूमि पर प्रतिवादी सं० ४ वगैरह कोई अन्य व्यक्ति का स्वत्व एवं स्वामित्व होना
और उसपर वादित कब्जा होने तथा उक्त कब्जा के सम्बन्ध में अपने ज्ञान से
गलत बयान (मुद्देवार) करार दें अतेर दावा खर्च सहित
(ख) यह कि इस संयुक्त संधि पत्र में उल्लेखित कंडिका सं० से लेकर
तक
संयुक्त भूमि सम्बन्धी पत्र का अभिन्न अंग है जो आपसी सहमति से सर्वसम्मति
एवं प्रतिवादीगण को मिला है।

अतः प्रार्थना है कि उक्त संयुक्त संधि पत्र की स्वीकृति
करते हुए आवेदक को उसके अनुरूप का पत्र निर्गत
करने का निर्देश देते हुए वाद खारिज की डिक्री
से दिए निर्देशित करने की कृपा करें।
इसके लिए उचित पक्षा वहाँ निवेदित रहेंगे।

परिशिष्ट क

खसरा भूमि में बाड़ी संख्या -२ श्री सुधीर कुमार सिंह को पटवारी में
अवंटित भूमि का विवरण :-

मौजा सं०	थाना सं०	खसरा सं०	रकबा ए०-डी०	चौहद्दी
लखनपुर महाल बनौत थाना -बाजापुर जिला पटना।	३५५	७६	०-६ ३/४ कट्ठा	उत्तर - प्लॉट नं० ७४ दक्षिण - प्लॉट नं० ७४ पूरब - प्लॉट नं० ७७ पश्चिम - प्लॉट नं० ७६ रास्ता

प्लॉट नं०	खाता नं०	रकबा ए०डि०	चौहद्दी -
रामपुर	४२४	३६६	०-१६ उत्तर - प्लॉट नं० ३६५ '

मलाए सीमेंट
खाता-रामपुर
प्लॉट-३६६ ।

पश्चिम- सीमेंट पाराघाट सिंह

पूरब - रामाधार रामपुरा

पश्चिम - पाठ प्लॉट ३६६ उमेश सिंह

४२४ ३६२ ०-२१ उत्तर - पाठ प्लॉट नं० ३६२ उमेश सिंह

पश्चिम - प्लॉट नं० -३६० ——

पूरब - प्लॉट नं० ३६५

पश्चिम - सिंघ सिंह

४२४ ४०० ०-०५½ उत्तर - प्लॉट नं० ४०१ ——

पूरब सरना

पश्चिम - पाठ प्लॉट नं० ४०० मुनाफा सिंह

पूरब - सिंघ सिंह प्लॉट नं० ४०६ ——

पश्चिम - पाठ प्लॉट नं० ४०० उमेश सिंह

४२४ ५७६ ०-०८½ उत्तर - मौन्य सि ह ——

पूरब सरना

पश्चिम - सिंघ सिंह ——

पूरब - पाठ प्लॉट ५७६ मुनाफा सिंह ——

पश्चिम - पाठ प्लॉट ५७६ उमेश सिंह

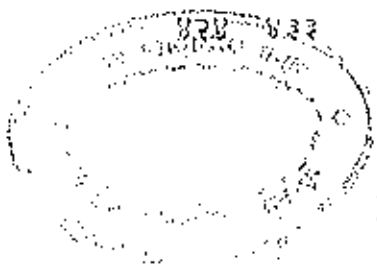
४२४ ५६२ ०-०२ मजरा नया गवाह मुकेश कुमार सिंह तथा
४४४ ५६५ ०-०१½ उमेश कुमार सिंह का आधिपत्य प्रमाण ।

०-२६ डि० ——

परिशिष्ट 'ब'

प्रतिकरारी अंक में वादी सं० 2 अतिरिक्त पुनमू कुमारी की ओर से आवंटित अंशों का विवरण :—

परिमाण				
	बीघा०	कट्ठा०	धूर०	
रूपपुर	३७	६३	० - ४	उत्तर - वाम नारायण सिंह
मधाड़ बनीस				पूरब सड़क
सीमा - बागपुर				पश्चिम - रामेश्वर सिंह
जिला - पटना				
				पूरब - पाई प्लॉट ६३ कृष्णा सिंह
				पश्चिम - पाई प्लॉट ६३ सीता सिंह
	५२७	५३३	० - ० ३	उत्तर - पाई प्लॉट विक्रता वर्मा सीता
				पश्चिम सड़क
				पश्चिम - सारन कुमार सिंह
				पूरब - बाजार (पर्दन)
				पश्चिम - पाई प्लॉट ५३३ हरिपाद घोषाल
	५२४	५२९	० - ४५	उत्तर - विक्रय सिंह
				पूरब सड़क
				पश्चिम - रेवतीरमण सिंह
				पूरब - प्लॉट नं० - ३६८
				पश्चिम - पाई प्लॉट ५२९ विक्रता वर्मा सीता
	५४६	६८५	० - ४	उत्तर - मनोज सिंह गो वेंकटेश राय
	५३२	७२०	० - ४२	
	५३२	७२८	० - ४१	पश्चिम - सड़क
				पूरब - कुमार सिंह
				पश्चिम - पाई प्लॉट सीता सिंह





परिमाण	चारण	पुरुष	रकबा	अन्य ———
———	जं०	ज०	ए०-डि०	

रामपुर ४३१ ४४० ०-०१ ———

मजरा कमौली रा०मा० खेत ———

थाना दानापुर ४२१ फ्लैट में ———

जिला पटना थाने दाखिले ———

३०४ ६७ ०-०५ उत्तर - रामेश्वर सिंह ———

पुरब लक्ष्मण - प्लैट नं० ६६ ———

पूरब - रामेश्वर सिंह ———

पश्चिम - पाटँ फ्लैट सीमा सिंह ———

४४५ ३३७ ०-०२ पुरब ———

४४६ ३३८ ०-०५ लक्ष्मण ———

उत्तर- प्लैट नं० ३३५ ———

०-८४ परिमाण - प्रमाण सिंह प्लैट ———

नं० ३३७ ———

पूरब - गहर ———

पश्चिम- पाटँ प्लैट ३३८ सीमा सिंह ———

परिशिष्ट ग

कब्जारीय भूमि में प्रतिवादी सं० -१ का बंटवारे में आवंटित भूमि का ब्यौरा :-

विवरण :- _____

गाँव	खाता सं०	खेत सं०	रकबा ए० -डेसी०	चौहद्दी
रूपनगर	८७	७६	०-८० $\frac{१}{२}$	उत्तर - पार्ट प्लॉट सुखराम मौर्यवंशिया
मध्य प्रदेश		कुल रकबा		पूरब - विशाल रूपनगरा
थाना धनपुर				पश्चिम - पार्ट प्लॉट लालमणी मेरी
जिला पूर्वगा				उत्तर - शंकु सिंह
	४२५	४६	०-७८	दक्षिण - पार्ट प्लॉट भूषणा सिंह
				पूरब - धीरेन्द्र सिंह
				पश्चिम - रमेश यादव
	४२६	४८१	०-७५ $\frac{१}{२}$	उत्तर - पार्ट प्लॉट भूषणा सिंह
				दक्षिणा - खरीदार दीगर
				पूरब - रमेश यादव
				पश्चिम - पवित्र
	४२६	४४०	०-०५ $\frac{३}{४}$	उत्तर - खरीदार दीगर
				दक्षिणा - पार्ट प्लॉट भूषणा सिंह
				पूरब - शंकर
				पश्चिम- पार्ट प्लॉट खरीदार दीगर

COURT FEE
TWO RUPEES

मौजा	खाता	खसरा	रकबा	
	नं०	नं०	ए० -डी०	
रूपपतपुर				
महाल	४२४	६८८	० -० ५	४
बसौरा				
	४३५	६७०	० -० १	४
थाना-बाराबंकी				

पी० टी० ———

चकबन्दी पत्रांक ———

मकान ———

जिला फतेहपुर।

४७५	३८५	० -० ८	४
४४८	३८७	० -० २	४
४४५	३८८	० -० २	४
४०३	६८८	० -० ६	२
		० -० ३	३
		० -० ३	४

उत्तर - विजय सिंह ———

पश्चिम - पक्की ———

पूरब - भारत भूषण सिंह ———

दक्षिण - विजय सिंह ———

उत्तर - प्लॉट नं० ६७ भूषण सिंह ———

पश्चिम - पार्ट प्लॉट लालमनी देवी ———

पूरब - प्लॉट नं० ६१४ ———

दक्षिण - डाबर (पक्की) ———

परिशिष्ट घ

भारत सूची में प्रतिभागी २ उद्यमता जिले की पंजाबी में अंकित

भूमि का पूरा विवरण :-

परिचय	परता %	फुटि %	रकबा एक-डीसी	
रामपुर	२७७	७४	० - ४०	१/२
पटाव				
पंचीत				
थाना-रामपुर				
जिला पटना।				
	४१६	४२६०	० - ४५	१/४
	४३	४२६८	० - ०८	
	४४४	१३४	० - ०५	१/४
	४४५	१६७	० - ० ६	१/२
	४४५	३८८	० - ११	१/४

पंजीयन - _____

पंजीयन - भाई फाटि मुखपाल सिंह _____

पंजीयन - भाई फाटि मुखपुरम _____
पंजीयन

मुखिया - भाई फाटि रामखाणी सिंह

पंजिका - मुख सिंह

पंजीयन - भाई फाटि मुखपाल सिंह _____

पंजीयन - रामेश्वर सिंह

मुखिया - पंजाब सिंह _____

पंजिका - पश्चिम

पंजीयन - सिंका सिंह _____

पंजीयन - भाई फाटि मुखपाल सिंह _____

मुखिया - वीर नारायण सिंह _____

पंजिका - रकबा _____
पंजीयन

पंजीयन नायक _____

पंजीयन _____



ई.स. ... पोलीस ठाणे ... गुन्हा ...

फिर्यादी _____

आरोपी _____ वय _____ वर्षे _____

व्यवसाय _____

राहणार _____

तालुका _____ जिल्हा _____

कलम - भादवि कलम ४५४ _____

कलम - भादवि कलम ५११ _____

कलम - भादवि कलम ४७० _____

हजर - दिनांक _____

अटक - दिनांक _____

जामीन - दिनांक _____

मुद्देमाल - जप्त केला _____

मुद्देमाल - परत केला _____

मुद्देमाल - जप्त नाही _____

परिशिष्ट ४

परिशिष्टांकित कब्जेदारी भूमि में प्रतिवादी ओ० ३ श्री उमेश कुमार सिंह

पंचनामे में अंकित भूमि का विवरण -

मौजा	रकबा			चौहद्दी
	बीघा	कट्ठा	धूर-डेसिमल	
मौजा पानापुर मौजा पानापुर थाना पानापुर जिला पटना	३५५	७६	० -१६ ३/४	उत्तर - पार्ट प्लॉट २१३ पश्चिम - पार्ट प्लॉट ७६ पूरब - पार्ट प्लॉट २२० दक्षिण - पार्ट प्लॉट २०६ रास्ता
	५२४	३१६	० -१६	उत्तर - प्लॉट नं० ३१५ पश्चिम - पार्ट प्लॉट सुधीर कुमार सिंह पूरब - पार्ट प्लॉट सुधीर कुमार सिंह दक्षिण - पार्ट प्लॉट सुभाष सिंह
	५२४	३२२	० -२१	उत्तर - पार्ट प्लॉट सुभाष सिंह पश्चिम - पार्ट प्लॉट सुधीर कुमार सिंह पूरब - प्लॉट नं० ३२५ दक्षिण - मिथिला सिंह



दिशा	थाना	जरीब	रकबा
	नं०	नं०	ए० डी०
पश्चिम	४२४	५७	०-०५ १/२

पश्चिम तरफ

	४२४	५७	०-०६ १/४

पश्चिम तरफ

	४२४	५८२	०-०३ १/२
	४४४	५८५	०-०१ १/२
			०-०५

पश्चिम - राजेन्द्र सिंह

उत्तर - प्लॉट नं० ४२९

पश्चिम - पार्ट प्लॉट ४५०

पूरब - पार्ट प्लॉट सुधीर कुमार सिंह

पश्चिम - सेवर

उत्तर - योगेन्द्र सिंह

पश्चिम - विजय सिंह

पूरब - पार्ट प्लॉट सुधीर कुमार सिंह

पश्चिम - रास्ता

नया पाला मकान सुधीर कुमार सिंह तथा उमेश कुमार सिंह का साझेदारी रहेगा।

परिशिष्ट ए

वक्फदार भूमि में प्रतिवादी सं० १ श्रीमती सीता सिंह की मौजूदगी

में अर्पित भूमि का विवरण -

मौजा	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा ए० डी०	चौहद्दी
बघउर महाल मजौरा परगना जगदीशपुर जिला शाहाबाद	७७	६३	०-१५ पश्चिम रुख	उत्तर - राजेश्वर सिंह पूरब - रविन्द्र सिंह पश्चिम - पाटे प्लाट सुनन कुमारी दक्षिण - रविन्द्र सिंह
	४२४	४३२	०-०३ ½ उत्तर रुख	उत्तर - रामेश्वर सिंह दक्षिण - पाटे प्लाट सुनन कुमारी पूरब - पर्वत पश्चिम - पाटे प्लाट खरीदार
	४२४	४२२	०-१५ पश्चिम रुख	उत्तर - प्लाट नं० ४२० ~~ दक्षिण - पाटे प्लाट भारत सुगना सिंह पूरब - पाटे प्लाट सुनन कुमारी पश्चिम - प्लाट नं० ४२२ खरीदार

अखण्ड

अखण्ड

मौजा	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा ए०-डी०	चौहद्दी
रूपसपुर महाल [illegible] थाना [illegible] जिला पटना	५४६	६८५	0-४४ $\frac{२}{२}$	उत्तर - [illegible] सिंह वो [illegible] राय
	५३२	७२०	0-१२ $\frac{१}{२}$	दक्षिण - सड़क
	५३२	७२८	0-१२ $\frac{३}{४}$	पूरब - भुवन सिंह
			पश्चिम तरफ	पश्चिम - पार्ट प्लोट पुनम कुमारी
	४३१	४७०	0-0२ रास्ता हेतु प्लोट सं० ४२९ में जाने वास्ते	
	२०४	६७	0-0५ पश्चिम तरफ	उत्तर - रविन्द्र सिंह; दक्षिण - प्लोट सं० ६६; पूरब - पार्ट प्लोट पुनम कुमारी; पश्चिम - पार्ट प्लोट भारत भूषण सिंह
	४४४	३३८	0-0७ पश्चिम तरफ	उत्तर - प्लोट सं० ३३५; दक्षिण - भुवन सिंह प्लोट सं० ३३६; पूरब - [illegible] बखारी [illegible]; पश्चिम - पुनम कुमारी
			0-७४ डी०	

प्रतिवादी गण

१. [illegible] सिंह

२. पुनम कुमारी

For the defendants

① [illegible]

② पुनम कुमारी

Advocate
16-7-2005

16/7/05

सत्यापन

उपरोक्त (१) श्री पुनीत कुमार सिंह (वादी सं० १) (२) श्रीमती पूनम कुमारी पत्नी श्री पुनीत कुमार सिंह (वादी सं० २) (३) श्री रामाश्रय सिंह (प्रतिवादी सं० १) (४) श्रीमती लक्ष्मपति देवी (प्रतिवादी सं० २) (५) श्री उमेश कुमार सिंह (प्रतिवादी सं० ३) (६) श्रीमती मिथलेश कुमारिन (प्रतिवादी सं० ४) सभी सूचित करता कार्य सत्यापित करता हूँ कि उपरि पत्र में वर्णित समस्त कथन एवं सूचना हमारी जानकारी के आधार पर सही एवं पूर्णरूपेण सत्य है जिसे कुछ भी छुपाकर या गलत कथन नहीं पाया जाना गलत करार किया गया है।

सत्यापित की गयी आज दिनांक 16 माह 7 २००५, दानापुर न्यायालय परिसर में।

(1) पुनीत कुमार — प्रतिवादी

(2) पूनम कुमारी — रामाश्रय सिंह

उमेश कुमार सिंह

लक्ष्मपति देवी

मिथलेश कुमारिन

Ramashray Singh
Advt.
16/7/05

For the plaintiffs
B. Sahay
Advocate
16-7-2005

COURT FEE
RS. 10.00
RUPEES TEN ONLY

-३०-

111
16-2-05

शपथ पत्र

मैं सुधीर कुमार सिंह पुत्र स्व० रामसागर सिंह ग्राम रामपुर थाना सोहांव ——

जनपद बलिया वर्तमान निवास कटरा आजमशाही निम्नलिखित शपथपूर्वक ——

कथन है - ——————————————

१- यह कि मैं उक्त नाम व पता का हूँ व मेरा जन्म का जाँचना ——

Sworn before me by Sudhir Kumar Singh who is identified by Sri R. Sinha Adv.

सुधीर कुमार सिंह ——

16.2.05 हस्ताक्षर शपथकर्ता ——

मैं सुधीर कुमार सिंह शपथपूर्वक कथन है कि उक्त शपथ पत्र ——

में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है किसी बात ——

छिपाकर असत्य कथन नहीं किया है। ——————

शपथित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 16 माह Feb वर्ष २००५

बलिया जिला कचहरी। ——————

सुधीर कुमार सिंह

Sudhir Kumar Singh
S/o Late Ram Sagar Singh
Village Rampur Thana Sohaon
District Ballia

16.2.05

I identify the deponent who has signed in my presence

Prashant Adv
16/2/05

16-2-05

16.3.04

शपथ पत्र

मैं, पूनम कुमारी पति श्री अरुण कुमार निवासी ग्राम रुपखुर पत्रालय _____

अतरौलिया जिला आजमगढ़ हाल आजमगढ़ निवासी निम्नलिखित _____

Identified before me
Advocate
Pawan Kumar
Advocate
Civil Court Azamgarh

शपथ करता हूँ - _____

१- यह कि मैं उपरोक्त वाद संख्या ६० २ के वाद का वादिनी _____

के साथ कल वेरीफिकेशन साक्षित हूँ। _____

Identified before me
Advocate
16.3.04

२- यह कि उक्त संयुक्त शपथ पत्र के पूर्ण कथन से साक्षित हूँ _____

तथ्य एवं सही है। _____

पूनम कुमारी _____

सत्यापन

मैं पूनम कुमारी उपरोक्त सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ में _____

वर्णित बातें मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है किसी बात को _____

छिपाया नहीं गया है। _____

सत्यापित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 16 मार्च _____

सन् २००४ आजमगढ़ निवासी कचहरी। _____

पूनम कुमारी _____

Identified before me
Advocate
16.3.04

I identify the deponent
who has signed in my
presence
Advocate
16/3/04

16.3.04

-2-

113
16.7.05

शपथ पत्र

मैं, रामशरण पुत्र भोला राम मुसम्मात हिंदू जाति कृषक पता ——

[illegible] पता ग्राम [illegible] थाना [illegible] जनपद [illegible] निम्नलिखित शपथपूर्वक ——

Ramsharan S/o Bhola Ram
Ex. Sub Sham No-dv

१- यह कि मैं उक्त वाद का प्रतिवादी सं० १ हूँ अतः इस वाद ——

के तथ्य स्वयं से पूर्णरूपेण वाकिफ हूँ। ——

16.7.05

२- यद्यपि वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन के पूरी तरह से वाकिफ हूँ फिर ——

भी सत्य एवं सही है। ——

[illegible] ——

सत्यापन [illegible] ——

Ramsharan
16-7-2005

मैं रामशरण उपरि उपरोक्त सत्यापित करता हूँ कि यह शपथ पत्र ——

मेरे प्रतिनिधि वादी द्वारा मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है किसी तथ्य ——

को छिपाकर झूठा बयान नहीं दिया है। ——

सत्यापित की जाकर हस्ताक्षरित मेरे समक्ष दिनांक 16 माह 7 ——

वर्ष २००५ सायं [illegible] बजे। ——

[illegible]

16.7.05

I identify the
deponent who is
personally known to
me.

Ramsharan
Advocate
16-7-2005

[illegible]

-२० -

114
16-7-05

शपथ पत्र

मैं , लालमनि देवी पत्नी श्री रामस्वरूप सिंह साकिन रूपपुर पंचायत [illegible] थाना धानापुर जिला चन्दौली शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करती हूँ :-

Lal mani Devi

१- यह कि मैं इस [illegible] का [illegible] हूँ तथा इस [illegible] के [illegible] से [illegible] हूँ।

२- यह कि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। — लाल मनि देवी

B. Shalo
Advocate
16-7-2005

16-7-05

सत्यापन

मैं लालमनि देवी शपथपूर्वक सत्यापित करती हूँ कि इस शपथ पत्र में अंकित बातें मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है जिसे पढ़कर समझ स्वीकार कर लिया हूँ।

सत्यापित एवं हस्ताक्षरित आज दिनांक 16 माह 7 सन् २००५ धानापुर जिला चंदौली कचहरी। लाल मनि देवी

16-7-05

I identify the Deponent who has signed in my presence.

B. Shalo
Advocate
16-7-2005

115
16.7.05

शपथ पत्र

मैं उमेश कुमार पुत्र/पत्नी श्री रामस्वरूप जैन आयु लगभग [illegible] साकिन [illegible] मकान नं. [illegible] मोहल्ला [illegible] थाना [illegible] जिला [illegible] पेशा [illegible] हाल [illegible] का निवासी हूँ।

१- यह कि मैं इस मामले का प्रार्थनापत्र लेकर [illegible] के पास [illegible] गया था।

16.7.05 २- यह कि इस शपथ पत्र में वर्णित सब कथन मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है।

उमेश कुमार

सत्यापन

मैं उमेश कुमार पुत्र/पत्नी [illegible] सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र में वर्णित सारी बातें मेरी जानकारी में सत्य एवं सही हैं कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

सत्यापित किया आज दिनांक 16 माह 7 सन् २००५ [illegible] कचहरी फाजिलपुर।

16.7.05

उमेश कुमार

I identify the Deponent who has signed in my presence

Advocate
16-7-2005

COURT FEE
TWO RUPEES

-२२-

118
16.7.05

शपथ पत्र

मैं श्रीमती श्वेता सिंह पत्नी श्री अनिल कुमार सिंह वादिनी हलफनामा पेश

करता हूँ कि मैं वादिनी स्वयं हूँ तथा अन्य कोई निम्नलिखित शपथ करता

Solemnly affirmed before me
Sd/- B. Lahiri Adv.

हूँ कि मैं उक्त वाद में वादिनी हूँ अतः

उपरोक्त शीर्षक वाद के पूरे तथ्य से परिचित हूँ जो तथ्य सही है।

16-7-05

श्वेता सिंह

सत्यापन

B. Lahiri
Advocate
16-7-2005

मैं श्रीमती सिंह उपरोक्त सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र में

वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है किसी सही

बात को छिपाया नहीं गया है।

सत्यापित एवं हस्ताक्षरित आज दिनांक 16 माह जुलाई

सन् २००५ बनारस में किया गया।

17/7/05

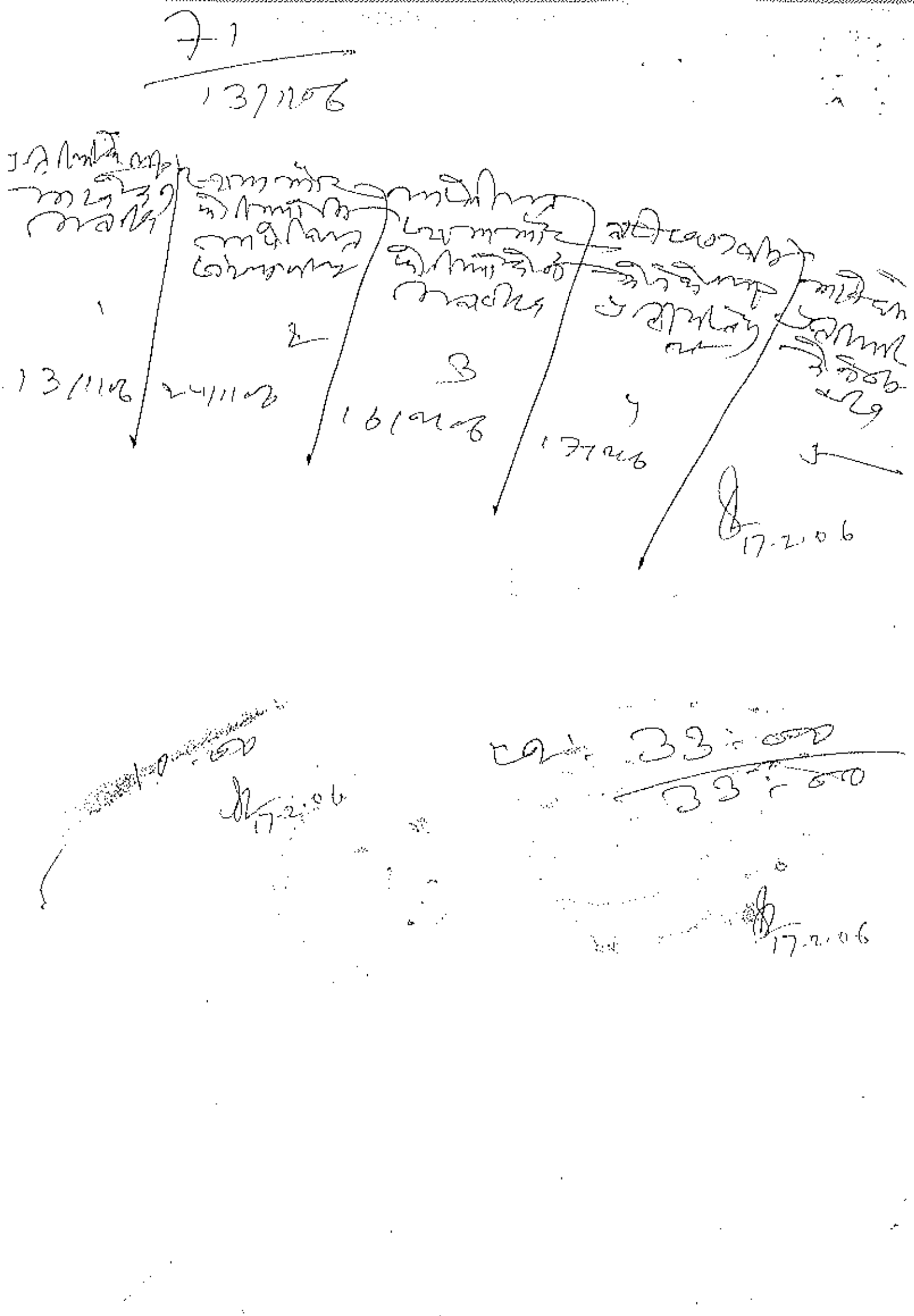
श्वेता सिंह

I identify the deponent who has signed in my presence.

B. Lahiri
Advocate
16-7-2005

Left Thumb Impression of Deponent

16-7-05



S.J.-1811/
CW 21/
15.06.

[redacted]

न्यायालय श्री अपर...

पटना

आवेदित पेशोत्तर [illegible] वाद सं०- 711/1998

1. श्री सुधीर कुमार सिंह - [illegible] श्री रामस्वारथ सिंह,
2. श्रीमती पूनम कुमारी पत्नी [illegible] श्री सुधीर कुमार सिंह,

दोनों का निवास स्थान ग्राम- [illegible], थाना-सहारमलपुर, थाना-सालपुर जिला- पटना ..... वादीगण

बनाम

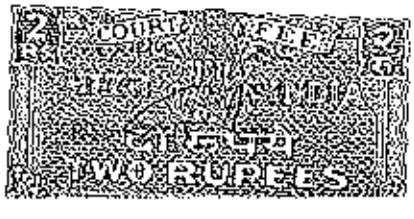
1. श्री राम स्वारथ सिंह पिता [illegible] श्री रामस्वारथ सिंह,
2. श्रीमती सरस्वती देवी पति का नाम श्री राम स्वारथ सिंह
3. श्री उमेश कुमार सिंह, [illegible] श्री राम स्वारथ सिंह,
4. श्रीमति श्वेता सिंह पति का नाम श्री उमेश कुमार सिंह

सभी का निवास स्थान ग्राम आसपुर, थाना- सहारमलपुर, थाना- सालपुर, जिला-पटना ..... प्रतिवादीगण

अपीलेण्ट वादीगण निम्नलिखित निवेदन करते हैं :-

1. यह कि अधोहस्ताक्षर और प्रतिवादीगण के सामान्य का कुर्माणात एवं सम्बन्ध के नीचे लिखा है, जिसे साफ लिखा होना कि राम स्वारथ सिंह के दो पुत्र सुधीर कुमार सिंह और उमेश कुमार सिंह है और उनकी पत्नियाँ [illegible] है। और पूनम कुमारी सुधीर कुमार सिंह की पत्नी है और [illegible] उमेश कुमार सिंह की पत्नी है।

2. यह कि श्री राम स्वारथ सिंह और उनके दोनों पुत्र श्री सुधीर कुमार सिंह और श्री उमेश कुमार सिंह अविभक्त परिवार के सदस्यगण है और आपसी पारिवारिक के सभी सम्पत्तियों पर समानरूप कब्जा और भोग करते आ रहे हैं। विगत [illegible] वर्षों से श्री रामस्वारथ सिंह और सालवती देवी सह कब्जा और सुधीर कुमार सिंह और पूनम कुमारी सिंह कब्जा और उमेश कुमार सिंह और श्वेता सिंह संयुक्त [illegible] कब्जा-भोगा की आरोपवार [illegible] स्थिति की रहा है और ऐसे का कोई आधार भी अलग-अलग की रहा है, लेकिन [illegible] सामान्य एजमाल के सामान्य का पूर्ण रूप से [illegible] नहीं हुआ है।



3. यह कि वादीगण और प्रतिवादीगण के मध्यवर्ती इजमाल के आयवाद का पूर्ण विवरण एवं नक्शा नक्शे के नीचे जरीमा नं0-1 में दर्ज है, जिसमें वादीगण और प्रतिवादीगण इजमाल मालिक और दाखिल है, जिसमें वादीगण और प्रतिवादीगण के अधिकार और कब्जा में एकरूपता है और आयवाद बँटवारा वाद में वादीगण का हिस्सा एक तिहाई है और प्रतिवादी नं0-1 और 2 का हिस्सा एक तिहाई है और प्रतिवादी नं0-3 और 4 का हिस्सा का तिहाई है।

4. यह कि बरमान वादीगण को प्रतिवादीगण नाईतिकारो को मिला है इसलिए इजमाल मालमान के आयवाद को अब इजमाल रखना सम्भव नहीं है और बखरह नाईतिकारी बरमान फरीकैन खेतो के बीच आपस में झगड़ा फसाद होता रहता है, जिससे शान्ति भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

5. यह कि उपरोक्त परिस्थिति में वादीगण ने प्रतिवादीगण से आयवाद मालमान इजमाल के बँटवारा के लिए खुतवार तलब तकाजा किया, लेकिन प्रतिवादीगण आयवाद मालमान इजमाल का शान्ति पूर्वक बँटवारा करना नहीं चाहते हैं इसलिए वादीगण को आयवाद मालमान इजमाल के बँटवारा के लिए मुकदमा दायर करने की जरूरत है।

6. यह कि विवाद मूल विन्न-भिन्न तारीख को उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से इजमाल मालमान के आयवाद के बँटवारा के लिए तलब तकाजा किया। वे भी विवाद 10-5-78 जिस दिन आखरी बार वादीगण ने प्रतिवादीगण से बँटवारा के लिए तलब तकाजा किया और प्रतिवादीगण ने बाँटने से इन्कार किया कमोबेश मौजा कपसपुर, थाना-मसौढ़ी, जिला-पटना इस विवाराक्ष के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रादुर्भूत हुआ।

7. यह कि मालियत मुकदमा दावा का मोकलिम को मालूम रहने सम्भवित अदालत दावा के है लेकिन चूंकि यह वाद इजमाल मालमान के आयवाद के बँटवारा के लिए है, इसलिए निश्चित शुल्क मोकलिम 29 रुपया 25 पैसा अदा करके मुकदमा दावा दायर की जाती है।

8. यह कि उपरोक्त वादीगण निम्नलिखित प्रतिकारो के वास्ते है:-

(1) यह कि अदालत से आयवाद बँटवारा तलब मुखें जरीमा नं0-1 वाले नक्शा-नक्शा में वादीगण के एक तिहाई हिस्से के बँटवारा के लिए प्रारम्भिक डिक्री वाद वादीगण हासिल फरमाया जाय।

: : ३ : :

(ख) [illegible] अनुसूची नं०-1 [illegible] के एक तिहाई भाग [illegible] [illegible] के आवेदक- [illegible] [illegible] और [illegible] के [illegible] कर [illegible] किया जाय और [illegible] [illegible] किया। [illegible] आवेदक और प्रतिवादी [illegible] से [illegible] किया गया। ....

(ग) [illegible] [illegible] और [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] [illegible] ....

वंश वृक्ष
========

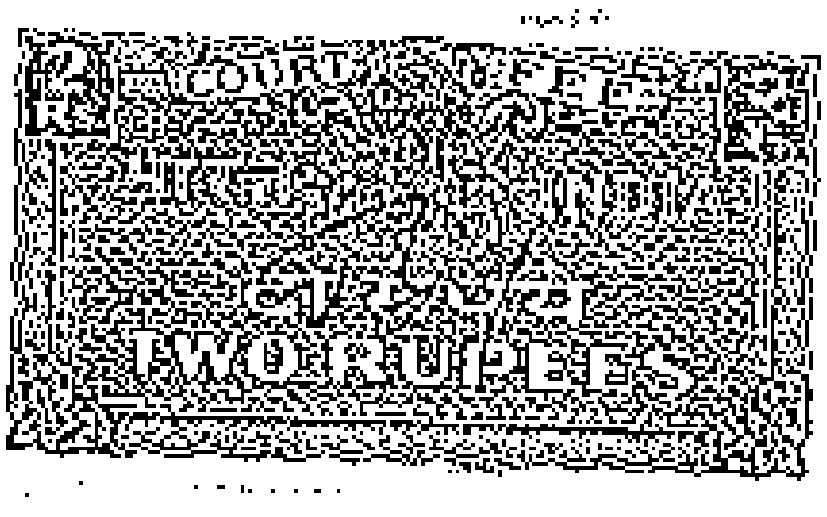
रामनन्दन सिंह
पत्नी [illegible] देवी

सुधीर कुमार सिंह पत्नी पूनम कुमारी	[illegible] कुमार सिंह पत्नी श्वेता कुमारी

अनुसूची नं०-1
==============

पुश्तैनी जायदाद खेसरा [illegible]
=============================

मौजा	तौजी	खाता	खेसरा	रकबा ए०-डी०
[illegible] थाना-	5557	355	109 म	0.33½
[illegible]	5556	307	76 मे	0.31
[illegible], जिला	5558	,,	93 मे	0.29½
पटना।	5559	424	2?6	0.38
			312	0.42
			433 मे	0.6½
			421	0.26
			410 मे	0.11
			416 मे	0.8
			579 मे	0.16½



गाँव	तौजी	बातर	प्लॉट	रकबा १०-डी०
====	====	====	====	====
रघुवीर सहाय			592	0.6 मकान
पर्वत, कलां-			590 मे	0.0½ मकान
दासपुर, जिला-	5559	414	386	0.00
पटना।			587	0.01
			388	0.08
			594	0.06 मकान
			595 मे	0.04
			597	0.03 मकान
			338	0.12
			337	0.02
	5559	129	567	0.14 Shaik
			1281 मे	0.05½
			1260 मे	0.15¼
			1240 मे	0.16¼
		103	1298	0.08
	5561	516	985 मे	0.32
		532	1027 मे	0.28 25 dec
			1028 मे	0.10 25 dec
		431	417	0.02

1) सुधी कुमार सिंह

माहरा खान- cent हस्ताक्षी

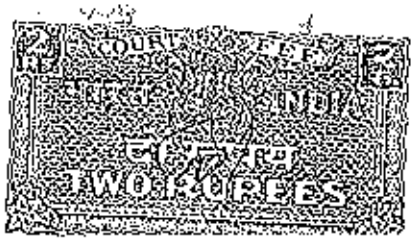
424 312 4 2 dec

103 565 19. 2 dec

Amended 304 97 10 dec

2) पूनम कुमारी

21/9/05



सत्यापन

हम (1) श्री सुधीर कुमार सिंह आत्मज श्री रामस्वारथ सिंह (2) श्रीमती पूनम कुमारी पत्नि का नाम श्री सुधीर कुमार सिंह दोनो निवास स्थान ग्राम- कपसपुर मजरा- सदायनगर, थाना- बाजापुर, जिला-पटना का शपथ पूर्वक एकरार करते हैं कि शपथ-पत्र में वर्णित सारी बातें मेरे जानकारी में सत्य एवं सही है जिसे पढ़कर सुनकर समझकर पुन: कहा लिखा है।

हस्ताक्षरित एवं सत्यापित दिनांक .07. माह .6. सन् 06.. बाजापुर दिवानी कचहरी।

शपथ - पत्र

मैं, श्री सुधीर कुमार सिंह आत्मज श्री राम स्वारथ सिंह, साकिन ग्राम- कपसपुर मजरा- सदायनगर, थाना-बाजापुर, जिला-पटना का शपथ पूर्वक निम्नलिखित हलफनामा सादर करता हूँ :-

1. कि मैं इस वाद का वादी नं0-1 हूँ तथा इस वाद के सक्षम कथन में आधिकृत हूँ।

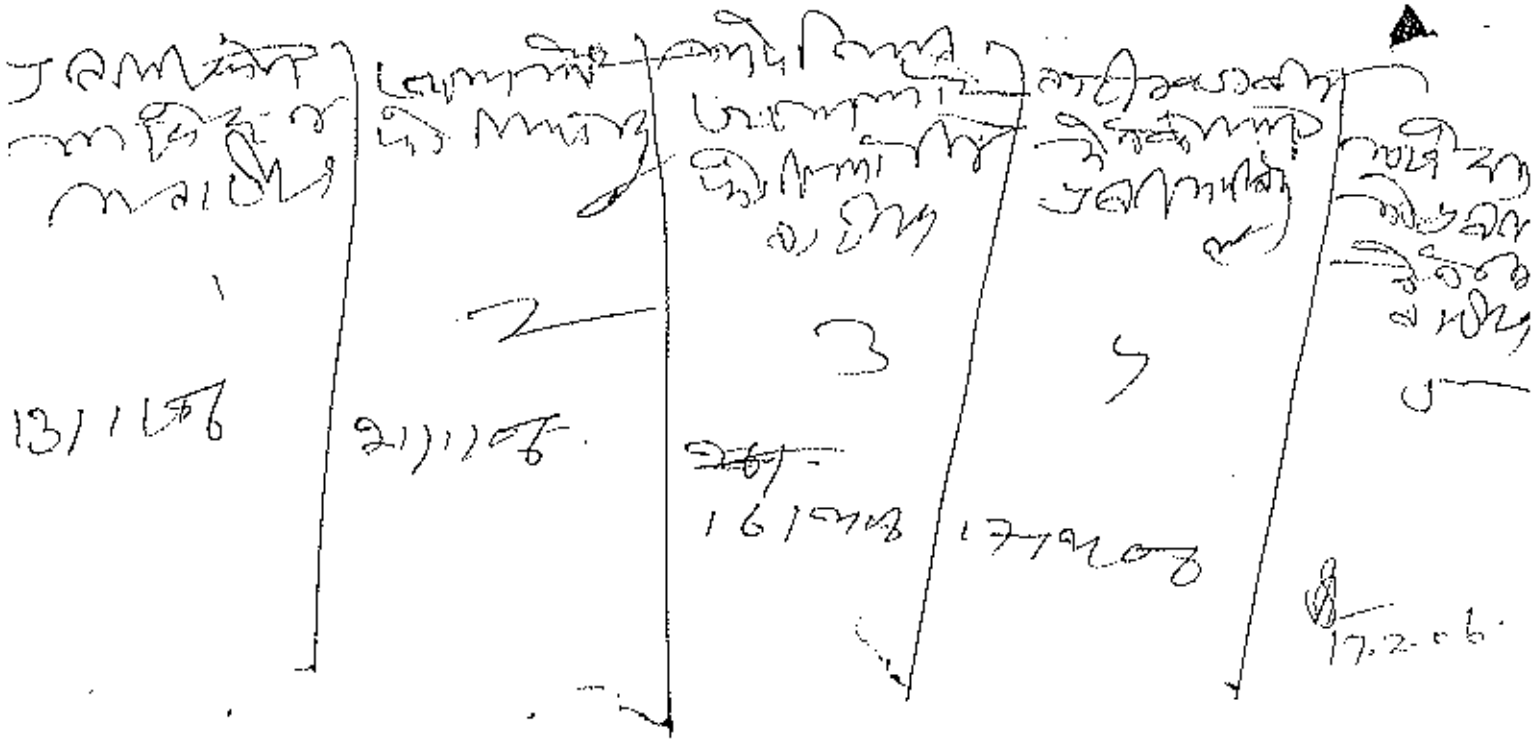
2. कि शपथ-पत्र में वर्णित सारी बातें मेरे जानकारी में सत्य है।

सत्यापन :

मैं, श्री सुधीर कुमार सिंह शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र में वर्णित सारी बातें मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है जिसे पढ़कर सुनकर समझकर गलत पाया जाना उसमें कुछ नहीं छिपाया है।

सत्यापित एवं हस्ताक्षरित दिनांक .07. माह .6. सन् 1998, बाजापुर दिवानी कचहरी।

Reading
Rai



GOVT. OF BIHAR
Registration, Excise & Prohibition Deptt
PATNA SCORE, PATNA

COURT FEE

Authorization No. 2013

भारत Stamp Duty 00000 JUDICIAL

INDIA 375303 BIHAR

Zero Zero Zero Zero Zero Zero Five

8446 1725558

GOVT. OF BIHAR
Registration, Excise & Prohibition Deptt.
PATNA SCORE, PATNA
COUNTER

STAMP DUTY
00000

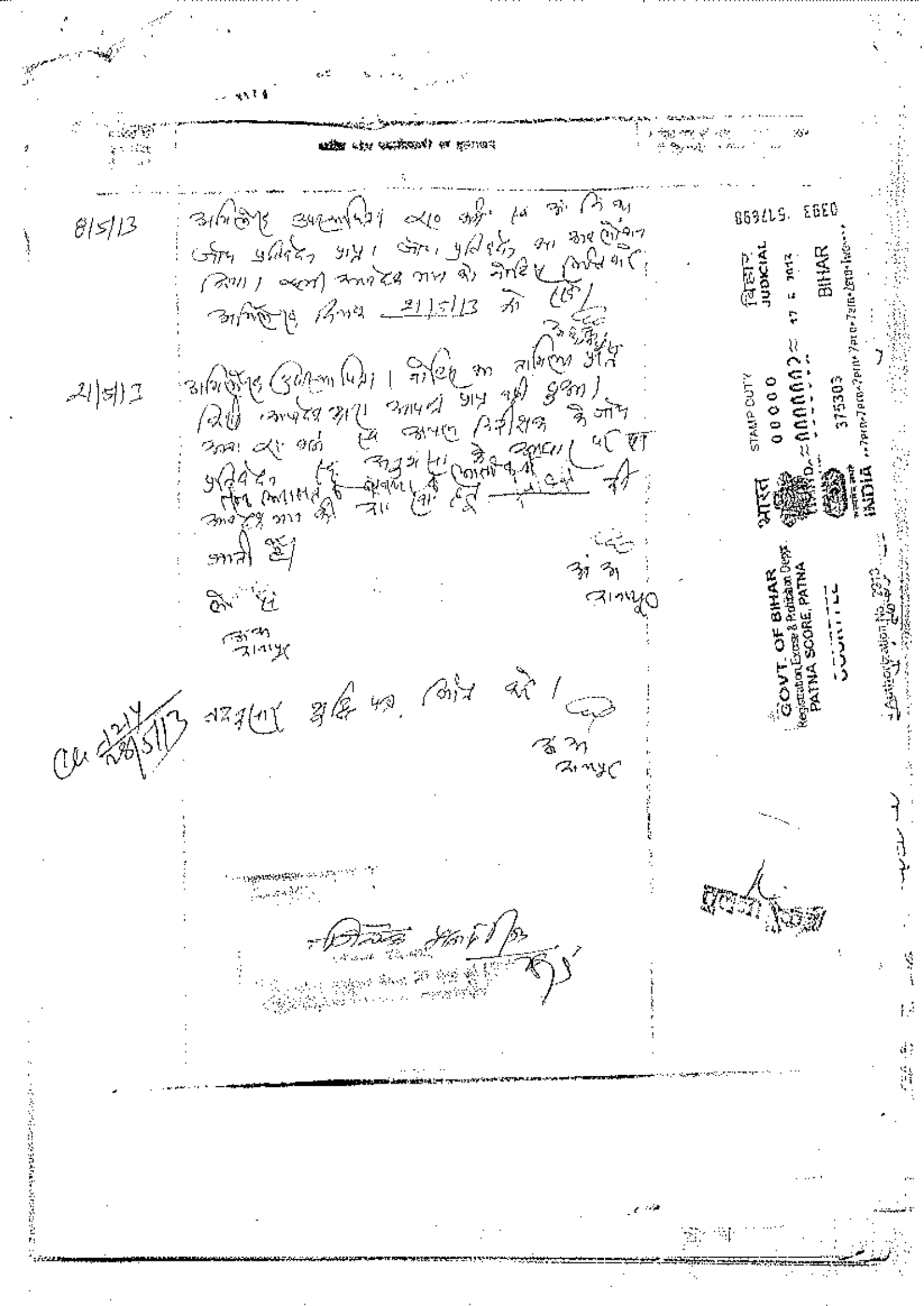
BIHAR
375303

INDIA

JUDICIAL

BIHAR

Authorisation No. 2913



GOVT. OF BIHAR
Registration, Excise & Prohibition Deptt.
PATNA SCORE, PATNA

बिहार न्यायिक - 1

COURT FEE

भारत
00000
INDIA

BIHAR
375303

सन् - 2013-14 बल्का नम्बर -
सत्यम् थाना - Authorization No. 2813
प्राप्त का अधिकार दस्तावेज

दिनांक -

					नकद्दी नम्बर 1845.
1) श्री राम रुलाये सिंह पिता स्व० [illegible] सिंह ग्राम० रूपाधापुर थाना० अलीनगर	156 114 424 301 304 291 298 305 368	1257 1254 316 312 389 76 93 78 92 109 113 136	2.56 ½	30.61	ओ० ऊह महोदय आवेदित भूमि का अमावली श्री राम रुलाये सिंह वो पत्नी लालमनी देवी के नाम पर बजे है। उक्त भूमि को "P.S. 11/98 रुलामी एवं अतिरिक्त भूमि सर्वेक्षण" के अंतर्गत आपसी समझौतानामा के द्वारा सुधीर कुमार सिंह, पुनम कुमारी, देवन्ती सिंह कपिला कुमार सिंह, राम रुलाये सिंह एवं लालमनी देवी के हिस्से की प्राप्त में सुधीर कुमार सिंह के सहयोगार्थ निष्पन्न होकर दि० [illegible] की भूमि श्रमण सौरभ रुलामी लालमनी देवी के सहयोगार्थ उनके हिस्से की भूमि आवेदक राम रुलाये सिंह को मिला है। उक्त प्राप्त हिस्से की भूमि को आवेदकगण अलग- अलग खेलने हेतु लीज, व्याहने हेतु आवेदन किये हैं। भूमि देखती है। तथा दोनों भाग की भौतिक स्थान मुद्दयमी से मुक्त है। भूमि किस्से के अनुसार कब्जे में है।
1) शुभम सौरभ पिता स्व० सुधीर कुमार सिंह ग्रा० रूपाधापुर अलीनगर 2) सुनम कुमारी पिता स्व० सुधीर कुमार सिंह ग्रा० रूपाधापुर अलीनगर 3) श्वेता सिंह पिता गणेश कुमार सिंह ग्रा० रूपाधापुर अलीनगर	355 424 307 424 516 532 424 516 532 424 304 444	801 312 410 579 592 423 421 985 1027 1028 417 97 334 338 93 433 421 985 1027 1028 417 97 338	0.163½ 0.11.3½ 0.05.½ 0.09.½ 0.03.½ 0.45½ 0.15.½ 0.03½ 0.14. 0.14½ 0.12½ 0.12.3/4 0.01. 0.05 0.02 0.05.½ 0.65.½ 0.11.3½ 0.03½ 0.14 0.14½ 0.12½ 0.12.3/4 0.01. 0.05 0.07 0.34.½	10.00 20.00 20.00	अतः अब स्वयं पक्षों को स्वच्छन्दोपभोग सुनिश्चितता के हित में अधिवेत रुलामीनामे की आगेतर व्यवस्था की जा सकती है।

Cl 12/4/13

बंदोबस्त जमाबंदी - परिशिष्ट-

साल - 2013-14 हल्का नम्बर- 3 अंचल - दानापुर

राजस्व ग्राम नम्बर- 2.0 जिला - पटना

प्राप्त का जरिया- दस्तावेज

जमीन रकबा- तारीख- स्थिति-

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान
श्री रामसेवक सिंह पिता स्व० रघुनन्दन सिंह सा० रूपसपुर दानापुर	424 103 444 129 532 618 516 355 491 497 614 619	556,562 567,124 126,128 1217,568 1218,1315 378,414 416,421 433,579 592,334 598,335 366,576 594,595	0.86डि	22.8-7
(1) मालमनी देवी पति				
श्री रामसेवक सिंह सा० रूपसपुर दानापुर	156 जबरदि	1029,564 1028,502 494,30 31,-1.8 912 1252 कटौती	2.55डि	30.62

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान
(2) श्री उमेश प्रसाद सिंह पिता राम सेवक सिंह सा० रूपसपुर दानापुर	355 424	109, 316, 312, 410 594, 592, 595,	0 16 3/4 0 05 0 11 0 05 1/2 0 09 1/4 0 03 0 01 1/2 0 52 डि	10-6
(3) सीताराम सेवक सिंह पिता स्व० रघुनन्दन सिंह सा० रूपसपुर दानापुर	307 424, 129 103	76, 416, 598 386, 387, 388 563	0 10 1/2 0 08 0 05 0 08 0 01 0 01 0 04 1/2	30-6
	307 129, 444, 103	76,1260, 1260 1298 388 565 568	0 48 1/2 डि 0 14 1/2 0 15 1/2 0 08 0 11 0 08 0 09 1/2	
			योग 1.18 डि	

DISTRICT JUDICIAL STAMP DUTY 00000 BIHAR 375303 भारत GOVT. OF BIHAR Registration Forms & Publication Deptt. PATNA SCORE, PATNA

प्रपत्र संख्या-6
Form-6

सांख्यिकी ऐक्ट

क्रम संख्या
No. 091650

बिहार सरकार

Government of Bihar

योजना एवं विकास विभाग

(DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

मृत्यु प्रमाण–पत्र

DEATH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-12/17 तथा बिहार जन्म मृत्यु, रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के नियम 8/13 के अन्तर्गत जारी किया गया।)

(Issued under Section-12/17 of the registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Bihar Registration of Births and Deaths Rules, 1999)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है, जो कि (स्थानीय क्षेत्र)..... तहसील(अंचल/प्रखंड)..... जिला ..... राज्य: बिहार के रजिस्टर में उल्लिखित है।

This is to Certify that the following information has been taken from the original record of death which is the register for (local area/local body) ..... of tahsil..... (anchal/block)..... of District ..... of State : Bihar

नाम/Name..... लिंग/ Sex.....

मृत्यु की तिथि/ Date of Death..... मृत्यु का स्थान/Place of Death .....

माता का नाम/Name of Mother.....

पिता/पति का नाम/Name of Father/Husband.....

मृतक का मृत्यु के समय का पता/ Address of the deceased at the time of death

मृतक का स्थायी पता/ Permanent address of the deceased

पंजीकरण संख्या/ Registration No. 8235

पंजीकरण तिथि/Date of Registration

टिप्पणी/ Remarks(if any).....

जारी करने की तिथि/Date of issue.....

प्राधिकारी के हस्ताक्षर/ Signature of the issuing authority

प्राधिकारी का पता/ Address of the issuing authority

मोहर/Seal

"प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें/Ensure registration of every birth and death"

रसीद मालगुजारी
परगना सरकेल। मौजा मोजा मठ
खसरा की खसरा नम्बर

00880505

रतनपुर	चौदह 20	श्री राम स्वार्थ सिंह	93.50

आसामी नगदी — आसामी भाखली पट्टा

1.18 ह.	श्री यदुनन्दन सिंह ग्रा- रतनपुर

जींस का सालाना माल मय तफसीलात (बकाया व) मौजा रतनपुर, परगना

2015-16 मांग बाबत		सालाना	बकाया				
			तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल--	(नकदी)	30.00				30.00	30.00
गुजारी	(भावली)	7.50				7.50	7.50
सेस	...	15.00				15.00	15.00
*सूद	...	15.00				15.00	15.00
मुतफरकात	...	6.00				6.00	6.00
मीजान		73.50				73.50	73.50

तफरीक अदायकारी।

2015-16 अदायगकारी बाबत		बकाया					
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल--	(नकदी)				30.00	30.00	
गुजारी	(भावली)				7.50	7.50	
सेस	...				15.00	15.00	
*सूद	...				15.00	15.00	
मुतफरकात	...				6.00	6.00	
मीजान अदायकारी					73.50	73.50	= 147.00

(1) मीजान कुल (लगजां में) — एक सौ सैंतालीस रुपया मात्र
(2) नाम देहिन्दा — श्री यदुनन्दन सिंह
(3) कुल बकाया —

दस्खत व तारीख अमला तहसील

* [illegible] मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर कि

12/8/15

खाता-खोट

207	76
424	416
129	598
103	386
454	387
	388
	568
	1280
	1298
	388
	565

रसीद मालगुजारी
मद्य सर्कल व नाम मौजा नम्बर
थाना वो थाना नम्बर

00880505

रतनपुर	दानौद २०	श्री राम २-१।२ सिंह	9350

असामी नम्बरी — असामी मालगी पिता

1·18 है.	श्री अभिनन्दन सिंह उर्फ रघुनन्दन सिंह पुत्र रघुराजपुर

जोत का मालगुजारी नाम मय अफसील (मकान व मौजा रतनपुर, पचना

2015-16 मद्य वाबत	सालगिरा	बकाया			
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।
माल— (नकदी)	30·00				30·00
गुजारी (मालगी)	7·50				7·50
रोस	15·00				15·00
*सुद	15·00				15·00
मुतफरकात	6·00				6·00
मीजान	73·50				73·50

अफसील अदायगीकारी।

2015-16 अदायगीकारी बाबत	बकाया					
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल— (नकदी)				30·00	30·00	
गुजारी (मालगी)				7·50	7·50	
रोस				15·00	15·00	
*सुद				15·00	15·00	
मुतफरकात				6·00	6·00	
मीजान अदायगीकारी				73·50	73·50	= 147·00

(1) मीजान कुल (लगजां में) --- एक सौ सैंतालीस रुपये मात्र
(2) नगद बेहिन्दा --- 2-42
(3) कुल बकाया ---

दस्खत वो तारीख अमला तहसील

* मद्य सर्कल का मालगुजारी घर (सेवाय ऐसे अलायदे पर कि

12/8/15

खाता-खोट

287 - 76
424 - 416
189 - 578
103 - 386
444 - 387
388
5688
2880
12978
3888
5565

Sch. XIV.—F.No. 180 V

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर

वि०स०नु०, पटना।

फरद मालगुजारी / फरद रैयती।

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकुनत। नम्बर।

X
107
9507

V

रामपुर	स्थानीय	श्री अरुण सिंह	0579866

असामी बकाश्त

असामी भावली पिता

तफसील हिसाब लगान भावली।

0.876	एक रामजतन सिंह	पिता-[illegible]

जोड़ का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल [illegible]

2016-17 मांग साल		सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
खाल— गुजारी	(नकदी)	20.00				40.00	20.00
	(भावली)	5.00				10.00	5.00
सेस		10.00				20.00	10.00
*सुद		10.00				20.00	10.00
मुलकरकार		5.00				10.00	5.00
मीजान		50.00				100.00	50.00

तफसील अदायकारी।

2016-17 अदायकारी बाबत		बकाया				मीजान हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
खाल— गुजारी	(नकदी)				40.00	20.00	
	(भावली)				10.00	5.00	
सेस					20.00	10.00	
*सुद					20.00	10.00	
मुलकरकार					10.00	5.00	
मीजान अदायकारी					100.00	50.00	=150.00

(1) मीजान कुदा (नम्बरों में) एक सौ पचास (अन्य) मात्र

(2) मौजा देहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कानिन्दा

*खाली खाने के बकाया पर जुर्माना पर (सैकड़े पर) बकायों पर जिल पर कि सर्टिफिकेट जारी हो या नहीं लिखा जाता है।

दस्तखत तहसीलदार 06/7/2016.

शेष-[illegible]
205-16-00-00
424-00-00-00
" 716-00-00-00
431-417-00-00
452-290-00-00
102-388-00-00
129-1298-00-00
" 1240-00-00-00
532-1022-00-00
516-984-00-00
0.876

दाखिल खारिज - प्रतिवेदन

वर्ष - 2013-14 हल्का नम्बर - 2 अंचल - पालीगंज
राजस्व थाना नम्बर - 9-0 जिला - पटना
प्राप्त या अधिवक्ता - वेंटवारा
विधि - X

केवाला - X

जमाबंदी किस का नाम	खाता	प्लौट	एकवा	लगान
1- श्री रामगति सिंह पिता स्व० अनुग्रह सिंह ग्रा० - खखनमपुर पो० - दानापुर जि० - पटना	662 424	559 416	34	33-98
	452	421 317		
	454	386		
	516	390		
	732 355	1298		
	549 618	1024		
	619 491	350		
		995		
		रास्ता 26	2.83½	
2- श्री भरत भूषण सिंह पिता स्व० रामगति सिंह	103 129			
जमा हुआ रकबा				

CN0-1754
8/9/14

नया जमाबंदी नं०	खाता	प्लौट	एकवा	लगान
भरत भूषण सिंह पिता स्व० रामगति सिंह ग्रा० - खखनमपुर पो० - दानापुर पटना	305	96	0.02	20.00
	424	421	0.28	
	424	410	0.06	
	424	416	0.08	
	436	417	0.02	
	452	390	0.02	
	454	386	0.01	
	103	1298	0.08	
	129	1240	0.11	
	532	1024	0.17½	
	516	984	0.01½	
			0.87.5	
2- श्री दिलीप कुमार पिता श्री गरुड़ भूषण सिंह ग्रा० - खखनमपुर पो० - दानापुर पटना	355	113	0.16½	2.00
	307	93	0.28	
	424	339	0.05	
	462	340	0.01½	
	454	386	0.04	
	129	56½	0.14	
	516	985	0.05½	
	114	1236	0.02½	
			0.97.5	

राजस्व अधिकारी
8/9/2014.

जमाबंदी नम्बर 1854, 1846
अ० अ० बालेश्वर

आवेदित भूमि
श्री जमाबन्दी आवेदकगण
के पितृश्री स्व० खखा $ नाम
पर दर्ज है। प्रस्तुत भूमि
आवेदकगण अपने पिताश्री
के द्वारा वर्ष तकसीमनामा
बैनामा द्वारा बारा-बार कुर अपने
अपने हिस्से से प्राप्त
किये है। उक्त प्राप्त हिस्से
की भूमि को आवेदकगण
अपने-अपने नाम से दाखिल
खारिज कराने हेतु आवेदन
दिये है। भूमि धुमती है।
सीर जाम को मालिक दर्ज
किये है। चूकत हिस्से के
अनुसार भूमि आवेदकगण
के हक्कल कब्जे में है।

अतः जमाबन्दीरजग
एवं स्वामी पक्षों को
सूचनोपरान्त लगान वसूली
के हित में दाखिल खारिज
स्वीकृत की जा सकती
है।

अंचल अधिकारी
पालीगंज
पटना

	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान
	304	125	2.8	32.2
	304	126		
	243	125		
	218	346		
	325	312		
	368	326		
	424	346		
	156	93		
	592	07		
	114			
			3.25	35.2

CM0-1254
8/9/14

	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान
	304	46	0.35	
	424	316	0.06	
	444	326	0.16	
	424	338	0.26	
	424	439	0.26½	
	424	541	0.16½	
	103	563	0.14	
	156	1258	0.13	
	532	142	0.16	
	444	595	0.22½	
	444	596	0.24	
	325	100	0.16½	
	424	219	0.21	
	368	93	0.28	
	444	334	0.11	
	424	320	0.00	
	103	565	0.19½	
	429	1260	0.15½	
	114	1256	0.14	
	516	1049	0.14	
	156	1254	0.21½	
	516	985	0.21	
	424	590	0.26	
		593	0.23	
			1.16½	

CM-1354
2/9/14

2 संजीव कुमार संजीव कुमार

Zकमलेश कुमार

महेश कुमार

CNO-1754
8/9/14

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख ..... तक

आदेश पत्रक

जिला– पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं०..... सन् .....

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	श्री ..... बल्द ..... ग्राम ..... पो० ..... थाना ..... जिला ..... केवाला नं० ..... दिनांक ..... के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल–खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है। मौजा थाना नं० खाता नं० खेसरा एराजी लगान .... 196 1230 .... मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 2/11/16 को रखें। लेखापित एवं संशोधित। अंचल अधिकारी दानापुर अंचल अधिकारी दानापुर	
	नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल–खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल–खारिज की ..... दी जाती है। शुद्धि–पत्र निर्गत करें। अंचल अधिकारी दानापुर अंचल अधिकारी दानापुर	

Certified to be True Copy
12/7/16
Authorised under Section 76 Act of 1872

तुलना कर्ता

GOVT. OF BIHAR
COURT FEE
Rs 0000110
INDIA

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

केश नम्बर- ६७६० / साल ९८-९९ हल्का नम्बर ९ अंचल दानापुर

ग्राम - [illegible] राजस्व थाना नम्बर -१८ जिला - पटना

मु० से जमीन रकबा - प्राप्त का जरिया - [illegible]

जरशमन - केवाल - तिथि -

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर
[illegible]	१३६	१५९०	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	५७२	[illegible]			
	५८९	[illegible]			
	[illegible]				
	१३६	१५९०	[illegible]	[illegible]	
	५७२	[illegible]			
	५७२	[illegible]			
[illegible]	[illegible]				
बचा हुआ रकबा					
नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	
[illegible]	१३६	१५९०	[illegible]	[illegible]	

Certified to be true Copy

[illegible]

Head Clerk

Authorised under sec 76 Act of 1872

तुलना कर्ता

Sch. XIV.—F.No. 180 V

स्थगित मालगुजारी

नाम सर्वदा। नाम मौजा मय थाना के थाना नम्बर

V

जिलाबन्दी नम्बर। X.

जमींदार मालगुजार / पत्तेदार रैयती। 107

नाम रैयत मय जिलाबन्दी जमाबन्दी को दफ्तरुआ। नम्बर 10348

कानपुर	घाटमपुर	राकेश कुमार श्रीवास्तव	0551412

जोतदारी नम्बरी 20 अराजी मालगुजारी पिता तफसीलवार हिसाब जमाबन्दी मालगुजारी।

0.036	मृत्युंजय प्रसाद श्रीवास्तव आ० हरदेव

जोत का सालाना मांग मय तफसील (जमाबन्दी के हवाले) मौजूदा साल का विवरण

2016-17 मांग मालगुजारी		सालाना	बकाया					हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
मालगु- जारी	(नकदी)	1.00				2.00		1.00
	(गल्लेदी)	0.25				0.50		0.25
रेस	...	0.50				1.00		0.50
*सुद	...	0.50				1.00		0.50
मुताफरकात	...	0.20				0.40		0.20
मीजान		2.45				4.90		2.45

136 / 1280

WITHOUT PREJUDICE

2016-17 अदायगीकारी बाबत		बकाया				मौजूदा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष	1ला वर्ष।		
मालगु- जारी	(नकदी)				2.00	1.00	
	(गल्लेदी)				0.50	0.25	
रेस	...				1.00	0.50	
*सुद	...				1.00	0.50	
मुताफरकात	...				0.40	0.20	
मीजान अदायगीकारी					4.90	2.45	7.35

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) ..... दो सौ पैंतालीस रुपये मात्र

(2) नाम वेहिन्दा .....

(3) कुल बकाया .....

दस्खत व तारीख अमला तहसील कुर्सिया

*ग्रास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सार्टीफिकेट जारी हो) सूद देय होता है।

दिनांक 28/8/2016

Sch. XIV.—F.No. 180 V

खरीद मालगुजारी

नाम सर्कल। नाम मौजा नम्बर थाना यो थाना नम्बर

V

जिलाशुद्ध, पटना। X.

फरद मालगी / फरद रैयती। 107

नाम रैयत नम्बर खतियान अनावश्यकी यो मुकुलत। नम्बर 3300

फतनपुर	चक्रोत्त	श्री मुकेश उपाध्याय 0551887
	20	

अराजी नम्बरी | अराजी भायली पिन | तफसील किस्म लगान भायली।

0.038	श्री मृत्युञ्जय प्रसाद-शाहपुरा

जोत का सालाना माँग गया तफसील (बकाया तो हाल) गोतुआ साल का।

2016-17 माँग बाबत		सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल— गुजारी	(नकदी)	5.00				100.00	5.00
	(भायली)	1.25				25.00	1.25
सेस		2.50				50.00	2.50
*सूद		2.50				50.00	2.50
मुतफरकात		1.00				20.00	1.00
मीजान		12.25				245.00	12.25

136 (भायली) 1280

तफसील अदायकारी।

2016-17 अदायकारी बाबत		बकाया				मोताल्लगा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल— गुजारी	(नकदी)				100.00	5.00	
	(भायली)				25.00	1.25	
सेस					50.00	2.50	
*सूद					50.00	2.50	
मुतफरकात					20.00	1.00	
मीजान अदायकारी					245.00	12.25	2257.25

(1) मीजान कुल (लगजों में) — दो सौ पैंतालीस रुपया पच्चीस पैसा मात्र

(2) नाम वेहिन्दा

(3) कुल बकाया

दस्खत तो तारीख अगला राहसील तहसिल

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद लगाया जाता है।

1. Name of vendors:	1. Smt. Parvati Devi w/o Sri Ram Jiwan Sah. 2. Sri Surendra Sah s/o late Ramdewan Sah All are resident of Rupaspur P.S. Danapore P.O. Sahai Nagar district Patna by profession cultivation, an Indian citizen.
2. Name of vendee:	Sri Rakesh Kumar Srivastava s/o Sri Mrityunjay Prasad Srivastava resident of village Hardia P.S. Maharia distt. Siwan. Indian citizen.
3. Nature of document:	Deed of absolute sale.
4. Consideration Amount.	Rs.10,000/- (Rupees ten thousand) only.
5. Description of property:	All that piece and parcel of land

20 RS

a Katcha residential house measuring an area (3) (Three) decimals situated at village Dhanaut Pargana Phulwari Police station and Sub-Registry office Danapore Sadar Registry office and district Patna vide Tauzi No.5553 P.S. No-20 Khata no-136 Survey Plot No.1220 Annual Rent Rs.0.70 paise only payable to the Govt. of Bihar through Circle Officer Danapore (Patna).

That the property is [illegible] area and out of Patna Municipal Corporation. And the same is butted and bounded as follows:

North: Ved Prakash Mathur

South: Mukesh Kumar Shrivastva

East : Ganga Sahai

West : Ram Pati Singh

C.T.O of Phulwari dem
in the Sri Tarkeshwar Jal
28/3/87

Recitals.

This deed of absolute Sale is made on this 28th day of March 1987 Between Smt. Parvati Devi and other (here-in-after called the vandors) of One Part.

And

Sri Rakesh Kumar Srivastava (here-in-after called the vendee) of the other Part.

And

Whereas the Property described in Column No.5 and which is being sold under this deed is recorded in the name of Sri Noon Sahi Sah and Phul Kumari w/o Munshi Sah in the record of right. Most. Phul Kumari expired issueless long ago before. And Sri Noon Sahi Sah expired leaving behind his two sons namely Sita Ram Sahu and Sri Ganeshi Sahu. Later on a family partition was made between above Sita Ram Sahu and Sri Ganeshi Sahu and accordingly the property mentioned in column No.5 was alloted to Sri Sita Ram Sahu. And Sri Sita Ram Sahu having his peaceful possession expired leaving behind

L.T. 29 in the Pers. of Tapeshwari Devi & Parvati Devi
29/3/87

his wife Smt. Marani Kuar and two daughters Smt. Tapeshwari Devi and Parvati Devi vendor no.1. Afterwards on 6.4.1956 Smt. Marani Kuar executed a deed of surrender in favour of her both daughters Smt. Tapeshwari Devi and Parvati Devi vide Book I volume No. 10 page No.451 to 462 Deed No.826 of 1950 at the Sub-Registry Office Danapore. And since date of surrender aforesaid Tapeshwari Devi and Parvati Devi became joint owner of the property mentioned in col. no.5. But after some time Smt. Tapeshwari Devi also expired leaving behind her only son Sri H Surendra Sah said vendor No.2. Thus the vendor No.1 of the one side and vendor No.2 on other side became the joint owner of the property mentioned in column No.5 and they are exercising their right title and interest without any hindrances or intruptions from any quarter what-so-ever. And vendor's names are duly mutated in the record of Govt. at

And Whereas the vendors are in urgent need of money to construct house and to purchase other beneficial property and to meet other homely requirements and legal necessities, Therefore the vendors are curious and desirous in disposing off the said property in the interest and benefit of the minor and family.

And whereas the vendors above named described in column No.1 of the sale deed were in search of purchaser of reasonable price and they expressed their desire to sale the property to other and the vendors also approached to the vendee described in column no.2 of the sale deed and they negotiated with him. [illegible] vendee finalised the matter and got the matter settled at the reasonable and fair price and vendor agreed to sale the property described in column No.5 of the sale deed with the vendee for the sum of Rupees 10,000/- (Rupees Ten Thousand) only which is fair and reasonable price. After being fully satisfied the vendors are ready to execute a deed of sale in favour of the vendee in respect of property agreed to be sold to him.

And now therefore the vendors out of their own free will and to general state of mind body and sound mind desired without any pressure, operation, mis-representation, fraud or does hereby sale and transfer by way of sale their right, title and interest possession and ownership and the said property fully described in column No.5 of the sale deed and every party thereof out of his will and in the sound state of body

L.T.I. of Private clerk to the Dy. Collector & Tahsildar 24/3/82

ten thousand) only payable to the vendors at the time of signature and in exeution of this deed of absolute sale all the right title and interest which the vendors either to possess the property conveyed and put the vendee in possession of the property hereby conveyed and the same diverted from vendors and put it vested in the vendee and as absolute owner thereof and to get himself mutation in place of vendors wheresever it is required to be done on par and place as required on any kind what-so-ever in getteng the property hereby conveyed in the name of the vendee. the vendee may use the property as his choise and will and the vendee can dispose of the property in any manner according to his wish freely. The vendors further declare and assured the vendee that the property hereby conveyed is free from all defects to title and free from all sorts of encumbrances, and that the vendors have not entered into any agreement for sale or otherwise with any person and the vendors have transferable right title and interest in the property hereby conveyed. If on the contrary to the assurance and declaration given by the vendors, the vendee discovers any defects in the title of the vendors as a result of which the vendee is dispossessed or deprived from any part or whole of the property hereby conveyed vendor is called upon to clear of encumbrances, if any, inrespect of property conveyed to defend his title, therein any or all such event or happening the vendors declares themself liable to pay either the whole or the part

the vendee or extent of encumbrances paid by the vendor, all together with interest as admissible by by law to the vendee his heirs or successors.

In the presence of witness below the above vendor execute this Deed of Absolute sale after hearing fully and understood the contents of the deed on the day months and year mentioned above.

Signature of vendor.

Witnesses

(1) Nagendra Singh
Rupaspur
Danapur
Patna

L.T. 2 of Parvati devi
in the Ran of Tarkeshwar
Rai
२९।३।९२
सुरेन्द्र साह
२९-३-९२

Typed by: [illegible]

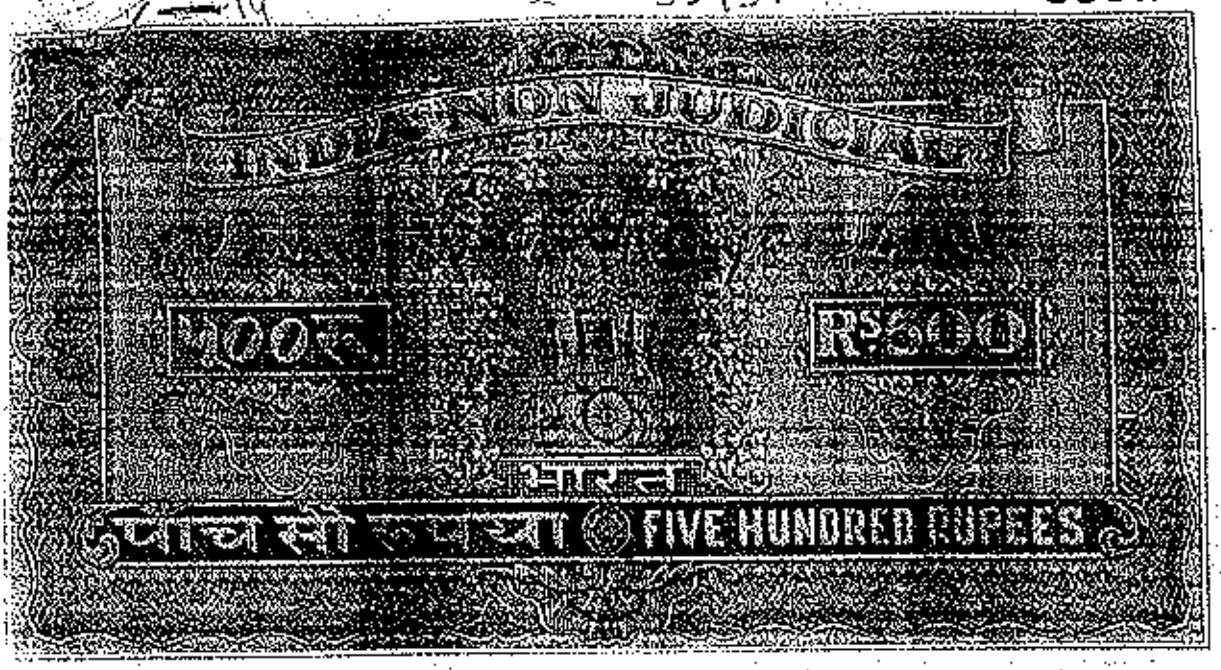
(Bhola Prasad)

Stonographer,
Mohalla Bibiganj Shathapar,
P.O. Danapore Cantt., (Patna)

L.T. 3 of Parvati devi
in the Ran of Tarkeshwar Rai
29/3/92

Drafted read over
& explained to me
Rajiv Kumar
Advocate

500Rs.



3-3-97

1. Name of vendors: 1. Smt. Parvati Devi w/o Sri Ram Jiwan Sah.
2. Sri Surendra Sah s/o late Ram Dewan Sah. All resident of Rupaspur P.S. Danapur P.O. Sohai Nagar district Patna by profession cultivation, an Indian citizen.

2. Name of vendee: Sri Mukesh Kumar Srivastava s/o Sri Mritunjaya Prasad Srivastava resident of village Mardia P.S. Marharia district Siwan. Indian citizen.

20 RS.



- 2 -

3. Nature of document: DEED OF ABSOLUTE SALE.

4. Consideration mount: Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand) only.

5. Description of Property: All that piece and parcel of land with a kutche residential house measuring an area 3 (Three) decimals situated at village Dhanauk Pargana Dhulwari Police station and sub-Registry office Daniawan Sadar Registry office and district Patna vide Tauzi No. 5553 P.S.No.20 Khata No.135 Survey Plot No.1230 annual rent Rs. 0.70 paise only payable to the Govt. of Bihar through Circle officer Danapur (Patna).

That the property is out of Urban land ceiling area and out of Patna Municipal Corporation. And the same is butted and bounded as follows:

North: Rakesh Kumar Srivastva

South: 16'/T. Wide Road

L.T.I. of Purushottam Kr. Tewari
in the pen of Rakesh Kumar Pal
29/3/97

East: Shri Ganesh Sahu

West: Shri Rajendra Prasad Singh

Recitals

This Deed of Absolute Sale is made on this 28th day of March 1997 Between Smt. Parvati Devi and other (herein after called the vendors) of the One Part.

And

Sri Mukesh Kumar Srivastava (herein after called the vendee) of the other Part.

And

Whereas the property described in column No.5 and which is being sold under this deed of sale is recorded in the name of Sri Noon Sahi Sah and Phul Kumari w/o Mumai Sah in the record of right. Most. Phul Kumari expired issueless ong ago before. And Sri Noon Sahi Sah expired leaving behind his two sons namely Sita Ram Sahu and Sri Ganeshi Sahu. Later on a family partition was made between Sri Sita Ram Sahu and Sri Ganesh Sahu and accordingly the property mentioned in column No.5 was alloted to Sri Sita Ram Sahu. And Sita Ram Sahu having his peaceful possession expired leaving behind his wife Smt. Morani Kuar and two daughters Smt. Tapeshwari Devi and Parvati Devi vendor no.1. Afterwards on 6.4.1956 Smt. Morani Kuar executed a deed of surrender in favour of her both daughters Smt. Tapeshwari Devi and Parvati Devi vide Book No.1 Page No. 451 to 452 volum no.10 as Deed No.806 of 1950 at the Sub-Registry office Danapur. And since date of surrender aforesaid Tapeshwari Devi and Parvati Devi became joint owner of the property mentioned in column no.5. But after some times Smt. Tapeshwari Devi also expired leaving behind her only son Sri Surendra Nath Sahu vendor no.2. Thus the vendor

L.T.I. of Patna Regd. on 1.4.97 at 1 P.M. Regd. No. 1-2818/97

no.1 on the one side and vendor no.2 on other side became the joint owner of the property mentioned in column no.5 and they are exercising their right, title and interest without any hinderences or intruptions from any quarter what-so-ever . And vendor's names are duly mutated in the record of Govt. at Tehsil office Dangpur under Zamabandi No. 199 of 1985-86.

And whereas the vendors ~~is~~ are in urgent need of money to construct house and to purchase other ~~unbeficial~~ beneficial property and to meet other homely requirements and legal necessities . Therefore the vendors are curious and desirous in disposing off the said property in the interest and benefit of the minor and family.

And whereas the vendors above named described in in column no.1 of the sale deed ~~was~~ were in search of purchaser ~~reasonable~~ price and they expressed ~~his~~ their desire to sell the property to other and the vendors also approched to the vendee described in column No.1 of the sale deed and they negotiated with him. The vendors and vendee finalised the matter and got the matter settled at the reasonable and fair price and vendors agreed to sell the property described in column No.5 of the sale deed with the vendee for the sum of Rs.10,000/- (Rupees ten thousand) only which is fair and reasonable price. After being fully satisfied the vendors ~~is~~ are ready to execute a deed of sale in favour of the vendee in respect of property agreed to be sold to him.

And now therefore the vendors out of ~~his~~ their own free will and to general state of mind body and sound mind desired without any pressure, operation, misrepresentation ~~&~~ fraud or does hereby ~~sold~~ sale and

L.T.I. of Pan Vendors in the pen of Tehsildar Pal 13/8/87

transfer by way of sale the right, title and interest possession and ownership of the said property fully described in column No.4 of the said deed and every part thereof out of his will and in the course of body and mind does hereby convey sell and transfer the property described in column No.5 to the vendee aforesaid in consideration for the sum of Rs.10,000/- (Rupees ten thousand) only payable to the vendors at the time of signature and in execution of this deed of absolute sale all the right, title and interest which the vendors either to possess the property conveyed and put the vendee in possession of the property hereby conveyed and the same diverted from Vendors and put it vested in the vendee and as absolute owner thereof and to get himself mutated in place of vendors wherever it is required to be done on the said place as required on any kind whatsoever in getting the property hereby conveyed in the name of the vendee. The vendee may use the property according to his choice and will and the vendee can dispose of the property in any manner according to his wish freely. The vendors further declare and assured the vendee that the property hereby conveyed is free from all defects to title and free from all sorts of encumbrances and that the vendors have not entered into any agreement for sale or otherwise with any person and the vendors have transferable right, title and interest in the property hereby conveyed. In the contrary to the assurance and declaration given by the vendors, the vendee discovers any defects in the title of the vendors

L.T.I. of Parvez dtd 29/3/97 in the pen of Shahnawaz Pej

as a result of which the vendee is dispossessed or deprived from any part or whole of the property hereby conveyed and or is calledupon to clear of encumbrances, if any, in respect of property conveyed to defend his title ; therein any or all such event or happening the vendor declares himself liable to pay either the whole or the part of the consideration to the extent of dispossession of the vendee or to the extent of encumbrances paid by the vendor all together with interest as admissible by law to the vendee his heirs or successors.

In the presence of witness below the above vendor execute this Deed of Absolute sale after hearing fully and understanding the contents of the deed on the day months and year mentioned above.

Witnesses:

1. [illegible] Purnea.

2. Ram jiwan sah Purnea, Dinajpur, Patna.

Signature of vendor.

L.T. of Parvati Devi in the pen of Tarkeshwari Pd
28/3/87.

सुरेन्द्र साह
28-3-87

Typed by:

(Bhola Prasad)

Stenographer;
Moh. Bihigani Bhatnagar,
P.O. Danapur Cantt.,
Distt. Patna (Bihar)

L.T. of Parvati Devi in the pen of Tarkeshwari Pd
28/3/87

आदेश पत्रक

जिला ..... से ..... सन् १९

केस का प्रकार दा० खा० वाद सं० ..... सन् ९६

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2.1.96	आज दिनांक 2.1.96 को राजस्व कार्य के निस्तर के प्रसंग में ग्राम [illegible] थाना दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री सुरेश कुमार जी वादी वल्द श्री [illegible] ग्राम हरदिया थाना खुसरुपुर जिला पटना ने निम्नलिखित जमीन का नामांकण हेतु आवेदन-पत्र दिया है जिसे वसीका संख्या 3393 दिनांक 01.03.87 प्रति से इन्होंने श्री मती पार्वती देवी जोय राम जीवन साह वल्द श्री [illegible] ग्राम [illegible] थाना दानापुर जिला पटना से क्रय किया है।	

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	हल्का नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	विक्रेता का नाम एवं वसीका सं०
[illegible]	20		938	920	0.03	

15-1-96

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। [illegible] को उपस्थित करें

अभिलेख दिनांक 15-1-96 को उपस्थित करें

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :— अंचलाधिकारी

(१) रैयती है।

(२) आवेदक के पूर्ण दखल में है।

(३) जमाबन्दी पार्वती देवी ..... के नाम से कायम है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

इनकी अनुशंसा नामांकन हेतु है। केस में उपस्थित व्यक्तियों ने नामांकन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर अवेदक पक्ष में नामांकन की ..... दी जाती है।

बुद्धिमत दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अधिकारी को दें जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे।

लेखापति

अंचल अधिकारी, दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

Certified to be True Copy

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

केस नम्बर— 1128 साल— 95-96 हल्का नम्बर— 8 अंचल—दानापुर

थाना—पटना राजस्व थाना नम्बर—20 जिला—पटना

मु० में जमीन रकबा प्राप्त का जरिया— (illegible)

जरूरमन केवाला—3293 तिथि 01-3-97

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर १९८—
पार्वती देवी पति राम जतन लाल [illegible] पिता राम दैवगत	32 33 35 935 832- 252	232 242 पूर्व 252 9220 कील	8½	9120	[illegible]
बचा हुआ रकबा	32 33 935 832 252	232 242 9220 कील	8½	9120	
नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	
श्री मुरेश कुमार श्रीवास्तव पिता श्री मृत्युंजय प्रसाद श्रीवास्तव गाः हरदिया थानाः जहानाबाद जिलाः जहानाबाद	935	9220	0.038	0.20	[illegible]

Certified to be true copy

[illegible]

अनुसूची १४-फारम सं० १६२

आदेश-फलक

(देखें [illegible] १९४९, ... का नियम १२९)

आदेश फलक .... जिला .... सन् १९...

किस भाँति प्रकार दा० खा० वाद सं० .... [illegible]

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
[illegible]	आज दिनांक [illegible] को राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के प्रसंग में ग्राम [illegible] थाना दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री [illegible] साकिन ग्राम [illegible] थाना [illegible] (पटना) ने निम्नलिखित जमीन का नामांतरण हेतु आवेदन-पत्र दिया है। जिसे वसीका संख्या .... दिनांक .... द्वारा उन्होंने श्री [illegible] साकिन [illegible] ग्राम [illegible] थाना दानापुर (पटना) से क्रय किया है।	

जमीन विवरणी

मौजा	थाना एवं थाना सं०	तौजी नं०	खाता सं०	खेसरा नं०	रकबा	विक्रेता के नाम एवं जमाबंदी सं०
[illegible]	२०		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

कैम्प में उपस्थित अंचल राजस्व कर्मचारी / अं० नि० और अंचल निरीक्षक से आवेदित जमीन के सम्बन्ध में स्थानीय तौर पर और राजस्व कागजों से जाँच कराई गई।

और प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :—

(१) रैयती है।

(२) आवेदक के पूर्ण कब्जा में है।

(३) जमाबंदी .... [illegible] .... के नाम से कायम है।

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिनांकी तारीख सहित

इनकी अनुपस्थिति न्यायोचित हेतु है। लेख्य से उपस्थित व्यक्तियों के मामांकण पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर अभिदेक पक्ष में मामांकण की [illegible] दी जाती है।

शुद्धि-पत्र की प्रतिलिपि में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजकीय अभिकर्ता को दें जो एक प्रति आयुक्तालय के बाद एक सप्ताह में वापस कर देंगे।

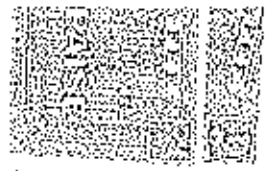
लेखापित

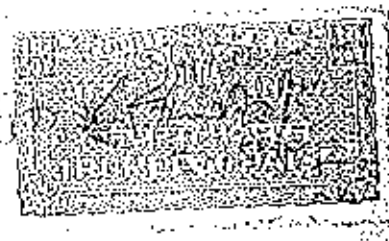
अवर अधिकारी, दानापुर

अवर-अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy
Head Clerk
Authorised under Sec. 76 Act of 1872

हलका कर्मचारी का दाखिल ख





Certified to be true Copy

Head Clerk, 3/18/92

Authorised under Sec 76 Act of 1977

3936 I 3323 1000

INDIA NON JUDICIAL

Rs1000

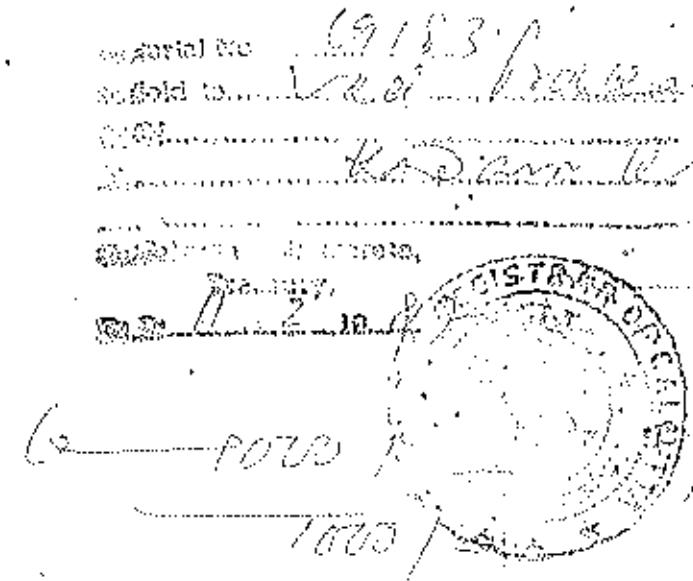
ONE THOUSAND RUPEES

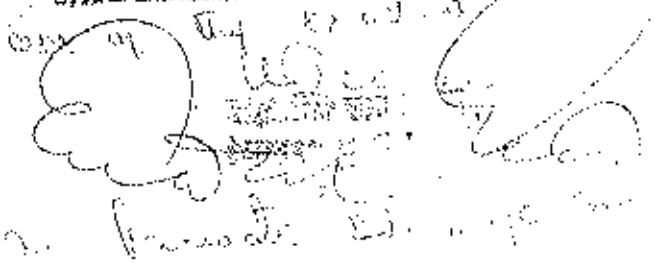
1. Name of the demors: 1. Smt. Parvati Devi w/o Sri Ram Jiwan Sah.

2. Sri Surendra Sah s/o late Dewan Sah. All of resident of Rupaspur P.S. Danapur P.O. Sahsy nagar district Patna, by profession cultivation and Indian citizen.

2. Name of vendee: Sri Ved Prakash Mathur s/o late Daya Prakash Mathur resident of village Kadam Kuan, Patna. Indian citizen.

3. Nature of document: DEED OF ABSOLUTE SALE.


REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES




2901

4. Consideration Amount. Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousand) only.

5. Description of property: All that piece and parcel of land with a kutcha residential house measuring an area 4 (four) decimals situated at village Dhanaut Pargana Phulwari Police station and Sub-registry office Danapur Sader Registry office and district Patna vide Tausi No.5553 P.S.No. 30 Khata No.196 Survey Plot No. 2280 Annual rent Rs.0.70 Paise only payable to the Govt. of Biher through Circle Officer Danapur Patna.

That the property is out of urban land ceiling area and out of Patna Municipal Corporation and the same is butted and bounded as follows:

North: Brahm Deo Rawat

South: Rakesh Kumar Srivastva

East: Gauchi Sahu

West: Ram Gati Singh

L.T. 9 of Parvati devi in the Pan of Taluqdar 29/3/87

Recitals.

This Deed of absolute sale is made on this 28th day of March 1987, between Srt. Parvati Devi and other (hereinafter called the vendors) of one Part;

And

Sri Ved Prakash Mathur (hereinafter called the vendee) of the other part.

And

Whereas the property described in column No. 5 and which is being sold under this deed is recorded in the name of Sri Noon Sahi Shah and Phul Kumari w/o Mushi Shah in the record of right. Most. Phul Kumari expired issueless long ago before. And Sri Noon Sahi Shah expired leaving behind his two sons namely Sita Ram Sahu and Sri Ganeshi Sahu. Later on a family partition was made between above Sita Ram Sahu and Sri Ganeshi Sahu and accordingly the property mentioned in Column No.5 was alloted to Sri Sita Ram Sahu. And Sita Ram Sahu having his peaceful possession expired leaving behind his wife Smt. ~~Narsini~~ Marani Kuar and two daughters Smt. Tapeshwari Devi and Parvati Devi vendor no.1, afterwards on 6.4.1956 Smt. Marani Kuar executed a deed of surrender in favour of her both daughters Smt. Tapeshwari Devi and Parvati Devi vide Book I volum No.10 page no.451 to 462 Deed No.826 of 1950 at the Sub-Registry office Dawapur. And since date of surrender aforesaid Tapeshwari Devi and Parvati Devi became joint owner of the property mentioned in column No.5. But after some time Tapeshwari Devi also expired leeving behind her only son Sri Surendra Sah vendor no.2. Thus the vendor No.1 on the one side and vendor no.2 on other side became the joint owner of the property mentioned in column No.5 and they are exercising their right, title and interest without any hinderances or intruptions from any Quarter what-so-ever and vendor's names are duly mutated in the record of Govt. at Anchal office Dawapur under Zamabandi No. 128 of 1985-86.

And whereas the vendors are in urgent need of money to construct house and to purchase other beneficial property and to meet homely requirements and legal

C.T.S. of Parkatideen
In the Pan of Tazleshwar Pd
28/3/97

necessities. Therefore the vendors are curious and desirous in disposing off the property in the interest and benefit of the minor and family. And whereas the vendors above named described in column no.1 of the sale deed were in search of purchaser of reasonable price and they expressed their desire to sale the property to other and the vendors also approached to the vendee described in column no.2 of the sale deed and they negotiated with him. The vendors and vendee finalised the matter and got the matter settled at the reasonable and fair price and vendors agreed to sale the property described in column no.5 of the sale deed with the vendee for the sum of Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousand) only which is fair and reasonable price. After being fully satisfied the vendors are ready to execute a deed of sale in favour of the vendee in respect of property agreed to be sold to him.

L.T.I of Rs. valid deem in the pen of Tahsildar Pal 28/3/87

And now therefore the vendors out of their own free will and to general state of mind body and sound mind desired without any preasure, operation, mis-representation, or fraud or doss hereby sale and transfer by way of sale their right, title and interest possession and ownership of the said property fully described in column no.5 of the sale deed and every party thereof out of their own free will and in the sound state of body and mind doss hereby convey, sale and transfer the property described in column no.5 to the vendee aforesaid in consideration for the sum of Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousand) payable to the vendors at the time of signature and in

execution of this deed of absolute sale all the right title and interest which the vendors either to possesses the property conveyed and put the vendee In the possession of the property hereby conveyed and the same diverted from vendors and put it vested in the vendee and is absolute owner thereof and to get himself mutated in place of vendors whereever it is required to be done on par and place as required on any kind whatsoever in getting the property hereby conveyed in the name of the vendee. The vendee used the property according to his choice and will and the vendee can dispose off the property in any manner according to his wish freely. The vendors further declared and assured the vendee that the property hereby conveyed is free from all defects and title and free from all sorts of encumbrances and that the vendors have not entered into any agreement for sale or otherwise with any person and the vendors have transferable right title and interest in the property hereby conveyed. If the contrary to the assurance and declaration given by the vendors, the vendee discovers any defects in the title of the vendors as a result of which vendee is dispossessed or deprived from any part or whole of the property hereby conveyed and or is called upon to clear of encumbrances, if any, in respect of property conveyed his title, therein any or all such event or happening the vendors declares themself liable to pay any either the whole or the part of the consideration to the extent of dispossession of the vendee or extent of encumbrances paid by the vendors all together with interest as admissible by law to the vendee his heirs

L.T. 9 of Parvatidesam
in the Pen of Tarkeshwar Pol
28/3/97

or successors.

In the presence of witness below the above vendor executed this deed of absolute sale after hearing fully and understood the contents of the deed on the day months and year mentioned above.

Witnesses:

(1) Nagendra Singh.
Rupaspur
Dinapur.
Patna

(2) Ram jiwan Sah
Rupaspur, Dinapur,
Patna.

L.T.9 of Parvati devi in the pan of Tarkeshwar
Rel
28/3/87

सुरेन्द्र साह
(T22-7-3)

Typed by:

(Bhola Prasad)
Stenographer,
Mohalla Babigan Bhethapar,
P.O. Dinapore Cantt., (Patna)

L.T.9 of Parvati devi in the pan of Tarkeshwar Rel 28/3/87

प्रारूप संख्या – 6

(नियम 8 देखिये)

बिहार सरकार

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार 5525

मृत्यु प्रमाण पत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा–12/धारा–17 के अन्तर्गत निर्गत।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख से प्राप्त की गई है, जो बिहार राज्य के पटना जिले के पटना सदर तहसील (अंचल/प्रखंड) के पटना नगर निगम स्थानीय क्षेत्र संबंधी रजिस्टर में है।

नाम : [illegible]

लिंग : [illegible]

मृत्यु की तारीख : 30-12-2007

मृत्यु का स्थान : अशोक पथ, पटना

पिता/पति का नाम : [illegible]

स्थायी पता : [illegible] विहार, अशोक पथ, पटना

रजिस्ट्रीकरण संख्या : 11955

रजिस्ट्रीकरण की तारीख : 31-12-2007

तारीख.....

निर्गत करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

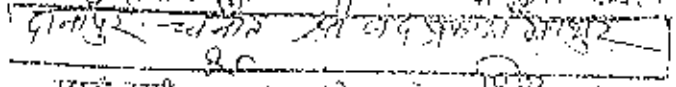
मुहर रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु पटना नगर निगम पटना

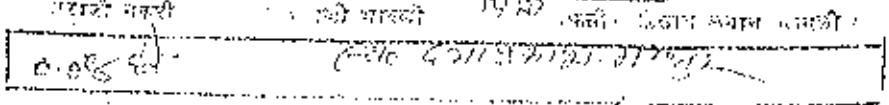
Sch. ... V—[illegible] No. 2554.

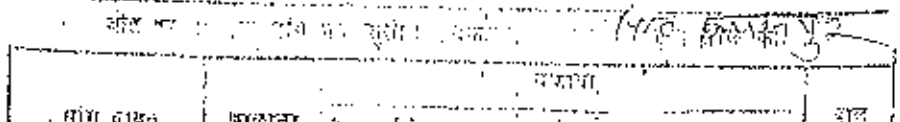
रबीय जयपुरारी ।

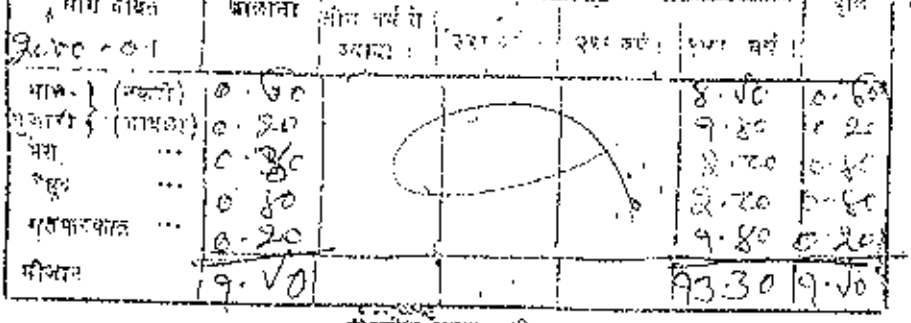
गाम पर्वत । गाम मोजा पत्र ... गाम ऐसन ग्रेव बैलिस ... तमाजी

पाया ही ग्राम नम्बर ।

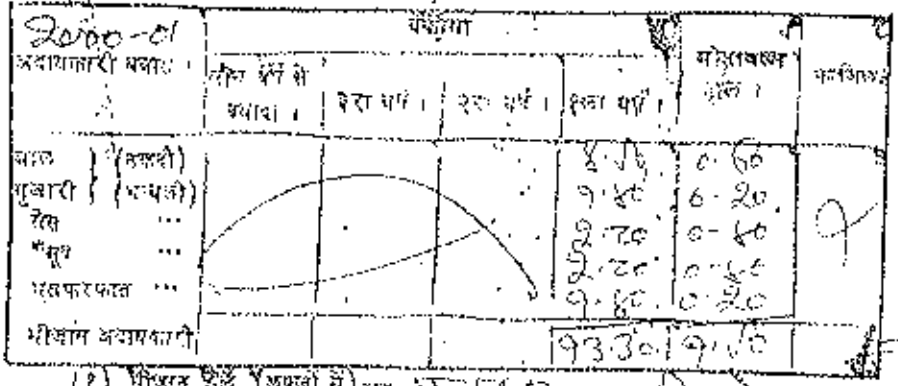








तीसरीज जयपारी ।



(१) मीजान पृष्ठ (अगला भा)---

(२) नाम पेड़िया---

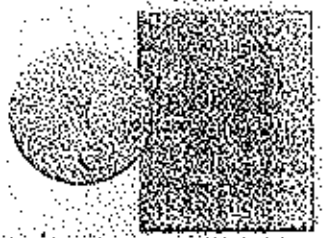
(३) कुल रकबा---

दस्तखत पी० तारीख

*यदि रकाल का रकबा मालगुजारी पर (लेकिन ऐसे रकबों पर जिन पर कि लगिकिर आरी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

FSE6194674



Elector's Name : Poonam Rani
निर्वाचक का नाम : पूनम रानी
Husband's Name: Ved Prakash Mathur
पति का नाम : वेद प्रकाश माथुर
Sex / लिंग : Female / महिला
Age : 31 Years as on 1.1.2004
आयु : ५१ वर्ष १.१.२००४ को

Address : 467,Rukanpura,
Town/Vill - Rukanpura,
Anchal - Danapur,
Distt - Patna

पता : ४६७,रुकनपुरा,
शहर/गाँव - रुकनपुरा,
अंचल - दानापुर,
जिला - पटना

Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
191, DANAPUR Constituency
१९१, दानापुर निर्वाचन क्षेत्र
के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर की प्रतिकृति

Place : Danapur Date : 29/10/2004
स्थान : दानापुर दिनांक : २९/१०/२००४

FSE6194674

545

नकल वाजरपत्र कO नि0के0अO 388/08-09,अO 269,दिO 11/07/ गृहस्वामी श्रीमती पूनम रानी पति स्व0 वेदप्रकाश माथुर पॉकेट्स समता कॉलनी ज्यसपुर निसोधाम से पॉश्च पुनर्ज जो कार्यपालक पदाधिकारी,नूतन रा0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-07-2008 का अवलोकन ।

कार्य0पदा0

संलग्न होर्डिंग का विवरणी का पत्र जिसमें भवन का मापी है जांच किया । जिसमें संलग्न कागजात सरकारी रसीद दि0 20-08-92 का अवलोकन किया । गृहस्वामी द्वारा भवन का निर्माण किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

1- गृहस्वामी का नाम श्रीमती पूनम रानी पति स्व0 वेद प्रकाश माथुर

2- होर्डिंग की अवस्थिति अन्य सड़क है ।

3- होर्डिंग का बनावट फ्लक आरसीसी0 है ।

4- होर्डिंग का उपयोग आवासीय है ।

5- भवन में जल की इसकी निजी व्यवस्था है । जल पर्षद का जल लाईन 400 गज की परिसीमा में नहीं है इसलिए जलकर नहीं लेगा ।

6- भवन का कारपेट एरिया 588 वर्गफीट है जिसका वार्षिक किराया मूल्यांकन 3528/-रूपया तथा वार्षिक निगम कर 246-96 रूपया होता है ।

7- भवन का इस भाग का उपयोग गृहस्वामी स्वयं कर रहे हैं । कोई अनधिकृतकर्ता स्थल पर उपस्थित नहीं हुए । भवन गृहस्वामी के कब्जा में है ।

अतः उपरोक्त परीक्षा तथ्यों के अवलोक में एवं संलग्न कागजातों के आधार पर भवन का कर वार्षिक किराया मूल्यांकन 3528/-रूपये श्रीमती पूनम रानी पति स्व0 वेद प्रकाश माथुर के नाम से निर्धारित किया जा सकता है । यह आदेश दिनांक 01-01-08 से प्रभावी होगा ।

ह0/-अस्प्ट
30-06-08
राजस्व पदाधिकारी
नूतन राजधानी क्षेत्र

स्वीकृत ।
ह0/-अस्प्ट0हस्ता0अ0
07-07-2008
कार्यपालक पदाधिकारी
नूतन राजधानी क्षेत्र ।

नकल किया

Sch. XIV—F.No. 180 V

स्थानीय मालगुजारी
गांव खसरा। गांव मौजा गांव
थाना को थाना नम्बर

V

जिलाधीश, पटना। X
खरद मालगुजारी / खरद देयकी। 107
नाम देयता गांव अधिकारी जमाबन्दी
को सनुपस्थिति। नम्बर

10347 खाता 136 खेवट 1280

दानापुर	रचनी २०	पुनम रानी	0551143

अदायगी रकम्बी | अदायगी सकारी | तफसील हिसाब बकाया मालगुजारी।

0·048	एक बेड प्रकाश माथुर व्या. समग कंपनी - / दानापुर सिविल कोर्ट

जोत का सालाना मांग गया तफसील (बकाया को छोड़ कर) दानापुर सिविल कोर्ट

2016-17 मांग तायत	सालाना	बकाया वाम - दानापुर पत्नी				योग
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
मालगुजारी (नकदी)	1·00				6·00	1·00
मालगुजारी (भायली)	0·25				1·50	0·25
रोस	0·50				3·00	0·50
*सूद	0·50				3·00	0·50
सुलफरकारा	0·20				1·20	0·20
मीजान	2·45				14·70	2·45

(WITHOUT PREJUDICE)

2016-17 अदायकारी बाकेरा	बकाया				मोसालसना हाल	योग
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
मालगुजारी (नकदी)				6·00	1·00	
मालगुजारी (भायली)				1·50	0·25	
रोस				3·00	0·50	
*सूद				3·00	0·50	
सुलफरकारा				1·20	0·20	
मीजान अदायकारी				14·70	2·45	17·15

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — सत्रह रुपया पन्द्रह पैसामात्र

(2) नाम देहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्खत व तारीख अगला सहसील सुनिन्दा

*खसरा गहाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद लिया जाता है।

दो सौ [illegible] रुपये

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख ..... तक

आदेश पत्रक

जिला– पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं० 6412 सन् 2015 ई०

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

श्री पुरुषोत्तम [illegible]

वल्द [illegible] ग्राम [illegible] पो० [illegible]

थाना [illegible] जिला पटना केवाला नं० ..... दिनांक .....

के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल–खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान
[illegible]	20	196	12.80	0.048	1.02

Dr. 567 dated 3/6/16

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 3/6/16 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

3/8/16 नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल–खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल–खारिज की [illegible] दी जाती है। शुद्धि–पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy
[illegible]
9/6/16
Authorised under sec, 76 Act of 1872

अंचल अधिकारी
दानापुर

तुलना कर्ता

GOVT. OF BIHAR
COURT FEE
PATNA SCORE, PATNA
Authorisation No. 2817
INDIA
375304
BIHAR
8.6.2016
JUDICIAL
3687 1225045

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

केस नम्बर- 6442 /2015-16 साल 2016-17 हल्का नम्बर 8 अंचल दानापुर

राजस्व थाना नम्बर -0 0 जिला - पटना

मु० मे जमीन रकबा -

जरशमन - केबाल - तिथि -

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर
[illegible]	136	1250	0.045	1.00	
बचा हुआ रकबा					
नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	
पुनम देवी [illegible]	136	1250	0.045	1.00	

Certified to be true Copy
Authorised under sec, 76 Act of 1872

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

बिहार BIHAR

S 341250

पूरक यादास्त पारिवारिक बटँवारा पत्र

(छ) लेख्यकारी का नाम और पता:-

(क) प्रथम पक्ष:- मोस्मात गुड़िया देवी, पति का नाम स्व0 बच्चु लाल रजक, निवासी - रूपसपुर, थाना - रूपसपुर, जिला- पटना, बिहार, भारतीय नागरिक।

(ख)द्वितीय पक्ष:- श्री सुनील कुमार रजक, पिता का नाम स्व0 सुबे लाल रजक, निवासी - रूपसपुर, थाना - रूपसपुर, जिला- पटना, बिहार, भारतीय नागरिक।

(ग) तृतीय पक्ष :- मोस्मात रानी देवी, पति का नाम स्व0 मोतिलाल रजक, निवासी - रूपसपुर, थाना - रूपसपुर, जिला- पटना, बिहार, भारतीय नागरिक।

(ध) चतुर्थ पक्ष :- श्री अजीत कुमार, पिता का नाम स्व0 अवाहर लाल रजक, निवासी - रूपसपुर, थाना - रूपसपुर, जिला- पटना, बिहार, भारतीय नागरिक।

(ड.) पंचम पक्ष :- श्री शामु रजक, पिता का नाम स्व0 बंधु रजक, निवासी - रूपसपुर, थाना - रूपसपुर, जिला- पटना, बिहार, भारतीय नागरिक।

(2) लेख्यधारी का नाम और पता:-

आपस में वहक एक दूसरे के पक्ष में ।

(3) लेख्य प्रकार:-

पूरक यादास्त पारिवारिक बँटवारा पत्र वहक एक दूसरे के बीच ।

(4) लेख्य मूल्य:-

कुछ नहीं

(5) बँटवारा सम्पत्ति का विवरण:-

अनुसूची-एक

संयुक्त सम्पत्ति का विवरण

क्षेत्रफल 11 डिसमिल एराजी परती आवासीय भूमि, हकीयत कास्त रैयती नगदी कायमी, वाके, मौजा - धनौत, वर्तमान महल्ला रूपसपुर, पुराना पुलिस थाना - दानापुर, वर्त्तमान पुलिस थाना - रूपसपुर, अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, जिला अवर निबंधन कार्यालय और जिला- पटना, अन्दर सर्वे थाना नं0- 20, तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 148 और सर्वे खेसरा नं0- 1294 का ही अंश, जिसका सलाना मालगुजारी मो0- 1/- रूपये अलावे शेष है जो बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर का देय है, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

-:: चौहद्दी ::-

उत्तर :- कचौड़ी रजक

दक्षिण :- विमला शरण सिंह

पूरब :- श्री राम स्वारथ सिंह

पश्चिम :- मुंग लाल राय।

अनुसूची-दो

जो सम्पत्ति बँटवारा होकर प्रथम पक्ष मोस्मात गुडिया देवी एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाज और हिस्से में मिला एवं करार पाया ।

क्षेत्रफल 1.375 डिसमिल एराजी परती आवासीय भूमि, हकीयत कास्त रैयती नगदी कायमी, वाके, मौजा - धनौत, वर्तमान महल्ला रूपसपुर, पुराना पुलिस थाना - दानापुर, वर्तमान पुलिस थाना - रूपसपुर, अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, जिला अवर निबंधन कार्यालय और जिला- पटना, अन्दर सर्वे थाना नं0- 20, तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 148 और सर्वे खेसरा नं0- 1294 का ही अंश, जिसका सलाना मालगुजारी गो0- 1/- रूपये अलावे शेष है जो बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर का देय है।

अनुसूची-तीन

जो सम्पत्ति बँटवारा होकर द्वितीय पक्ष श्री सुनील कुमार रजक एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाज और हिस्से में मिला एवं करार पाया ।

क्षेत्रफल 1.375 डिसमिल एराजी परती आवासीय भूमि, हकीयत कास्त रैयती नगदी कायमी, वाके, मौजा - धनौत, वर्तमान महल्ला रूपसपुर, पुराना पुलिस थाना - दानापुर, वर्तमान पुलिस थाना - रूपसपुर, अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, जिला अवर निबंधन कार्यालय और जिला- पटना, अन्दर सर्वे थाना नं0- 20, तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 148 और सर्वे खेसरा नं0- 1294 का ही अंश, जिसका सलाना मालगुजारी गो0- 1/- रूपये अलावे शेष है जो बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर का देय है।

अनुसूची-चार

जो सम्पत्ति बँटवारा होकर तृतीय पक्ष मोस्मात रानी देवी एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाज और हिस्से में मिला एवं करार पाया ।

क्षेत्रफल 2.75 डिसमिल एराजी परती आवासीय भूमि, हकीयत कास्त रैयती नगदी कायमी, वाके, मौजा - धनौत, वर्तमान महल्ला रूपसपुर, पुराना पुलिस थाना - दानापुर, वर्तमान पुलिस थाना - रूपसपुर, अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, जिला अवर निबंधन कार्यालय और जिला- पटना, अन्दर

सर्वे थाना नं0- 20, तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 148 और सर्वे खेसरा नं0- 1294 का ही अंश, जिसका सलाना मालगुजारी मो0- 1/- रूपये अलावे शेष है जो बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर का देय है।

अनुसूची-पाँच

जो सम्पत्ति बँटवारा होकर चतुर्थ पक्ष अजीत कुमार एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाज और हिस्से में मिला एवं करार पाया ।

क्षेत्रफल 2.75 डिसमिल एराजी परती आवासीय भूमि, हकीयत कास्त रैयती नगदी कायमी, वाके, मौजा - धनौत, वर्तमान महल्ला रूपसपुर, पुराना पुलिस थाना - दानापुर, वर्तमान पुलिस थाना - रूपसपुर, अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, जिला अवर निबंधन कार्यालय और जिला- पटना, अन्दर सर्वे थाना नं0- 20, तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 148 और सर्वे खेसरा नं0- 1294 का ही अंश, जिसका सलाना मालगुजारी मो0- 1/- रूपये अलावे शेष है जो बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर का देय है।

अनुसूची-छः

जो सम्पत्ति बँटवारा होकर पंचम पक्ष श्री शामु रजक एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाज और हिस्से में मिला एवं करार पाया ।

क्षेत्रफल 2.75 डिसमिल एराजी परती आवासीय भूमि, हकीयत कास्त रैयती नगदी कायमी, वाके, मौजा - धनौत, वर्तमान महल्ला रूपसपुर, पुराना पुलिस थाना - दानापुर, वर्तमान पुलिस थाना - रूपसपुर, अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, जिला अवर निबंधन कार्यालय और जिला- पटना, अन्दर सर्वे थाना नं0- 20, तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 148 और सर्वे खेसरा नं0- 1294 का ही अंश, जिसका सलाना मालगुजारी मो0- 1/- रूपये अलावे शेष है जो बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर का देय है।

हकियत यह है कि उपरोक्त कंडिका-5 में वर्णित अनुसूची एक की संयुक्त सम्पत्ति पर सभी पक्षगण सम्मिलात पूर्ण स्वामी, मूल सर्वाधिकारी, स्वत्वाधिकारी और दखलकार हैं और सभी पक्षगण एक ही परिवार के सदस्यगण हैं। अतएव उपर्युक्त अनुसूची एक में वर्णित सम्पत्ति सभी के बीच सम्मिलात रहने में नहीं बन रहा है। अतः सभी पक्षों ने आपस में

यह राय कायम किया कि उपरोक्त अनुसूची -1 में वर्णित सम्पत्ति का बंटवारा पंचीत से कर लिया जाए इसतरह सभी पक्षों ने उपरोक्त कंडिका-5 में वर्णित अनुसूची एक की संयुक्त सम्पत्ति को आपस में बंटवारा छः भागों में पंचों के फैसले के अनुसार आपस में निम्नलिखित शर्तो पर किया है जो इस प्रकार है :-

(1) यह कि अनुसूची दो में वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाग और हिस्से में मिला एवं करार पाया, जिसमें अन्य सभी पक्षों एवं इनके उत्तराधिकारीगण को कोई अंश या कुल भू-भाग से कोई सरोकार नहीं होगा और वे लोग प्रथम पक्ष के हिस्से पर कोई दावा, आपत्ति एवं विरोध नहीं करेंगें ।

(2) यह कि अनुसूची तीन में वर्णित सम्पत्ति द्वितीय पक्ष एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाग और हिस्से में मिला एवं करार पाया, जिसमें अन्य सभी पक्षों एवं इनके उत्तराधिकारीगण को कोई अंश या कुल भू-भाग से कोई सरोकार नहीं होगा और वे लोग द्वितीय पक्ष के हिस्से पर कोई दावा, आपत्ति एवं विरोध नहीं करेंगें ।

(3) यह कि अनुसूची चार में वर्णित सम्पत्ति तृतीय पक्ष एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाग और हिस्से में मिला एवं करार पाया, जिसमें अन्य सभी पक्षों एवं इनके उत्तराधिकारीगण को कोई अंश या कुल भू-भाग से कोई सरोकार नहीं होगा और वे लोग तृतीय पक्ष के हिस्से पर कोई दावा, आपत्ति एवं विरोध नहीं करेंगें

(4) यह कि अनुसूची पाँच में वर्णित सम्पत्ति चतुर्थ पक्ष एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाग और हिस्से में मिला एवं करार पाया, जिसमें अन्य सभी पक्षों एवं इनके उत्तराधिकारीगण को कोई अंश या कुल भू-भाग से कोई सरोकार नहीं होगा और वे लोग चतुर्थ पक्ष के हिस्से पर कोई दावा, आपत्ति एवं विरोध नहीं करेंगें

(5) यह कि अनुसूची छः में वर्णित सम्पत्ति पंचम पक्ष एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाग और हिस्से में मिला एवं करार पाया, जिसमें अन्य सभी पक्षों एवं इनके उत्तराधिकारीगण को कोई अंश या कुल भू-भाग से कोई सरोकार नहीं होगा और वे लोग पंचम पक्ष के हिस्से पर कोई दावा, आपत्ति एवं विरोध नहीं करेंगें

(6) यह कि उपर्युक्त कंडिका-5 में वर्णित संयुक्त सम्पत्ति के अलावे अन्य सम्पत्तियों का बंटवारा इस बंटवारा के पूर्व में सभी पक्षगण ने कर लिया है जिसमें सभी पक्षगण को अन्य सम्पत्तियों में हिस्सा मिल गया है जिसपर सभी पक्षगण शान्तिपूर्वक काबिज दाखिल और मालिक मुरतकिल हैं।

(7) इस प्रकार उपरोक्त अनुसूचियों में वर्णित अपने अपने खास दाज और हिस्से को सभी पक्षगण तथा इनके उत्तराधिकारीगण जिस प्रकार उपयोग तथा उपभोग में लावें तथा अलग अलग अपने अपने हिस्से पर काबिज दाखिल और मालिक मुरतकिल होकर और रहकर अपना अपना अलग अलग जहाँ जहाँ और जिस जिस स्थानों पर अनिवार्य समझे दाखिल खारिज अपने नाम को बिहार सरकार के पंजियन 2 में नामाकिंत कराकर सलाना मालगुजारी तथा अन्य टैक्स देंगे उस वक्त कोई पक्ष एक दूसरे के विरूद्ध कोई दावा विरोध एवं आपत्ति नहीं करेंगें ।

इस वास्ते सभी पक्षगण ने एक दूसरे के पक्ष में यह पूरक यादास्त बँटवारा पत्र लिख दिया की समय पर काम आवे और प्रमाण रहे ।

इति

तहरीर दिनांक :-

गवाह/पंचगण का हस्ताक्षर :-

1. कुमार दास

सभी पक्षों का हस्ताक्षर

Anil Kumar

2. पवन कुमार

3. रानी देवी

4. राजू रंजन

सुनील कुमार राजन

5.

(6) यह कि उपर्युक्त कंडिका-5 में वर्णित संयुक्त सम्पत्ति के अलावे अन्य सम्पत्तियों का बंटवारा इस बंटवारा के पूर्व में सभी पक्षगण ने कर लिया है जिसमें सभी पक्षगण को अन्य सम्पत्तियों में हिस्सा मिल गया है जिसपर सभी पक्षगण शान्तिपूर्वक काबिज दाखिल और मालिक मुस्तकिल हैं।

(7) इस प्रकार उपरोक्त अनुसूचियों में वर्णित अपने अपने खास दाग और हिस्से को सभी पक्षगण तथा इनके उत्तराधिकारीगण जिस प्रकार उपयोग तथा उपभोग में लावें तथा अलग अलग अपने अपने हिस्से पर काबिज दाखिल और मालिक मुस्तकिल होकर और रहकर अपना अपना अलग अलग जहाँ जहाँ और जिस जिस स्थानों पर अनिवार्य समझे दाखिल खारिज अपने नामो को बिहार सरकार के पंजियन 2 में नामाकिंत कराकर सलाना मालगुजारी तथा अन्य टैक्स देंगे उस वक्त कोई पक्ष एक दूसरे के विरूद्ध कोई दावा विरोध एवं आपत्ति नहीं करेंगे ।

इस वास्ते सभी पक्षगण ने एक दूसरे के पक्ष में यह पूरक यादास्त बँटवारा पत्र लिख दिया की समय पर काम आवे और प्रमाण रहे ।

इति

तहरीर दिनांक :-

गवाह/पंचगण का हस्ताक्षर :-

1. [illegible]

2. पवन कुमार

3. रानी देवी

4. [illegible]

5.

सभी पक्षों का हस्ताक्षर

[illegible]

[illegible]

सुनिल कुमार राजक

(हैरवा हैरवा)

खतियान [illegible]

[illegible] (हैरवा) [illegible] (हैरवा)

[illegible] 7/[illegible] [illegible] 9.0

[illegible]	रैयत का नाम, पिता का नाम, जाति और निवास	[illegible]	[illegible]	[illegible]	रकबा (एकड़ में)		[illegible]	[illegible]	[illegible]
					ए०	डि०			
1		3	4	5	6		7		8
782	[illegible]	1918	[illegible]	[illegible]	X	22	[illegible]		
	[illegible]		[illegible]						
	[illegible]		[illegible]						
	[illegible]		[illegible]						
	[illegible]								
	[illegible]								
	[illegible]								
	[illegible]								
	[illegible]								
	[illegible]								
	[illegible]								

Record-of-rights finally published under Section 103 A (3) of the Bengal Tenancy Act VIII of 1885 as amended by Act III of 1898 on 13 [illegible]

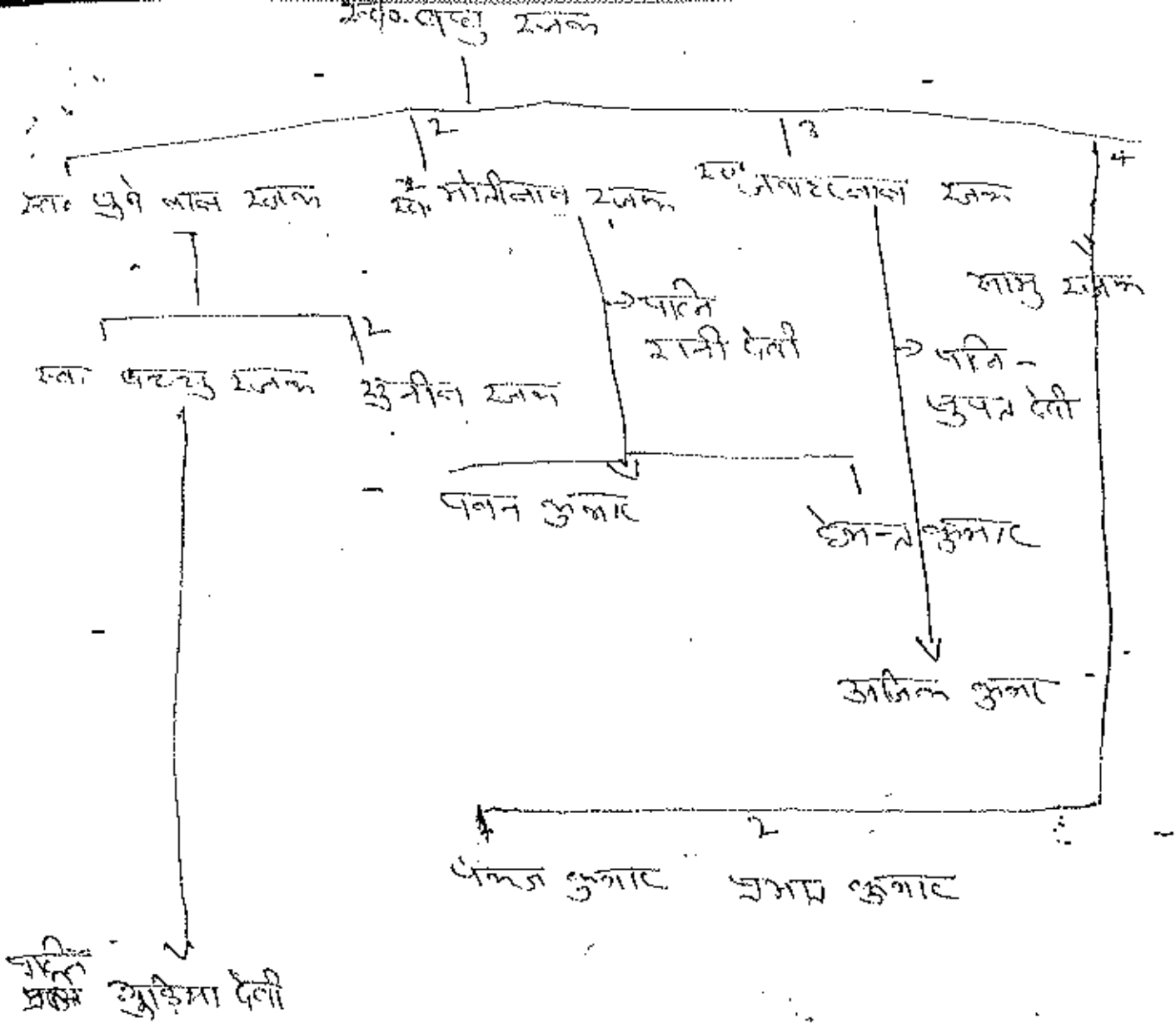
[illegible] Settlement Officer

21-1-13

सूचना दिया

[illegible] गया

378 [illegible]/1/13



चौदह

उमर - एक अनोखी रजक
पहिया - स्व. शिवलाल
उछल - अपना रुपया कि
पत्नियां - मुगलानी रमा

चौहद्दी – [illegible] मलिक

उत्तर — अनिल सिंह

पश्चिम — [illegible] मलिक

दक्षिण — [illegible] सिंह

पूरब — [illegible] सिंह

Name of proprietor and No. in Khewat.

नाम मालिक व नम्बर खेवट

Name of tenure-holder if any, and No. in Khewat.

नाम दरखीलकार [illegible]

[illegible]

खतौनी नं० [illegible]

Page [illegible]

Remarks कैफ़ियत	Rent, … as ascertained by the Revenue Officer	Fair rent settled (if any)	(1) Status; (2) length of possession; (3) Rent how fixed and particulars of progress; (4) Special conditions and incidents, if any
	लगान [illegible] किया ।		(१) [illegible] । (२) [illegible] दुरुस्त ।
	हाकिम के [illegible] — (1) Rent. (१) लगान (2) Cess (२) सेस ।	[illegible] लगान कोई है — (1) Rent (१) लगान ।	(३) [illegible] लगान [illegible] होते हैं [illegible] है । (४) खास शर्तें कोई है ।
7 ७	8 ८	9 ९	10 १०

Sch. XIV—F.No. 180 V

V

X

107

1035

148

0551809

1294

2016-17	रसीद					
(मिलती)	2.00				8.00	2.00
(मासली)	0.50				2.00	0.50
	1.00				4.00	1.00
	1.00				4.00	1.00
	0.40				1.60	0.40
	4.90				19.60	4.90

2016-17	बकाया					
(मिलती)				8.00	2.00	
(मासली)				2.00	0.50	
				4.00	1.00	
				4.00	1.00	
				1.60	0.40	
				19.60	4.90	= 24.50

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

01/06/16

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

290
11/6/16

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

श्रीमती सुड़िया देवी पति स्व० बच्चू लाल रजक रानी देवी, पत्नी स्व० मोतिलाल रजक

म श्री सुशील कुमार रजक पिता स्व० बच्चू लाल रजक पति आजीत कुमार पिता स्व० बालेश्वर

द श्री मु० रजक पिता स्व० बि० रजक

ना कपड़ापुर जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	सौजी संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	
				एकड़	डि0
मौजा- रानीपुर		148	1294	0.	11
नगर थाना 20					61

अंचलाधिकारी के नाम से मौजा- रानीपुर थाना नं० 20 खाता नं० 148 खेसरा 1294 रकबा 0. 11 61 (एगारह डि०) की जमीन मापजोख हेतु दिनांक 28/6/16 निर्गत है। उक्त जमीन वर्ष 2016-17 के लगान से आबाद है।

आवेदक का हस्ताक्षर

Smt. Sushila Devi Kumari Devi

कार्यालय का मुहर

कार्यालय अंचल अधिकारी

कर्मचारी का प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(1)

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

H 281665

यादास्त पारिवारिक पंचीत बटँवारा पत्र

(1) लेख्यकारीगण का नाम और पता:-

(क) प्रथम पक्ष :- श्री जालेश्वर रजक, पिता का नाम स्व0 कचौड़ी रजक,
श्री भीखन रजक,
श्री अरूण रजक,
श्री राज कुमार रजक
तीनों के पिता का नाम श्री जालेश्वर रजक,

(ख) द्वितीय पक्ष :- श्री राजन रजक, पिता का नाम स्व0 कबौड़ी रजक,
श्रीमती सीमा देवी,
सुश्री अंतरा कुमारी,
सुश्री अन्नया कुमारी
तीनों के पिता का नाम श्री राजन रजक

(ग) तृतीय पक्ष :- श्री सुभाष रजक,
श्री अशोक रजक,
दोनों के पिता का नाम स्व0 नागेश्वर रजक

(घ) चतुर्थ पक्ष :- **श्री उमेश उर्फ गोलडल रजक,**
श्री मन्टु रजक,
दोनों के पिता का नाम स्व0 बालेश्वर रजक

सभी निवासी महल्ला - रूपसपुर, पुराना थाना - दानापुर, वर्तमान थाना - रूपसपुर, जिला - पटना, भारतीय नागरिक।

(2) लेख्यधारी का नाम और पता:-

आपस में वहक एक दूसरे के पक्ष में ।

(3) लेख्य प्रकार:-

यादास्त पारिवारिक बँटवारा पत्र वहक एक दूसरे के बीच ।

(4) लेख्य मूल्य:- कुछ नहीं

(5) बँटवारा सम्पत्ति का विवरण:-

अनुसूची-एक

संयुक्त सम्पत्ति का विवरण

क्षेत्रफल 11 डिसमिल एराजी परती आवासीय भूमि, हकीयत कास्त रैयती नगदी कायमी, बाकी, मौजा - धनौत, वर्तमान महल्ला रूपसपुर, पुराना पुलिस थाना - दानापुर, वर्त्तमान पुलिस थाना - रूपसपुर, अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, जिला अवर निबंधन कार्यालय और जिला- पटना, अन्दर सर्वे थाना नं0- 20, तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 148 और सर्वे खेसरा नं0- 1294 का हीं अंश, जिसका सलाना मालगुजारी मो0- 1/- रूपये अलावे शेष है जो बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर का देय है, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

अनुसूची-दो

जो सम्पत्ति बँटवारा होकर प्रथम पक्ष श्री जालेश्वर रजक एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाज और हिस्से में मिला एवं करार पाया ।

क्षेत्रफल 2.75 डिसमिल एराजी परती आवासीय भूमि, हकीयत कास्त रैयती नगदी कायमी, वाके, मौजा - धनौत, वर्तमान महल्ला रूपसपुर, पुराना पुलिस थाना - दानापुर, वर्त्तमान पुलिस थाना - रूपसपुर, अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, जिला अवर निबंधन कार्यालय और जिला- पटना, अन्दर सर्वे थाना नं0- 20, तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 148 और सर्वे खेसरा नं0- 1294 का ही अंश, जिसका सलाना मालगुजारी मो0- 0.25 पैसे अलावे शेष है जो बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर का देय है, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

अनुसूची-तीन

जो सम्पत्ति बँटवारा होकर द्वितीय पक्ष श्री राजन रजक एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाज और हिस्से में मिला एवं करार पाया ।

क्षेत्रफल 2.75 डिसमिल एराजी परती आवासीय भूमि, हकीयत कास्त रैयती नगदी कायमी, वाके, मौजा - धनौत, वर्तमान महल्ला रूपसपुर, पुराना पुलिस थाना - दानापुर, वर्त्तमान पुलिस थाना - रूपसपुर, अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, जिला अवर निबंधन कार्यालय और जिला- पटना, अन्दर सर्वे थाना नं0- 20, तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 148 और सर्वे खेसरा नं0- 1294 का ही अंश, जिसका सलाना मालगुजारी मो0- 0.25 पैसे अलावे शेष है जो बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर का देय है, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

अनुसूची-चार

जो सम्पत्ति बँटवारा होकर तृतीय पक्ष श्री सुभाष रजक और श्री अशोक रजक, एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाज और हिस्से में मिला एवं करार पाया ।

क्षेत्रफल 2.75 डिसमिल एराजी परती आवासीय भूमि, हकीयत कास्त रैयती नगदी कायमी, वाके, मौजा - धनौत, वर्तमान महल्ला रूपसपुर, पुराना पुलिस थाना - दानापुर, वर्त्तमान पुलिस थाना - रूपसपुर, अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, जिला अवर निबंधन कार्यालय और जिला- पटना, अन्दर सर्वे थाना नं0- 20, तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 148 और सर्वे खेसरा नं0- 1294 का ही अंश, जिसका सलाना मालगुजारी मो0- 0.25 पैसे अलावे शेष है जो बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर का देय है, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

अनुसूची-पाँच

जो सम्पत्ति बँटवारा होकर चतुर्थ पक्ष **श्री उमेश उर्फ गोलडल रजक** और **श्री मन्नु रजक**, एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाग और हिस्से में मिला एवं करार पाया ।

क्षेत्रफल 2.75 डिसमिल एराजी परती आवासीय भूमि, हक्कियत काश्त रैयती गयादी कायमी, बाकी, मौजा - धनौत, वर्तमान महल्ला रूपसपुर, पुराना पुलिस थाना - दानापुर, वर्त्तमान पुलिस थाना - रूपसपुर, अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, जिला अवर निबंधन कार्यालय और जिला- पटना, अन्दर सर्वे थाना नं0- 20, तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 148 और सर्वे खेसरा नं0- 1294 का ही अंश, जिसका सलाना मालगुजारी मो0- 0.25 पैसे अलावे शेष है जो बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर का देय है, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

-:: सन्दर्भ ::-

हकियत यह है कि उपरोक्त कंडिका-5 में वर्णित अनुसूची एक की संयुक्त सम्पत्ति सभी पक्षों की खानदानी वो मौरूसी है जिसपर सभी पक्षगण उपरोक्त अनुसूची -1 में वर्णित संयुक्त सम्पत्ति पर सम्मिलात पूर्ण स्वामी, मूल सर्वाधिकारी, स्वत्वाधिकारी और दखलकार हैं और सभी पक्षगण एक ही परिवार के सदस्यगण हैं। अतएव उपर्युक्त अनुसूची एक में वर्णित सम्पत्ति सभी के बीच सम्मिलात रहने में नहीं बन पा रहा है। अतः सभी पक्षों ने आपस में यह राय कायम किया कि उपरोक्त अनुसूची -1 में वर्णित सम्पत्ति का बंटवारा पंचीत से कर लिया जाए इसतरह सभी पक्षों ने उपरोक्त कंडिका-5 में वर्णित अनुसूची एक की संयुक्त सम्पत्ति को आपस में बंटवारा चार भागों में पंचों के फैसले के अनुसार आपस में निम्नलिखित शर्तों पर किया है जो इस प्रकार है :-

(1) यह कि अनुसूची दो में वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष **श्री जालेश्वर रजक** एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास बाग और हिस्से में मिला एवं करार पाया, जिसमें अन्य सभी पक्षों एवं इनके उत्तराधिकारीगण को कोई अंश या कुल भू-भाग से कोई सरोकार नहीं होगा और वे लोग प्रथम पक्ष के हिस्से पर कोई दावा, आपत्ति एवं विरोध नहीं करेंगें ।

(2) यह कि अनुसूची तीन में वर्णित सम्पत्ति द्वितीय पक्ष **श्री राजन रजक** एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास बाग और हिस्से में मिला एवं करार पाया, जिसमें अन्य सभी पक्षों एवं इनके उत्तराधिकारीगण को कोई अंश या कुल भू-भाग से कोई सरोकार नहीं होगा और वे लोग द्वितीय पक्ष के हिस्से पर कोई दावा, आपत्ति एवं विरोध नहीं करेंगें ।

(3) यह कि अनुसूची चार में में वर्णित सम्पत्ति तृतीय पक्ष श्री सुभाष रजक और श्री अशोक रजक एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाज और हिस्से में मिला एवं करार पाया, जिसमें अन्य सभी पक्षों एवं इनके उत्तराधिकारीगण को कोई अंश या कुल भू-भाग से कोई सरोकार नहीं होगा और वे लोग तृतीय पक्ष के हिस्से पर कोई दावा, आपत्ति एवं विरोध नहीं करेंगें ।

(4) यह कि अनुसूची पाँच में में वर्णित सम्पत्ति चतुर्थ पक्ष श्री उमेश उर्फ गोलडल रजक और श्री मन्टु रजक एवं इनके उत्तराधिकारीगण को खास दाज और हिस्से में मिला एवं करार पाया, जिसमें अन्य सभी पक्षों एवं इनके उत्तराधिकारीगण को कोई अंश या कुल भू-भाग से कोई सरोकार नहीं होगा और वे लोग चतुर्थ पक्ष के हिस्से पर कोई दावा, आपत्ति एवं विरोध नहीं करेंगें ।

(6) इस प्रकार उपरोक्त अनुसूचियों में वर्णित अपने अपने खास दाज और हिस्से को सभी पक्षगण तथा इनके उत्तराधिकारीगण जिस प्रकार उपयोग तथा उपभोग में लावें तथा अलग अलग अपने अपने हिस्से पर काबिज दाखिल और मालिक मुस्तकिल होकर और रहकर अपना अपना अलग अलग जहाँ जहाँ और जिस जिस स्थानों पर अनिवार्य समझे दाखिल खारिज अपने नामो को बिहार सरकार के पंजियन 2 में नामांकित कराकर सलाना मालगुजारी तथा अन्य टैक्स देंगें उस वक्त कोई पक्ष एक दूसरे के विरूद्ध कोई दावा विरोध एवं आपत्ति नहीं करेंगें ।

इस वास्ते सभी पक्षगण ने एक दूसरे के पक्ष में यह यादास्त बँटवारा पत्र लिख दिया की समय पर काम आवे और प्रमाण रहे ।

इति

तहरीर दिनांक :-

पंचों का हस्ताक्षर :-

1.

2.

3.

4.

5.

सभी पक्षों का हस्ताक्षर

जालेश्वर रजक

राजा रजक

अशोक रजक

सुभाष रजक

Mantu for Party

उमेश रजक

(डोरंडा रांची)

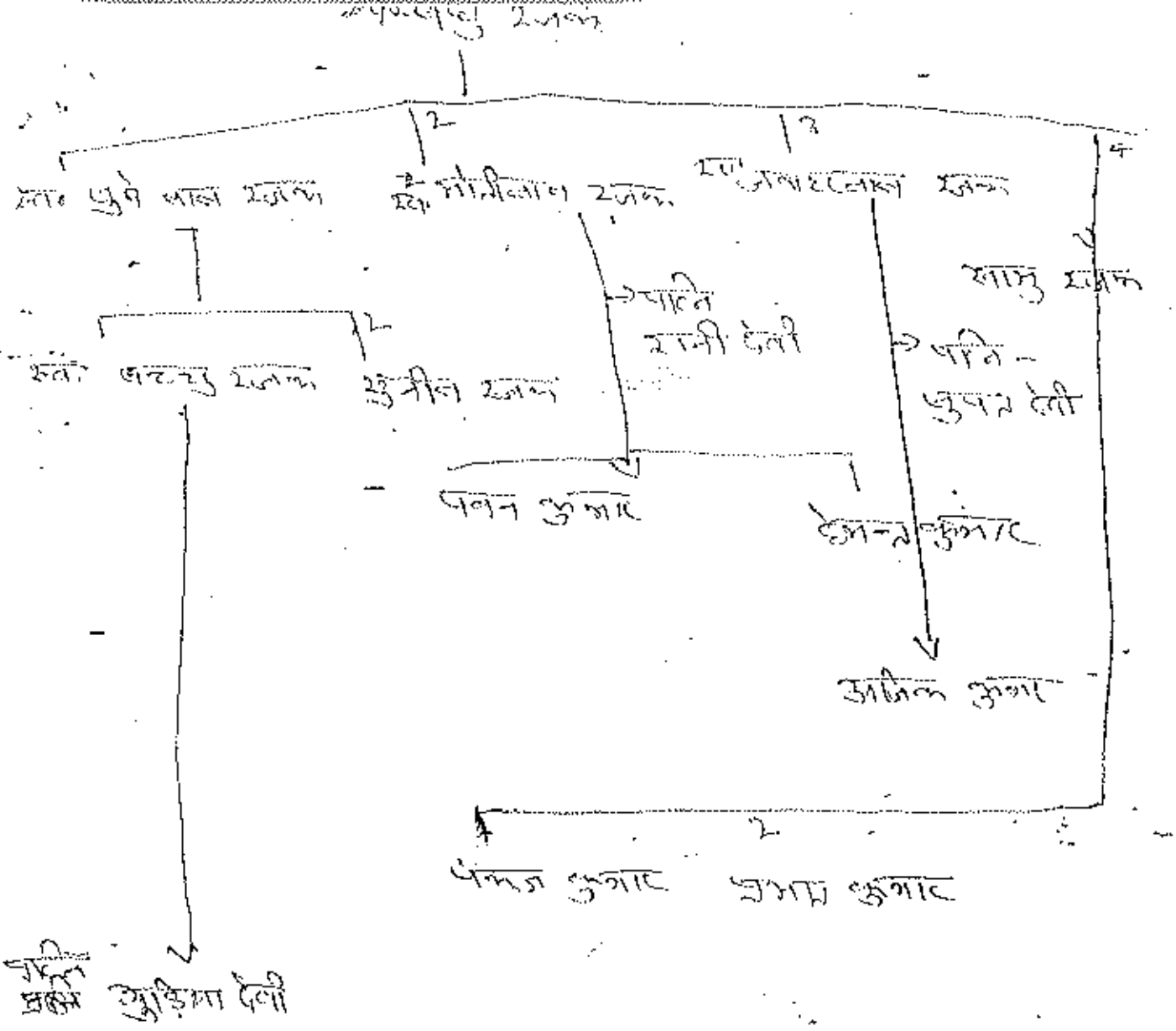
फसिल खतियान

[illegible]

वही [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	22	[illegible]	

[illegible]



चौपदी

उमर - मधु कान्त चौधरी सजल
पदांत - रहा पीसता सिल
तुकांत - आपस रखाने वाले
पदांश - मुगलों राम

Sch. XIV.—F.No. 180 V

V

X; 148

107

10356

0551810

1994

1994

₹. 11670	

2016-17 मांग बाबत	बकाया				गोशाला शुल्क	फाजिल
	सीध वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
गाड़ा (गकरी)				20.00	5.00	
गुजारी (गायली)				5.00	1.25	
रोस				14.00	2.50	
*खुर				10.00	2.50	
मुलाकरखाना				4.00	1.00	
गोशाला अदायकरी				53.00	12.25	61.25

(1) गोशाला कुल (अक्षरों में) — [illegible]

(2) नाम देहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्खत से शाखीय अफसर सहरी/ग्रा. पंचायत

*खाता गोशाला का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं) फाजिल जाता है।

दस्खत सरपंच

01/06/16

गोपनीय प्रतिवेदन

...चल पदाधिकारी का कार्यालय

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

262
6/6/16

नाम ..... श्री ... पिता / पति ...

ग्राम ..... पो ... थाना ... जिला ...

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा एकड़	रकबा डि०
स्वयंसेवित 20	148	1294		11 01

श्री ... पिता ... ग्राम ... थाना ... जिला ... के नाम से मौजा स्वयंसेवित ... 20 खाता सं० 148 खेसरा सं० 1294 रकबा 11 डि० आवेदक ... वर्ष 2016 से ... कब्जे में है एवं ... आवेदक ... से कुछ ... नहीं है

आवेदक का हस्ताक्षर

कर्मचारी का प्रतिवेदन

कार्यालय का मुहर

कार्यालय अंचल अधिकारी ... (पटना)

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Schedule I—Form No 66A.

S. & S. Manual 1932, Form 75, (Lower half).

Continuous Khatian

Village
गाँव

Pargana
परगना

Estate
महाल

Tauzi no.
तौजी नं०

Patti
पट्टी

Name of proprietor and number in proprietary khewat
मालिक का नाम वो नम्बर खेवट

Name of tenure-holder and number in tenure-holder's khewat, if any.
दरमियानी उक्तदार का नाम वो नम्बर खेवट

Page
पृष्ठ

Khata no.
खाता नं०

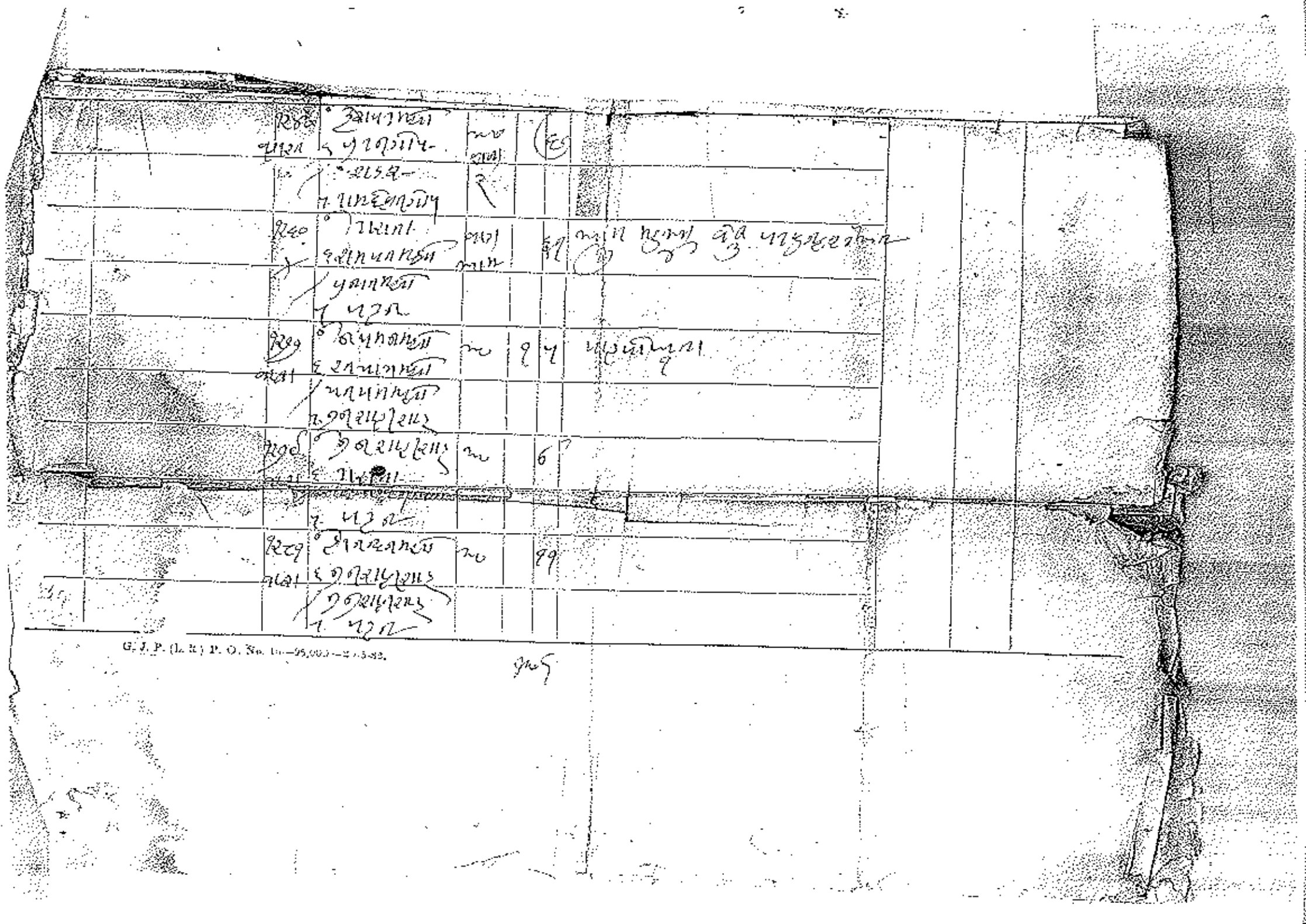
Binding Space.

Binding Space.

	Rs	as.	p.
Application fee			
Searching fee			
Extra fee			
Authenticated fee			
Number of —			
Pleas			
Bills			
Plan Papers			
Printed Forms	3		
Tracing Cloths			
Copying fee (Number of words) 2408	1	11	
Total	2	10	3

(In Words) Rupees Two & Three

PATENTS COURT



Form No. 66A.
Bihar Tenancy Act, 1937, Form 73, (Lower half).

Continuous Khatian.

Page पृष्ठ

Estate
तहसील
Tauzi no.
तौजी नं०
Patti
पट्टा

Name of proprietor and number in proprietary khewat
मालिक का नाम व खेवट नम्बर

Name of tenure-holder and number in tenure-holder's khewat, if any.
रामबाना हकदार का नाम वो नम्बर खेवट

1 JAN 1936
PATNA

Village number and name	Khata number	Name of raiyat and his father's name	Area	Rent	Remarks